सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

7 अग्रहायण, 1946 (श०)

संख्या - 762 राँची, गुरुवार, 28 नवम्बर, 2024 (ई०)

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

अधिसूचना

9 सितम्बर, 2024

झारखण्ड वक्फ नियमावली, 2024

सं- 2489–वक्फ अधिनियम**, 1995 (**केन्द्रीय अधिनियम **43/1995),** अधिनियम **27/2013** द्वारा यथासंशोधित**,** की धारा **109** द्वारा पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाती है**;** यथाः-

नियमावली

अध्याय-I

1. संक्षिप्त नाम**,** विस्तार एवं प्रारंभ-

(i) यह नियमावली 'झारखण्ड वक्फ नियमावली**, 2024'** कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(iii) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाएं (**1**) जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल नहीं हो**,** इस नियमावली में:

(i) "**अधिनियम**" से अभिप्रेत है वक्फ अधिनियम**, 1995 (**केन्द्रीय अधिनियम**, 43/1995)**;

(ii) "**अमीन**" से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है सज्जादानशीन द्वारा उनकी अनुपस्थिति में धार्मिक या आध्यात्मिक कृत्यों के निष्पादन हेतु नियुक्त व्यक्ति;

(iii) "**अजाखाना/अशूरखाना**" से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है ऐसा स्थान जहाँ आलम**,** पंजा**,** निशान**,** ताबूत**,** जरीह आदि रखे जाते है**;**

(iv) "**मतपेटी**" से अभिप्रेत है लॉक या सील वाला कोई बक्सा या पात्र जो मतदाताओं द्वारा मतपत्रों के डालने के लिए प्रयुक्त हो**;**

(v) "**बोर्ड**" से अभिप्रेत है धारा **13** के अधीन स्थापित झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड**;**

(vi) "**अध्यक्ष**" से अभिप्रेत है धारा **14** की उप-धारा (**8)** के अधीन निर्वाचित बोर्ड का अध्यक्ष**;**

(vii) "**अभ्यर्थी**" से अभिप्रेत है किसी प्रदत्त समय में चुनावी मैदान में कोई अभ्यर्थी**,** जो भले ही वह निर्वाचित न हो परंतु मतदान से बाहर नहीं किया गया हो**;**

(viii) "**गणना**" से अभिप्रेत है अभ्यर्थियों द्वारा अभिलिखित मतगणना में सम्मिलित सभी कार्यविधियाँ**;**

(ix) "**दरगाह**" से अभिप्रेत है मुस्लिम संत का इबादत गाह या मकबरा जिसमें इससे संलग्न सम्पत्तियाँ भी सम्मिलित हो**;**

(x) "**जिला औकाफ समिति**" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा **18** के अधीन बोर्ड द्वारा गठित समिति**;**

(xi) "**ईदगाह**" से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है एक ऐसा मैदानी क्षेत्र जहां मस्जिद के अलावा विधिवत रुप से घेराबन्दी किया हुआ हो ।

(xii) "**निर्वाचन**" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा **14** की धारा (**1)** के खण्ड (ख) की उप-धाराओं (**i**)**,** (**ii**)**,** (**iii**) एवं (**iv**) के अधीन बोर्ड सदस्यों के कार्यालय में रिक्ति/रिक्तियों को भरने के लिए अभ्यर्थियों के बीच से पसंद की कवायद**;**

(xiii) ''निर्वाचक'' से अभिप्रेत है बोर्ड के सदस्य की किसी कोटि के निर्वाचन से सम्बन्धित को ऐसा व्यक्ति जिसका नाम उसको टिकी निर्वाचक नामावली में निर्दिष्ट हो और जब तक कि उसे निर्वाची अधिकारी द्वारा अयोग्य न घोषित किया गया हो**;**

(xiv) ''निर्वाचक मंडल'' से अभिप्रेत है वह कोटियाँ जिसमें से सदस्य धारा**14** की उप-धारा (**1)** के खंड (ख) और उप-धारा (**2)** के द्वितीय परन्तुक के अधीन निर्वाचित किए जाने है**;**

(xv) ''निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के नियम **11** के अधीन नियुक्त कोई पदाधिकारी**;**

(xvi) ''निर्वाचक नामावली'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के नियम **11** के उप-नियम **(3)** के अधीन तैयार मतदाता सूची;

(xvii) **"निश्शोषित पत्र"** से अभिप्रेत है वोटिंग पेपर जिस पर एक निरंतर अभ्यर्थी के लिए कोई आगे संदर्भ अभिलिखित न हो और जिसमें सम्मिलित है वोटिंग पेपर जिस पर;

(क) दो या अधिक अभ्यर्थियों के नाम**,** चाहे वे निरंतर हो या एक ही आकृति के साथ चिन्हित हों और अधिमान्यता क्रम में अगला हों या

(ख) अधिमान्यता के क्रम में अगले अभ्यर्थी का नाम चाहे वह निरंतर हो**,** या दो या अधिक आकृतियों द्वारा वोटिंग पेपर पर कुछ अन्य आकृति के बाद क्रमागत रूप से नहीं होने वाले किसी आकृति द्वारा चिन्हित न हो;

(ग) प्रथम अस्पष्ट अधिमान्यता से इतर कोई अधिमान्यता तय करने की बाबत ऐसा विलोपन**,** विस्मृति**,** विलेखन या विकृति हो;

(xviii) **"फॉर्म"** से अभिप्रेत है इस नियमावली से संलग्न फॉर्म;

(xix) **"सरकार"** से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार;

(xx) **"इमामबारा"** से अभिप्रेत है वह एक स्थान/मकान/कमरा जहाँ धार्मिक रिति रिवाज जैसे मजलिस/चहल्लुम आदि हजरत अली और उनके दोनों बेटे हजरत हसन**,** हज़रत हुसैन की स्मृति में आयोजित की जाए ।

(xxi) **"कब्रिस्तान"** से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है निजी या सार्वजनिक मुस्लिमों को दफन करने का स्थान ।

(xxii) **"खादिम"/"नायब"** से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है वक्फ के सज्जादा नशीन/मुतवल्ली द्वारा नियुक्त व्यक्ति जो ऐसे वक्फ के कर्त्तव्यों के निर्वहन में उन्हें सहायता करे ।

(xxiii) **"खानकाह"** से अभिप्रेत है और इसमें दायरा**,** तकिया**,** जमातखाना और परिसर भी सम्मिलित हैं जहाँ दर वेशया सुफी संत ने शिष्यों और सत्य के साधकों को धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षाएं प्रदान की/करते हैं**,** और जहाँ धार्मिक अनुदेश और भक्ति पर ककवायद के लिए एकत्र होते हैं;

(xxiv) **"विधिव्यवसायी"** का वही अर्थ होगा जैसा अधिवक्ता अधिनियम**, 1961 (25/1961)** में इसे नियत है;

(xxv) **"मदरसा"** से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है इस्लामिक शिक्षा केन्द्र जहाँ धार्मिक शिक्षा अन्य पाठ्यक्रम सहित दी जाती है;

(xxvi) **"मकतब"** से अभिप्रेत है इसमें सम्मिलित है वह स्थान जहाँ प्रारंभिक इस्लामिक शिक्षा और सबक दिए जाते है;

(xxvii) **"मंशा-ए-वाकिफ"** से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति का इरादा जिसने अपनी सम्पत्ति को वक्फ के रूप में समर्पित कर दिया और इसमें सम्मिलित है समर्पण का उद्देश्य और लक्ष्य और वक्फ के प्रशासन हेतु योजना ।

(xxviii) **"मकबरा"** से अभिप्रेत है कब्र या मकबरा;

(xxix) **"मस्जिद"** से अभिप्रेत है प्रार्थना स्थल जहाँ मुस्लिम सामूहिक प्रार्थनाएं/सलात (नमाज़) अदा करते हैं;

(xxx) **"मौजन/मोअज्जिन"** से अभिप्रेत है नियुक्त या ना मित व्यक्ति या स्वयं सेवक जो अजान/सलात (नमाज़) करे और मस्जिद प्रबंधन द्वारा समय-समय पर यथा नियत ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का निर्वहन करे;

(xxxi) **"मोज़वर/मुजाबिर"** से अभिप्रेत है सज्जादानशीन/मुतवल्ली या क़ानून के तहत किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त एक ऐसा व्यक्ति जो समय-समय पर दरगाह/मजार सम्बन्धी कृत्यों का निष्पादन करे;

(xxxii) **"मुसाफिरखाना/सराय"** यात्रियों के आवासन का स्थान है;

(xxxiii) **"पेश-ए-इमाम"** से अभिप्रेत है सामूहिक प्रार्थनाएं/सलात (नमाज़) का नेतृत्व करने के लिए मस्जिद प्रबंधन द्वारा नियुक्त/कार्यरत व्यक्ति;

(xxxiv) **"अधिमान्य मतदान"** से अभिप्रेत है अधिमान्यता के क्रम में वोट डालना। "प्रथम अधिमान्यता"से अभिप्रेत है अभ्यर्थी के नाम के पीछे 'आकृति-**1**" लिखा हुआ; "द्वितीय अधिमान्यता" से अभिप्रेत है अभ्यर्थी के नाम के पीछे 'आकृति-**2**' लिखा हुआ;

(xxxv) "परिसरों" से अभिप्रेत है कोई भूमिया कोई भवन या भवन का खंड और इसमें सम्मिलित है:-

(क) बगीचा, जलनिकाय, भूमि, यदि कोई हो, जो ऐसे भवन या उस भवन के खंड से संबंधित हो;

(ख) दरगाह, कब्रगाह, पीरखाना, कर्बला, मकबरा, मस्जिद, इमामबाड़ा, लंगरखाना, जियारत खाना, कुतुबखाना और इससे संबंधित आँगन; और

(ग) उसके अधिक लाभकारी आनंद के लिए ऐसे भवन या उस भवन के किसी खंड से जुड़े कोई साज-सामान ।

(xxxvi) **"पीठासीन पदाधिकारी"** में सम्मिलित है नियम **26** के अधीन पीठासीन पदाधिकारी के किसी कृत्यों का निर्वहन करने वाला कोई मतदान पदाधिकारी;

(xxxvii) **"सार्वजनिक अवकाश"** से अभिप्रेत है कोई दिन जो परक्राम्य लिखत अधिनियम, **1881** की धारा **25** के प्रयोजनार्थ सार्वजनिक अवकाश है;

(xxxviii) **"रजिस्ट्रार"** से अभिप्रेत है न्यायाधिकरण का रजिस्ट्रार और इसमें सम्मिलित है सहायक रजिस्ट्रार या कोई अन्य व्यक्ति जिसे रजिस्ट्रार न्यायाधिकरण के अनुमोदन से स्वयं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले किसी भी कृत्य का दायित्व सौंप सकेगा;

(xxxix) **"निर्वाची पदाधिकारी"** से अभिप्रेत है नियम**16** के उप-नियम (**1**) के अधीननियुक्त पदाधिकारी और इसमें सम्मिलित है नियम**16** के उप-नियम (**4**) के अधीन किसी कृत्यों के निष्पादन हेतु अधिकृत सहायक निर्वाची पदाधिकारी;

(xL) **"सज्जादानशीन"** से अभिप्रेत है खान काह, दरगाह, जमातखाना, तकिया का आध्यात्मिक श्रेष्ठ और ऐसे संस्थाओं के आध्यात्मिक मामलों के प्रभारी;

(xLi) **"धारा"** से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा;

(xLii) **"वरीय मुस्लिम अधिवक्ता"** से धारा**14** की उप-धारा (**1)** के खण्ड (पपप) के परन्तुक के अनुसार अभिप्रेत है मुस्लिम अधिवक्ता जिसने कम-से-कम **20** वर्षों तक सक्रिय वकालत किया हो;

(xLiii) **"शिरिस्तदार"** से अभिप्रेत है वक्फ न्यायाधिकरण में कार्यरत प्रबंधन संवर्ग का कोई पदधारी;

(xLiv) **"अधिशेष"** से अभिप्रेत है वह संख्या जिसके द्वारा किसी अभ्यर्थी के मूल और अंतरित कोटों का मूल्य कोटा से अधिक हो जाए;

(xLv) किसी अभ्यर्थी से संबंधित **"अंतरितवोट"** से अभिप्रेत है वह वोट जिसका मूल्य या जिसके भाग का मूल्य अभ्यर्थी के नाम जाता हो और जो ऐसे मत पत्र से व्युत्पन्न हो जिस पर ऐसे अभ्यर्थी के लिए द्वितीय या अनुवर्ती अधिमान्यता अभिलिखित हों;

(xLvi) **"अनिश्शोषित पत्र'** 'से अभिप्रेत है ऐसे वोटिंग पेपर जिस पर निरंतर अभ्यर्थी के लिए आगे की अधिमान्यता अभिलिखित हैं;

(xLvii)**"वक्फ निरीक्षक"** से अभिप्रेत है जिला स्तर पर झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा नियुक्त पदधारी;

(xLviii) **"वक्फ पदाधिकारी"** से अभिप्रेत है जिला स्तर पर झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी;

(xLix) **"वक्फ परिसरों"** से अभिप्रेत है:-

(क) कोई परिसर जो किसी व्यक्ति द्वारा मौखिक रूप से या लिखित द्वारा समर्पित चल या अचल सम्पति के रूप में हो और जिसका उपयोग मुस्लिम कानून द्वारा मान्य किसी पवित्र**,** धार्मिक और दातव्य प्रयोजन के लिए हो

(ख) राजपत्र में वक्फ सम्पत्ति के रूप में अधिसूचित परिसर**;** या

(ग) बोर्ड द्वारा संधारित औकाफ के रजिस्टर में वक्फ के रूप में रजिस्ट्रीकृत परिसर;

या

(घ) उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ के रूप में माने जा रहे परिसर ।

(L) ''वक्फ सम्पत्ति'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा **3** के खंड (आर) में निर्दिष्ट कोईचल या अचल सम्पत्ति और इसमें उसके परिसर सम्मिलित हैं;

(Li) ''वक्फ न्यायाधिकरण'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा **83** की उप-धारा (**1)** के अधीन गठित ''झारखण्ड राज्य वक्फ न्यायाधिकरण'';

(Lii) ''यतीमखाना'' से अभिप्रेत है निराश्रित अनाथों को देखभाल**,** आश्रय और शिक्षा उपलब्ध कराने वाली संस्था ।

2. इस नियमावली में प्रयुक्त सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों**,** जो इसमें अपरिभाषित हों परन्तु अधिनियम में परिभाषित हों**,** के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उन्हें नियत हों ।

अध्याय-II

औकाफ की सम्पत्तियों का सर्वेक्षण

3. सर्वेक्षण आयुक्त की नियुक्ति

(1) राज्य सरकार धारा **4** की उप-धारा**1** के अधीन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा वक्फों का सर्वेक्षण आयुक्त होने के लिए एक पदाधिकारी नियुक्त करेगी या ऐसी नियुक्ति करने के बदले सरकार के सचिव**,** राजस्व**,** निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को साथ-साथ वक्फों के सर्वेक्षण आयुक्त का पदधारण करने हेतु अधिसूचित कर सकेगी ।

(2) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अपर सर्वेक्षण आयुक्त होने के लिए एक पदाधिकारी नियुक्त करेगी या जिला के समाहर्त्ता या अपर समाहर्त्ता को अपर सर्वेक्षण आयुक्त की सभी शक्तियों और कर्त्तव्यों के निर्वहन और निष्पादन करने हेतु अधिसूचित कर सकेगी ।

(3) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सूचित कर सहायक सर्वेक्षण आयुक्त नियुक्त कर सकेगी या उप समाहर्त्ता**,** भूमि सुधार राजस्व उप-प्रमंडल को सहायक सर्वेक्षण आयुक्त की सभी शक्तियों और कर्त्तव्यों के निवर्हन और निष्पादन करने हेतु अधिसूचित कर सकेगी और निम्नलिखित के द्वारा उन्हें सहयोग प्राप्त होगा:-

(क) वक्फ पदाधिकारी**;**

(ख) वक्फ निरीक्षक**;**

(ग) जिला औकाफ समिति**;**

(घ) वक्फ भू-सम्पदा के मुतवल्ली**;**

(ड.) जिला कल्याण पदाधिकारी ।

(4) सर्वेक्षण आयुक्त राज्य सरकार के अनुसूचित जनजाति**,** अनुसूचित जाति**,** अल्प संख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग साथ ही साथ झारखण्ड राज्य वक़्फ बोर्ड को सर्वेक्षण प्रतिवेदन सौंपेंगे ।

4. औकाफ के सर्वेक्षण आयुक्त के प्रतिवेदन में सम्मिलित की जानेवाली अन्य विवरणियाँ:-

अधिनियम की धारा **4** की उप-धारा (**3)** के अधीन सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा सरकार को सौंपे जाने वाला प्रतिवेदन प्रपत्र संख्या-**1** में होगा ।

5. औकाफ की सूची का सर्वेक्षण और प्रकाशन:-

राज्य सरकार राजस्व विभाग द्वारा इस अधिनियम के अध्याय **II** के अधीन यथा उपबंधित औकाफ का सर्वेक्षण और औकाफ को सूची का प्रकाशन कराएगी ।

6. राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित की जाने वाली औकाफ की सूची में सम्मिलित की जाने वाली विवरणियाँ:-

राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा धारा-**5** के अधीन प्रकाशित औकाफ की सूची प्रपत्र संख्या- **2** में होगी ।

7. राजस्व अभिलेखों में औकाफ सम्पत्तियों का अद्यतन किया जाना:

(1) राज्य सरकार**,** अधिनियम की धारा 5 के अधीन बोर्ड से औकाफ की सूची का प्राप्ति**,** और अनुसूचित जनजाति**,** अनुसूचित जाति**,** अल्प संख्यक**,** एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग या राजस्व विभाग द्वारा राजपत्र में उसके प्रकाशन के पश्चात् एक महीना की अवधि के अन्तर्गत इसे राजस्व**,** शहरी विकास और पंचायती राजविभागों के प्राधिकारों को भेजेगी ।

(2) सरकार से उप-नियम (1) के अधीन सूचियों की प्राप्ति पर**,** सम्बन्धित प्राधिकार अंचल स्तर पर सरकार के राजस्व अभिलेखों का अद्यतन करने के पश्चात् ऐसे अद्यतन अभिलेखों की प्रति सरकार और बोर्ड को छः महीने की अवधि के अन्तर्गत भेजेंगे ।

8. वक्फ सम्पत्तियों के अभिलेखों का अद्यतन किया जाना :

(1) जब कभी रजिस्ट्रीकृत वक्फ द्वारा कोई नई सम्पत्तियों अर्जित की जाती है या कोई नई वक्फ संस्था रजिस्ट्रीकृत होती है**,** और उपयोग कर्त्ता द्वारा वक्फ के प्रत्येक मामले में**,** वक्फ से सम्बन्धित मुतवल्ली या कार्यपालक पदाधिकारी प्रपत्र संख्या **3** में जिला के समाहर्त्ता/भूमि सूधार उप समाहर्त्ता और/या अंचल पदाधिकारी**,** नगरपालिका आयुक्त को और कठिनाई में**,** जिसकी स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत सम्पत्ति अवस्थित है**,** सरकार के राजस्व अभिलेखों में सम्पत्ति के अद्यतन किए जाने के लिए तथा वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को भी औकाफ के रजिस्टर को अद्यतन करने के लिए आवेदन करेंगे ।

(क) जहाँ सम्पत्ति उस राजस्व अंचल में कृषि भूमि है जिसकी अधिकारिता में वह भूमि अवस्थित है**;** और

(ख) जहाँ सम्पत्ति नगरपालिका या नगर निगम या ग्रामीण पंचायत के अंतर्गत आती हो और जिसकी स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत वह सम्पत्ति उस संस्था के पहले भी अवस्थित है ।

(2) मुतवल्ली (जिसमें प्रबंधन समिति भी सम्मिलित है) या कार्यपालक पदाधिकारी वक्फ के नाम के तहत ''वक्फ सम्पत्ति'' शब्दों के अभिलेख के सुसंगत स्तम्भ में ऐसे प्रत्येक सम्पत्ति की प्रविष्टि कर अभिलेखों को अद्यतन करेंगे ।

(3) प्रत्येक वक्फ संस्था के मुतवल्ली निम्नलिखित रजिस्टरों का संधारण करेंगे**;** यथा-

(क) प्रपत्र संख्या-**4** में वक्फ की अचल सम्पत्तियों के ब्यौरे से सम्बन्धित रजिस्टर ।

(ख) प्रपत्र संख्या **5** में वक्फ को चल सम्पत्तियों के ब्यौरे से संबंधित रजिस्टर ।

(ग) प्रपत्र संख्या **6** में वक्फ की अचल सम्पत्तियों की बाबत अधिनियम की धारा **51** और **56** के अधीन प्रदान किए गए पट्टा के ब्यौरे से संबंधित रजिस्टर ।

(घ) प्रपत्र संख्या **7** में अधिनियम की धारा **51** के अनुसार विभिन्न स्कीमों के अधीन विकसित सम्पत्तियों के ब्योरा से संबंधित रजिस्टर ।

(ङ) प्रपत्र संख्या **8** में भू-अर्जन अधिनियम**, 1894** या भूअर्जन से संबंधित किसी अन्य कानून के अधीन अर्जित वक्फ सम्पत्तियों के ब्यौरे से संबंधित रजिस्टर ।

(4) मुतवल्ली प्रत्येक वर्ष **31**वीं जनवरी को या उससे पहले नियम **3** में संधारित रजिस्टरों को अद्यतन करेंगे ।

(5) मुतवल्ली प्रत्येक वर्ष फरवरी के अंत में या उससे पहले जिला कल्याण पदाधिकारी-सह-वक्फ नोडल पदाधिकारी को सम्यक अद्यतन पूर्वोक्त रजिस्टरों को सौपेंगे ।

(6) जिला कल्याण पदाधिकारी-सह-वक्फ नोडल पदाधिकारी**,** विहित रजिस्टरों में मुतवल्ली द्वारा दर्ज की गई प्रविष्टियों के सत्यापन के पश्चात**,** प्रपत्र संख्या **9, 10, 11, 12** और **13** में जिला वक्फ कार्यालय में संधारित किए जाने तत्संगत रजिस्टरों में आवश्यक प्रविष्टियाँ करायेंगे ।

(7) जिला कल्याण पदाधिकारी-सह-वक्फ नोडल पदाधिकारी प्रत्येक वर्ष **31**वीं मार्च को या उससे पहले प्रपत्र संख्या **9, 10, 11, 12** और **13** में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को नियम (**6**) के अधीन दर्ज की गई पूर्वोक्त प्रविष्टियों का प्रतिवेदन सौंपेंगे ।

(8) जिला कल्याण पदाधिकारी-सह-वक्फ नोडल पदाधिकारी से प्रतिवेदन की प्राप्ति पर**,** मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी प्रपत्र संख्या**1 4, 15, 16, 17** और **18** में बोर्ड के कार्यालय में संधारित किए जानेवाले तत्संगत रजिस्टरों में आवश्यक प्रविष्टियाँ करायेंगे ।

9. प्रतिक्षति निर्धारण:

वक्फ सम्पत्ति के अनाधिकृत उपयोग और कब्जा के कारण हुए प्रतिक्षतियों के निर्धारण के मूल्यांकन में**,** अधिनियम की धारा **7** की उप-धारा (**6**) के अधीन**,** वक्फ न्यायाधिकरण निम्नलिखित मामलों पर विचार करेगा**;** यथाः-

(1) प्रयोजन और अवधि जिसके लिए वक्फ सम्पत्ति अनाधिकृत कब्जे में है ।

(2) ऐसे परिसरों में उपलब्ध सम्पत्ति का विस्तार ।

(3) किराया जो वसूली की जाती**,** यदि सम्पत्तियों को अनाधिकृत कब्जे की अवधि के लिए किराया पर दे दिया जाता ।

(4) अनाधिकृत कब्जाधारियों को अर्थ दंड देना ।

अधिनियम की धारा **7** की उपधारा (**6**) के अधीन लगाया गया अर्थ दंड मूल्यांकित प्रतिक्षति की रकम के दूना से अधिक नहीं होगा ।

(5) भवन को हुए किसी प्रतिक्षति सहित प्रतिक्षतियों के मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु सुसंगत कोई अन्य मामला ।

10. अधिनियम की धारा **13** के अनुरूप सम्पत्ति अर्जन**,** धारण एवं अंतरण करने की शक्ति:

(1) क्रमिक उत्तराधिकार के कॉरपोरेट निकाय होने से बोर्ड को किसी ऐसी सम्पत्ति को अपनी सम्पत्ति के रूप में अर्जित**,** धारित एवं अंतरित करने की शक्ति होगी और वह सम्पति वक्फ सम्पत्ति के रूप में नहीं मानी जाएगी । ऐसी सम्पत्ति से व्युत्पन्न आय बोर्ड द्वारा अवधारित की जाएगी और बोर्ड द्वारा यथा विनिश्चित इसके विकास तथा अन्य आकस्मिक व्यय हेतु उपयोग में लाई जाएगी ।

(2) बोर्ड को औकाफ से इतर किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त चल एवं अचल सम्पत्तियों को अर्जित एवं धारित करने की शक्ति होगी ।

(3) धारा**13** की उप-धारा (**3**) के अनुसरण में मुकदमा करने और मुकदमा किए जाने की शक्ति बोर्ड की सम्पत्ति तक सीमित है ।

अध्याय-III

बोर्ड के निर्वाचन का संचालन

11. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी की नियुक्तिः-

(1) सरकार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी नियुक्त करेगी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा/झारखण्ड प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अपर सचिव से अन्यूनस्तर का पदाधिकारी होगा और जिसकी नियुक्ति झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड की संबंधित कालावधि की समाप्ति के पूर्व छः महीनों से कम नहीं की जाएगी ।

(2) निर्वाचक नामावली से संबंधित अधिसूचना:-निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी अपनी नियुक्ति की तिथि से सात दिनों के अंतर्गत प्रपत्र संख्या **19** में निर्वाचक नामावली की तैयारी से संबंधित अधिसूचना निर्गत करेगा जिसे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के कार्यालय**,** झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के कार्यालय और सभी जिला वक्फ कार्यालयों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा यथा उपयुक्त समझे गए ऐसे वक्फ संस्थाओं में प्रकाशित किया जाएगा । साथ हीं उक्त निर्वाचक नामावली को उस क्षेत्र में अच्छा प्रसार वाले स्थानीय समाचार पत्रों में**,** जिसमें कम-से-कम एक हिन्दी**,** एक उर्दू और एक अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र अवश्य हो**,** प्रकाशित कर अधिसूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार भी कराया जाएगा ।

(3) निर्वाचक नामावली की तैयारी: धारा **14** की उप-धारा (**1)** के खंड (ख) के अधीन निर्वाचक मंडलों की चार कोटियों के लिए निर्वाचक नामावली बोर्ड के निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि के पहले तैयार या पुनरीक्षित की जाएगी ।

(4) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा निर्वाचक मंडलों की सूची प्राप्त करना: निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी चार निर्वाचक मंडलों की निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण के समय क्रमशः(**i**) महासचिव**,** लोक सभा एवं राज्य सभा (**ii**) सचिव**,** झारखण्ड विधान सभा एवं (**iii**) सचिव**,** झारखण्ड राज्य बारकॉसिल और (**iv**) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी**,** झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड से धारा**14** की उप-धारा (**1)** के खंड (ख) के उप-खंड (**i**) और (**ii**) में विनिर्दिष्ट कोटियों की स्थिति में पात्र मतदाताओं की सूची प्राप्त करेगा ।

(5) मुतवल्ली की कोटि के लिए निर्वाचक मंडल में निर्वाचन वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए रूपए एक लाख एवं इससे उपर वार्षिक आय वाले औकाफ सम्मिलित होगा ।

12. मतदाताओं द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को आवेदन

(1) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी सभी वैसे व्यक्तियों**,** जिनके नाम नियम **11** के उप-नियम (**4)** के अधीन प्राप्त सूची में सम्मिलित नहीं है**,** और रजिस्ट्रीकरण के पात्र सभी व्यक्तियों को उनके अनुरोध पर प्रपत्र संख्या-**20** में आवेदन-प्रपत्र प्रदान करेगा ।

(2) सम्बन्धित निर्वाचक मंडल में रजिस्ट्रीकृत होने को इच्छूक मतदातागण प्रपत्र संख्या **20** और प्रपत्र संख्या **20 (**क) भरेंगे और जमा करेंगे ताकि उनके आवेदन प्रपत्र नियम**11** के उप-नियम (**2)** के अधीन अधिसूचना की तिथि से सात दिनों के अन्तर्गत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के पास पहुँच जाए ।

(3) कोई भी व्यक्ति निर्वाचन चाहने का हकदार नहीं होगा जब तक कि उसका नाम निर्वाचक नामावली में न हो ।

13. औपबंधिक निर्वाचक नामावली का प्रकाशन:

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी अपनी नियुक्ति की तिथि से तीन महीने में ही औपबंधिक निर्वाचक नामावली तैयार करेगा और इसे प्रकाशित करेगा ।

(क) औपबंधिक निर्वाचक नामावली के लिए दावे/आपत्तियाँ दर्ज करने की अंतिम तिथि इसके प्रकाशन की तिथि से पन्द्रह दिन होगी ।

(ख) यदि कोई आपत्तियाँ प्राप्त होती हो**,** तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी संक्षिप्त जाँच कर उन पर विचार करेंगे और आपत्तियों की प्राप्ति हेतु निर्धारित अंतिम तिथि से पन्द्रह दिनों के अन्तर्गत समुचित आदेश पारित करेंगे ।

(ग) अंतिम निर्वाचक नामावली इस नियम के अधीन प्रक्रिया की समाप्ति से सात दिनों के अंतर्गत प्रकाशित की जाएगी ।

14. निर्वाचक नामावली के प्रपत्र एवं भाषा

(1) चार निर्वाचक मण्डलों से संबंधित निर्वाचक नामावली प्रपत्र संख्या **21**ए**, 21**बी**, 21**सी तथा **21**डी में तैयार की जाएगी ।

(2) निर्वाचक नामावली उर्दू**,** हिन्दी और अंग्रेजी में होगी ।

15. झारखण्ड से भूतपूर्व मुस्लिम सांसद**,** राज्य विधान मंडल के भूतपूर्व मुस्लिम सदस्य और बारकॉन्सिल के भूतपूर्व मुस्लिम सदस्यों की निर्वाचक नामावली:

नियम **11** से **14** के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया यथोचित परिवर्त्तनों सहित धारा**14** की उप-धारा (**2**) के द्वितीयक परन्तुक में विनिर्दिष्ट निर्वाचक मण्डलों के निर्वाचक नामावली की तैयारी पर लागू होगी । उसके अधीन प्रत्येक कोटि के लिए**,** क्रमशः प्रपत्र संख्या **22**ए**, 22**बी तथा **22**सी में अलग-अलग निर्वाचक नामावली संधारित की जाएगी ।

16. निर्वाची पदाधिकारी और सहायक निर्वाची पदाधिकारी

(1) राज्य सरकार क्रमशः चार निर्वाचक मंडलों से झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन संचालन हेतु भारतीय प्रशासनिक सेवा/ झारखण्ड प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अपर सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी को निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त करेगी ।

(2) झारखण्ड राज्य के मुतवल्ली के अपने-अपने निर्वाचक मंडल से झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के सदस्य/सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित मतदान उनके अपने वक्फ बोर्ड के कार्यालय में कराया जाएगा । निर्वाची पदाधिकारी क्रमशः वक्फ बोर्ड के कार्यालय में ऐसा मतदान का संचालन करेंगे । निर्वाची पदाधिकारी ऐसे मतदान के प्रयोजनार्थ झारखण्ड प्रशासनिक सेवा/ झारखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अवर सचिव स्तर के पदाधिकारी को पीठासीन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त करेंगे ।

(3) एक या अधिक मतदान केन्द्र हो सकेंगे जहाँ मतदान कराए जाने होंगे ।

(4) निर्वाची पदाधिकारी झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को सहायक निर्वाची पदाधिकारी के रूप में भी नियुक्त कर सकेंगे ।

(5) निर्वाची पदाधिकारी मतदान केन्द्रों के लिए पर्याप्त संख्या में पीठासीन पदाधिकारी और मतदान पदाधिकारी नियुक्त कर सकेंगे ।

परन्तु यह कि कोई सहायक निर्वाची पदाधिकारी तब तक निर्वाची पदाधिकारी के किसी ऐसे कृत्य का निष्पादन नहीं करेगा जो नामांकनों की संवीक्षा से संबंधित हो जब तक कि निर्वाची पदाधिकारी को उक्त कृत्यों के निष्पादन करने से अपरिहार्य कारण सेरोकनदिया जाए।

17. राज्य सरकार द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना:

राज्य सरकार धारा**14** की उप-धारा (**1**) के खंड (ख) के अधीन प्रत्येक निर्वाचक मण्डल से एक या दो सदस्यों से बने चार निर्वाचक मण्डलों के निर्वाचन की अनुसूची प्रपत्र संख्या **23** में निर्वाचन आरंभ और समाप्त होने की तिथियों जो तीस दिनों से कम नहीं होंगे**,** को उपदेशित कर अधिसूचित करेगी ।

18. निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन के नोटिस का प्रकाशन:

(1) नियम **17** के अधीन अधिसूचित निर्वाचन का सार्वजनिक नोटिस निर्वाची पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से निम्नलिखित उपदर्शित करते हुए प्रकाशित किया जाएगाः-

(क**)** उस प्रत्येक निर्वाचक मंडलों**,** जिसके लिए निर्वाचन की घोषणा की गई है**,** के लिए निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या**;**

(ख**)** इस नियम के अधीन नोटिस के प्रकाशन की तिथि के पश्चात का सातवाँ दिन नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि होगी**;**

(ग**)** वह स्थान जहाँ पर ऐसे नामांकन दाखिल किए जाने हैं**;**

(घ**)** नामांकनों की संवीक्षा की तिथि जो नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि के पश्चात का ठीक अगला दिन होगा**;**

(ङ**)** नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि नामांकनों की संवीक्षा की तिथि के पश्चात तीसरा दिन होगा**;**

(च**)** वह तिथि जिस दिन मतदान कराया जाएगा और वह तिथि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि के पश्चात के दसवें दिन से पहले का दिन नहीं होगा**;**

(छ**)** वह तिथि जिसके पहले निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी**;** और

(ज**)** मतगणना हेतु तिथि**,** स्थान और समय ।

परन्तु यह कि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्वाचन की तिथि से स्पष्ट रूप से पूरे तीस दिनों से कम नहीं होगा ।

परन्तु आगे यह कि यदि खंड (ख)**,** (घ) और (ङ) के अधीन अधिसूचित कोई तिथि को सार्वजनिक अवकाश हो**,** तो ऐसी तिथि उक्त सार्वजनिक अवकाश के तुरंत बाद के कार्य दिवस की तिथि समझी जाएगी ।

(2) नोटिस प्रपत्र संख्या **24** में निर्गत किया जाएगा और उस क्षेत्र में व्यापक प्रसार वालों स्थानीय समाचार पत्रों में**,** जिसमें कम-से-कम एक हिन्दी एक उर्दू और एक अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र अवश्य हो**,** तथा निम्नलिखित कार्यालयों में प्रकाशित किया जाएगाः-

(i) निर्वाची पदाधिकारी**;**

(ii) झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड**;**

(iii) जिला औकाफ समितियाँ**;** और

(iv) निर्वाची पदाधिकारी द्वारा उपयुक्त समझे गए कोई अन्य कार्यालय ।

19. नामांकन पत्र प्रस्तुत किया जाना

(1) प्रपत्र संख्या **25** में सभी प्रकार से सम्यक भरे गए नामांकन पत्र अधिसूचित अंतिम दिन के पहले किसी दिन ऐसे स्थान पर और ऐसे समय के अंतर्गत दाखिल किए जाएंगे जैसा नियम **18** के अधीन प्रकाशित नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) बोर्ड के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी का प्रस्ताव एक मतदाता द्वारा किया जाएगा और दूसरे मतदाता द्वारा इस प्रस्ताव पर सहमति दी जाएगी । नामांकन पत्र नियम**18** के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तिथि को या उसके पहले या तो व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्त्ता से/के माध्यम से निर्वाची पदाधिकारी को सुपुर्द किया जाएगा ।

(3) एक अभ्यर्थी एक सीट के लिए दो नामांकन पत्रों से अधिक नहीं दाखिल कर सकेंगे**;** भले ही प्रत्येक नामांकन की बाबत प्रस्तावक वही व्यक्ति नहीं होंगे ।

(4) जहाँ निर्वाचक मंडल के किसी भी श्रेणी का एक ही सदस्य/मतदाता हो वह स्वयं बिना किसी प्रस्तावक एवं अनुमोदक के नामांकन भर सकेंगे ।

20. जमा: प्रत्येक नामांकन पत्र के साथ झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के पक्ष में रु॰ **2,000/-** (रुपये दो हजार मात्र) की अप्रतिदेय जमा रकम के भुगतान हेतु डिमांड ड्राफ्ट या कैश रसीद लगा होगा और रसीद नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा ।

21. नामांकन**,** नामांकन पत्रों की संवीक्षा का समय और स्थान का नोटिसः-

निर्वाची पदाधिकारी नामांकन पत्र की प्राप्ति पर अभ्यर्थी या उसे सुपुर्द करने वाले अधिकृत व्यक्ति को नामांकन पत्रों की संवीक्षा के लिए निर्धारित तिथि**,** समय और स्थान की सूचना देंगे और उस नामांकन पत्र पर सम्बन्धित कोटि में इसकी क्रम संख्या और नामांकन पत्र की उन्हें प्राप्ति की तिथि और समय अभिलिखित करेंगे । तत्पश्चात निर्वाची पदाधिकारी निर्वाचक मंडलों में से प्रत्येक की बाबत अलग-अलग प्रपत्र संख्या **26** में नामांकनों की नोटिस अपने कार्यालय के सहज दृश्य स्थान पर लगवायेंगे ।

22. प्रति ज्ञान की शपथ:-

(1) प्रत्येक अभ्यर्थी नामांकन दाखिल करने के समय निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष प्रपत्र संख्या **27** में प्रति ज्ञान की शपथ लेंगे ।

(2) अभ्यर्थी प्रपत्र संख्या **28** में निर्वाची पदाधिकारी को आवेदन कर अपना निर्वाचन अभिकर्त्ता नियुक्त कर सकते हैं ।

23. नामांकन की संवीक्षाः-

(1) नियम **21** के अधीन नामांकन की संवीक्षा के लिए निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी या उस अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्त्ता और एक प्रस्तावक के सिवाय किसी भी अन्य व्यक्ति को संवीक्षा के समय उपस्थित रहने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

(2) निर्वाची पदाधिकारी नामांकन पत्रों की जाँच करेंगे और संबंधित निर्वाचक मंडल के किसी नामांकन के संबंध में आपत्तियाँ, यदि कोई हो, प्राप्त करेंगे, फिर ऐसी आपत्तियों की प्राप्ति पर या स्वप्रेरणा से, संक्षिप्त जाँच के पश्चात्, जैसा कि वह उचित समझे, निम्नलिखित आधारों में से किसी एक कारण से कोई नामांकन अस्वीकार कर सकेंगे; यथाः-

(क) कि अभ्यर्थी बोर्ड के किसी विशेष कोटि के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अपात्र है;

(ख) कि अभ्यर्थी अधिनियम की धारा **16** में विनिर्दिष्ट किसी अनर्हताओं से उपगत है;

(ग) कि अभ्यर्थी के नाम की प्रविष्टि निर्वाचक नियमावली में नहीं है;

(घ) कि नियम **20, 21** और **22 (1)** के किसी भी उपबंधों का अनुपालन करने में चूक हुई है; और

(ङ) कि नामांकन पत्र में अभ्यर्थी या प्रस्तावक का हस्ताक्षर/अँगूठे का निशान प्रामाणिक नहीं है ।

परन्तु यह कि निर्वाची पदाधिकारी निर्वाचक नामावली में तत्संगत प्रविष्टि के साथ अनुरूपता लाने के उद्देश्य से उक्त नामों या संख्याओं से संबंधित नामांकन पत्र में किसी लिपिकीय या तकनीकी भूल में सुधार किये जाने की अनुमति देंगे और कहीं आवश्यक हो, तो यह निदेश देंगे कि किसी लिपिकीय या तकनीकी भूलों की अनदेखी की जाय ।

(3) उपनियम (**2)** केखंड (ख) या (ग) में निहित कोई भी बात नामांकन पत्र से संबंधित किसी अनियमितता के आधार पर किसी अभ्यर्थी के नामांकन की अस्वीकृति प्राधिकृत नहीं समझी जायेगी यदि अभ्यर्थी का विधि सम्मत नामांकन किसी अन्य नामांकन पत्र के माध्यम से हुआ है, जिसमें कोई अनियमितता नहीं की गयी है।

(4) निर्वाची पदाधिकारी कोई नामांकन पत्र किसी ऐसी त्रुटि के आधार पर अस्वीकृत नही करेंगे जो कि सारभूत प्रकृति का नहीं हो ।

(5) निर्वाची पदाधिकारी नियम **21** के अधीन इस निमित्त नियम तिथि को संवीक्षा करेंगे और कार्यवाहियों के किसी प्रकार के स्थगन की अनुमति नहीं देंगे सिवाय जब ऐसी कार्यवाहियाँ उनके नियंत्रण से परे कारणों से अंतर्रूद्ध या बाधित न हो जायेः-

परन्तु यह कि निर्वाची पदाधिकारी या उस विशेष कोटि के कोई निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या उसका संबंधित निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा कोई आपत्ति उठायी जाने की स्थिति में उन्हें संवीक्षा के लिए निर्धारित दिन के ठीक अगले दिन ही इस पर खंडन करने के लिए समय दिया जायेगा और निर्वाची पदाधिकारी उस तिथि को अपना विनिश्चय अभिलिखित करेंगे जिस दिन कार्यवाहियाँ स्थगित की गयी ।

(6) निर्वाची पदाधिकारी प्रत्येक नामांकन पत्र पर उसके स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अपना विनिश्चय पृष्ठांकित करेंगे और यदि नामांकन पत्र अस्वीकृत किया जाता है, तो ऐसी अस्वीकृति के अपने कारणों का संक्षिप्त विवरण लिखित में अभिलिखित करेंगे ।

(7) निर्वाची पदाधिकारी धारा**14** की उप धारा (**1)** के खंड (ख) के अधीन अनुक्रमानुसार विभिन्न निर्वाचक मंडलों के नामांकन पत्रों की संवीक्षा शुरू करेंगे ।

(8) विभिन्न निर्वाचक मंडलों के लिए सभी नामांकन पत्रों की संवीक्षा किये जाने और उनकी स्वीकृतिया अस्वीकृति के विनिश्चयों को अभिलिखित किये जाने के तुरंत बाद, निर्वाची पदाधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेंगे जिनके नामांकन प्रपत्र **29** में विधि मान्य पाये गएं।

24. अभ्यर्थिता वापस लेनाः-

(1) कोई अभ्यर्थी नियम **18** के अधीन अधिसूचित तिथि और समय के पहले किसी समय वैयक्तिक रूप से या इस निमित्त प्राधिकृत अपने निर्वाचन अभिकर्त्ता के द्वारा अभ्यर्थिता वापसी की सूचना फॉर्म **30** में निर्वाची पदाधिकारी को लिखित में देते हुए अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकेगा और ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, निर्वाची पदाधिकारी उस परवहतिथिऔर समय पृष्ठांकित करेंगे जब यह सौंपा गया था।

(2) किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दे दी हो, उपनियम (**1**) के अधीन, उस सूचना को प्रत्यावर्तित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

(3) निर्वाची पदाधिकारी प्राप्त उक्त सूचना और इसे देने वाले व्यक्ति की पहचान की प्रामाणिकता से संतुष्ट होने पर प्रत्येक निर्वाचक मंडलों के लिए अलग-अलग प्रपत्र संख्या **31** में 'अभ्यर्थिता की वापसी' नोटिस बोर्ड पर या अपने कार्यालय के सहज दृश्य स्थान पर अधिसूचित करेंगे ।

25. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की तैयारी और प्रकाशनः-

(1) नियम **24** के अधीन अभ्यर्थिता वापस लिये जाने की अवधि के समापन के तुरंत बाद निर्वाची पदाधिकारी प्रत्येक निर्वाचक मंडल से संबंधित प्रपत्र **32** में ऐसे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार उनके पते सहित तैयार करेंगे।

(2) निर्वाची पदाधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने के तुरंत बाद उस सूची की प्रति अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर या सहज दृश्य स्थान पर प्रकाशित करायेंगे या चिपकायेंगे। सूची हिन्दी और उर्दू भाषाओं में भी प्रकाशित की जायेंगी ।

26. पीठासीन पदाधिकारी और मतदान पदाधिकारीः-

(1) निर्वाची पदाधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक पीठासीन पदाधिकारी और जितना वह आवश्यक समझे उतनी संख्या में मतदान पदाधिकारी नियुक्त करेंगे।

(2) मतदान पदाधिकारी, यदि पीठासीन पदाधिकारी द्वारा यथा निदेशित हो, पीठासीन पदाधिकारी के सभी या किसी कृत्यों का निष्पादन करेंगे।

(3) यदि पीठासीन पदाधिकारी अस्वस्थता या अन्य अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण मतदान केन्द्र से अनुपस्थित रहते हैं, तो उनके कृत्यों का निष्पादन ऐसे मतदान पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा जिसे निर्वाची पदाधिकारी द्वारा किसी ऐसी अनुपस्थिति के दरम्यान ऐसे कृत्यों का निष्पादन करने के लिए पहले से प्राधिकृत कर दिया गया है ।

(4) पीठासीन पदाधिकारी से संबंधित इस नियमावली के निर्देश में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, पीठासीन पदाधिकारी से प्राधिकार के अधीन किसी कृत्यों के निष्पादन करने के लिए कोई भी व्यक्ति सम्मिलित समझा जायेगा ।

27. पीठासीन पदाधिकारियों/मतदान पदाधिकारियों के कर्त्तव्यः-प्रत्येक मतदान केन्द्र के पीठासीन पदाधिकारी और मतदान पदाधिकारी का यह देखना कर्त्तव्य होगा किमत दान निष्पक्ष और व्यवस्थित रीति से सम्पन्न हो**,** और इस प्रकार मतदान के संचालन में वे इस नियमावली के अनुसूची**-1** में उप वर्णित सुविस्तृत अनुदेशों से मार्ग दर्शन प्राप्त करेंगे ।

28. उस स्थिति में प्रक्रिया जहाँ अभ्यर्थियों की संख्या सीटों की संख्या के बराबर या उससे कम हैः-

(1) कोई भी मतदान नियम **18** के अधीन निर्गत निर्वाचन की अधिसूचना के अनुसरण में नहीं की जायेगी**,** जब तक कि किसी निर्वाचक मंडल में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निर्वाचक मंडल से भरे जाने वाले सीटों की संख्या से अधिक न हो।

(2) जहाँ किसी निर्वाचक मंडल से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की संख्या निर्वाचक मंडल में भरे जाने वाले सीटों की संख्या के बराबर या कम है**,** तो निर्वाची पदाधिकारी प्रपत्र संख्या **33** में तत्क्षण घोषणा करेंगे किऐ से अभ्यर्थी सीटों को भरने के लिए विधि सम्मत्निर्वाचित हुए है और इसकी सूचना सरकार को भेजेंगे।

29. निर्वाची पदाधिकारी**,** सहायक निर्वाची पदाधिकारी**,** पीठासीन पदाधिकारी और मतदान पदाधिकारी द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रियाः- निर्वाची पदाधिकारी**,** सहायक निर्वाची पदाधिकारी**,** पीठासीन पदाधिकरी और मतदान पदाधिकारी समय-समय पर यथासंशोधित (जब कभी इस नियमावली के उपबंध अपर्याप्त पाये गये हो) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम**1 951 (**केन्द्रीय अधिनियम **43/1951)** के अधीन बनायी गयी निर्वाचन संचालन नियमावली **1961** में यथा अधि कथित प्रक्रिया अपनायेंगे।

30. निर्णायक मतों की रीति और निर्वाचक मंडल की पसंदः-

(1) परोक्षी मतदान की अनुमति धारा **14** की उप धारा (**2)** के अधीन होने वाले किसी भी निर्वाचन में नहीं दी जायेगी ।

(2) जहाँ कोई मतदाता एक से अधिक निर्वाचक मंडलों में मतदाता है**,** वहाँ उसे अपनी पसंद के किसी एक ही निर्वाचन मंडल में मतदान करने की अनुमति दी जायेगी बशर्ते वह मतदान की तिथि से कम-से-कम दो दिन पहले अपनी पसंद के बारे में प्रपत्र संख्या **34** में निर्वाची पदाधिकारी को सूचित करे । निर्वाची पदाधिकारी उस पर उस मतदाता की पसंद के ही निर्वाचक मंडल के लिए मतदाता का नाम प्रतिधारित करेंगे और शेष निर्वाचक मंडलों की निर्वाचक नियमावली से उसका नाम काट देंगे ।

31. मतदान पद्धतिः-

(1) मतदान के प्रयोजनार्थ**,** मतदाता निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दिये गये मतपत्र के साथ बैंगनी स्केच का ही उपयोग करेंगे । वह कोई अन्य कलम**,** पेंसिल**,** बॉलप्वाइंट पेन या कोई अन्य निशान लगाने वाले साधन का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि ऐसी सामग्रियाँ मतपत्र को अविधि मान्य बना देंगी;

(2) मतदान ''अधिमान्यता का क्रम'' चिन्हित स्तम्भ में आकृति "**1"** बनाते हुए उस अभ्यर्थी के नाम के सम्मुख उपबंधित होगा जिसे मतदाता प्रथम अधिमान्यता के रूप में चुनता है ।

(3) मतदाता को उपर्युक्त उपनियम (**1)** में विहित वैसे ही रीति से शेष अभ्यर्थियों के लिए अपनी अधिमान्यता के क्रम में आकृति "**2"** बनाते हुए अपने आगे की अधिमान्यताएं सूचित करनी हैं;

(4) निर्वाचित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या पर विचार किये बिना मतदाता को उतनी ही अधिमान्यताएँ है जितना कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं । उदाहरण स्वरूप, यदि निर्वाचन लड़ने वाले पाँच अभ्यर्थी हैं और केवल दो को निर्वाचित किया जाना है, तो मतदाता अधिमान्यता क्रम में अपनी पसंद के अभ्यर्थियों के विरूद्ध अधिमान्यता चिन्हित कर सकता है;

(5) अधिमान्यता अरबी अंकों अर्थात् **1,2** या यथा ''एक'', "दो''द्वारा सूचित की जाएगी न कि किसी अन्य रीति से;

(6) मतदाता अपनी पहचान प्रकट करने के लिए मतपत्र पर अपना नाम या कोई ऐसा शब्द नहीं लिखेगा, और न तो उस पर अपना हस्ताक्षर या आधाक्षर ही करेगा और न तोउ स पर अँगूठे का निशान लगायेगा;

(7) अभ्यर्थियों के नाम के सममुख ' ' या 'ग्' जैसा चिन्ह लगाना पर्याप्त नहीं है क्योंकि मतदाता को अपना अभिमान्यता क्रम सूचित करना ही होगा;

(8) यदि मतपत्र विधिमान्य किये जाने है; तो यह आवश्यक है कि मतदाता को किसी एक प्रत्याशी के नाम के सम्मुख आकृति ''**1**'' बनाते हुए अपनी प्रथम अधिमान्यता सूचित करनी चाहिए । अन्य अधिमान्यताएँ वैकल्पिक हैं, अर्थात्, मतदाता द्वितीय या अनुवर्ती अधिमान्यता सूचित कर भी सकेगा; नहीं भी;

(9) सभी निर्वाचक मंडलों में निर्वाचन होने की स्थिति में प्रत्येक निर्वाचक मंडलों के लिए अलग-अलग मत पेटिकाएं उपलब्ध करायी जानी हैं;

(10) मतदाता एवं मतदान अभिकर्त्ता मतदान केन्द्रों के अन्दर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं ले जायेंगे; तथा

(11) उपनियम (**10**) का उल्लंघन करते पाए जानेवाले किसी मतदाता या निर्वाचन अभिकर्त्ता का मत अमान्य हो जाएगा तथा इस तरह के भ्रांतमतदाता या निर्वाचन अभिकर्त्ता को मतदान केंद्र पर रहने की अनुमति नहीं होगी ।

32. मतपत्र के रूपः-

(1) प्रत्येक मतपत्र के साथ इसका एक प्रतिपर्ण संलग्न रहेगा और मतपत्र तथा प्रतिपर्ण दोनों पर मतदाता का निर्वाचक नामावली भाग संख्या एवं क्रम संख्या अंकित होगी और उनमें सभी विवरणियाँ हिन्दी, उर्दू तथा अंग्रेजी भाषाओं में होंगी;

(2) मतपत्र पर अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में मुद्रित होंगे जैसा कि वे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को सूची में दिखते हैं;

(3) मतपत्र में प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम के सम्मुख एक कॉलम होगा, जिसमें मतदाता अपनी अधिमान्यता दर्शायेगा;

(4) यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के एक ही नाम हों तो उन्हें उनके व्यवसाय या निवास के अलावा या किसी अन्य तरीके से, जैसा कि निर्वाची पदाधिकारी विहित करें, विभेदित किया जा सकता है;

(5) सभी चार निर्वाचक मंडलों के लिए निर्वाचन होने की स्थिति में निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक कोटि के लिए मतपत्र का रंग निर्दिष्ट किया जाएगा; और

(6) निर्वाची पदाधिकारी मतपत्र के सटीक डिजाइन के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाची पदाधिकारियों के लिए हैंड बुक में दिए गए दिशा-निर्देशों को अपना सकेंगे।

33. मतगणना**,** निर्वाचन के परिणाम एवं प्रतिफल

(1) मतगणना की निश्चित तारीख पर**,** निर्वाची पदाधिकारी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम **1951** के अधीन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मतों की गिनती करवायेंगे;

(2) प्रत्येक निर्वाचक मंडल को निर्वाचन का प्रतिफल फॉर्म **35** में अलग-अलग सौंपा जाएगा;

(3) निर्वाची पदाधिकारी प्रत्येक निर्वाचक मंडल के लिए फॉर्म **36** में सबसे अधिकमत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के निर्वाचित होने की घोषणा करेगा। फॉर्म **35** की एक प्रति सरकार को तथा झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को भेजी जानी चाहिए;

(4) मतगणना के समय अभ्यर्थी या उसका अभिकर्त्ता वहां उपस्थित रहने का हकदार होगा ।

(5) कोई मतपत्र अविधि मान्य है यदि**,-**

(क) आकृति '**1'**, **'2'** अथवाशब्द 'एक'**,** 'दो'चिह्नितनहींहै**;** या

(ख) आकृति '**1'**, **'2'** या शब्द 'एक'**,** 'दो' को एक से अधिक या अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख चिन्हित किया गया या इसे ऐसे चिन्हित किया गया जिससे भ्रम की स्थिति बन जाए और निश्चित रूप से पता न चले कि किस अभ्यर्थी के नाम के सम्मुख इसे चिन्हित करने का इरादा था;

(ग) एक ही अभ्यर्थी के नाम के सम्मुख आकृति '**1'**, **'2'** या शब्द 'एक'**,** 'दो'तथा कुछ अन्य आकृतियाँ हों**;** या

(घ) लिखित में किसी प्रकार का चिन्ह अंकित हो जिससे मतदाता की पहचान की जा सकती है**;**

(ङ) प्रथम अधिमान्यता को अस्पष्ट करने के उद्देश्य से किसी प्रकार का विलोपन**,** अभिलोपन**,** अपमार्जन या विकृति हो।

34. कोटा का अभिनिश्चयन: किसी भी निर्वाचन में जहां एक से अधिक सीटों को भरा जाना है**,** प्रत्येक विधि मान्यमत पत्र सौ के मूल्य का समझा जाएगा तथा निर्वाचन में अभ्यर्थी के प्रतिफल को सुरक्षित रखने के लिए यह पर्याप्त कोटा निम्नलिखित रूप से निर्धारित किया जाएगा**,** यथा-

(1) निर्वाचन संचालन नियमावली **1961** के नियम **74** के खंड (ग) के अधीन सभी अभ्यर्थियों के आकलित मूल्यों को जोड़ दिया जाए;

(2) कुल जोड़ को भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के **1 (**एक) अधिक से विभाजित कर दिया जाए**;**

(3) शेष**,** यदि कोई हो**,** को नजर अंदाज कर भागफल में एक जोड़ने पर परिणामी संख्या वह कोटा होगा**;**

35. कोटा से निर्वाचित अभ्यर्थीः-यदि किसी भी गणना के अंत में या किसी अपवर्जित अभ्यर्थी के किसी पार्सल अथवा उप-पार्सल के अंतरण के अंत में किसी अभ्यर्थी के नाम से संबंधित मतपत्रों का मूल्य कोटा के बराबर या उससे अधिक है तो उस अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित किया जाएगा ।

36. अधिशेष अंतरण

(1) यदि किसी गणना के अंत में किसी अभ्यर्थी को आकलित मतपत्रों का मूल्य कोटा से अधिक हो जाता है**,** तो वह अधिशेष इस नियम के उपबंधों के अनुसार उस निरंतर अभ्यर्थी को अंतरित हो जाएगा जो निर्वाचक की अधिमान्यता के क्रम में उस अभ्यर्थी के अगले क्रम के अभ्यर्थी के रूप में उन मतपत्रों पर दर्शाए गए हैं ।

(2) यदि एक से अधिक अभ्यर्थी को अधिशेष है तो सबसे बड़ा अधिशेष परिमाण के क्रम में प्रथम एवं अन्यों के साथ तकसीम किया जाएगा**;** परन्तु यह कि प्रथम गणना से सामने आये प्रत्येक अधिशेष को द्वितीय गणना से सामने आने वाले अधिशेष से पहले और आगे इसी क्रम से तक सीम किया जाएगा ।

(3) जहां तक सीम करने के लिए एक से अधिक अधिशेष है और दो या दो से अधिक अधिशेष बराबर है तो प्रत्येक अभ्यर्थी के मूलमतों के आधार पर वैसे अभ्यर्थी**,** जिसके लिए अधिकतम मूलमत अभिलिखित है**,** को प्रथम तकसीम अपना अधिशेष होगा**;** और यदि उनके मूलमतों के मूल्य बराबर है**,** तो निर्वाची पदाधिकारी लॉट के द्वारा विनिश्चय करेंगे कि किस अभ्यर्थी को प्रथम तक सीम अपना अधिशेष होगा।

(4) (क) यदि किसी अभ्यर्थी को अंतरित किए जाने वाले अधिशेष केवल मूलमतों से सामने आता है**,** तो निर्वाची पदाधिकारी उस अभ्यर्थी के पार्सल के सभी कागजात देखेंगे**,** और उन कागजात पर अभिलिखित अगले अधिमान्यताओं के अनुसार अनिश्शोषित कागजात को उप-पार्सल में तकसीम करेंगे और आमनिश्शोषित कागजात का एक अलग उप-पार्सल बनायेंगे।

(ख) वे प्रत्येक उप-पार्सल के कागजात और सभी अनिश्शोषित कागजात का मूल्य अभिनिश्चित करेंगे ।

(ग) यदि अनिश्शोषित कागजात का मूल्य अधिशेष के बराबर या उससे कम है**,** तो वे उस मूल्य पर सभी अनिश्शोषित कागजात को अंतरित करेंगे जिस पर उस अभ्यर्थी द्वारा उन्हें प्राप्त किया गया था जिनका अधिशेष अंतरित किया जा रहा है**;** और

(घ) यदि अनिश्शोषित कागजात का मूल्य अधिशेष से अधिक है**,** तो वे अनिश्शोषित कागजात के उप-पार्सलों को अंतरित करेंगे और वह मूल्य जिस पर प्रत्येक कागज अंतरित किया जाएगा**,** अनिश्शोषित कागजात को कुल संख्या से अधिशेष को तकसीम करते हुए अभिनिश्चित किया जाएगा।

(5) यदि किसी अभ्यर्थी को अंतरित किए जाने वाला अधिशेष अंतरण औ रमूलमतों से सामने आता है**,** तो निर्वाची पदाधिकारी उस अभ्यर्थी को अंत में अंतरित उप-पार्सल के सभी कागजात देखेंगे**,** उन कागजात पर अगला अधिमान्यताओं के अनुसार अनिश्शोषित कागजात को उप-पार्सल में तकसीम करेंगे**,** और तब इन उप-पार्सलों का निपटान उसी रीति से करेंगे जैसा कि उप-नियम-**4** में उप-पार्सल अंतरित की दशा में उपबंधित है।

(6) प्रत्येक अभ्यर्थी को अंतरित कागजात ऐसे अभ्यर्थी के पहले से कागजात में उप-पार्सल के रूप में जोड़ दिया जाएगा ।

(7) इस नियम के अधीन किसी निर्वाचित अभ्यर्थी को अंतरित नहीं किए गए सभी कागजात अंतिम रूप से निपटान किए गए के रूप में अलग रखा जाएगा ।

37. न्यूनतम मतांकन पर अभ्यर्थी का अपवर्जनः-

(1) यदि जैसा कि इसमें पहले उपबंधित है उसके अनुसार सभी अधिशेषों को अंतरित किए जाने के पश्चात्निर्वाचित अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षित संख्या से कम है, तो निर्वाची पदाधिकारी न्यूनतम मतांकन के अभ्यर्थी को मतदान से अपवर्जित कर देगा और उसके अनिश्शोषित कागजात को उस पर अभिलिखित अगली अधिमान्यताओं के अनुसार निरंतर अभ्यर्थियों के बीच तकसीम कर देगा; और किसी भी निश्शोषित कागजात को अंतिम रूप से निपटान किए गए के रूप में अलग रखा जाएगा ।

(2) एक अपवर्जित प्रत्येक कागज के मूलमतों के अंतर्विष्ट कागजात के मूल्य एक सौ हैं ।

(3) एक अपवर्जित अभ्यर्थी के अंतरित मतों के अंतर्विष्ट कागजात तब अंतरणों के क्रम में उस मूल्य पर अंतरित किया जाएगा जिस मूल्य पर वह प्राप्त करता है।

(4) ऐसा प्रत्येक अंतरण एक अलग अंतरण समझा जाएगा, न कि एक अलग गणना।

(5) यदि कागजात के अंतरण के परिणामस्वरूप अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मतों का मूल्य कोटा के बराबर या उससे अधिक है, तो गणना संबंधी कार्यवाही तब पूरी की जाएगी लेकिन अब आगे कोई कागजात उसे अंतरित नहीं किया जाएगा।

(6) इस नियम द्वारा निर्देशित प्रक्रिया न्यूनतम मतांकन के अभ्यर्थियों पर एक के बाद दूसरे पर उतरोत्तर अपवर्जन करते हुए बार-बार की जाएगी जब तक कि ऐसी रिक्तिया तो कोटा के अभ्यर्थी के निर्वाचन द्वारा न भरी जाए या जैसा कि इसमें इसके बाद जैसा उपबंधित है उस प्रक्रिया द्वारा न भरी जाए ।

(7) यदि किसी समय किसी अभ्यर्थी को अपवर्जित करना आवश्यक हो जाता है और दो या अधिक अभ्यर्थियों को समान मूल्य के मत हैं जो न्यूनतम मतांकन है तो प्रत्येक अभ्यर्थी के मूलमतों के आधार पर वैसे अभ्यर्थी जिनका कुछ तो मूलमत अभिलिखित है, को अपवर्जित किया जाएगा; और यदि उन के मूलमतों के मूल्य बराबर हैं, तो सबसे पहले की गणना में, जिसमें इन अभ्यर्थियों को बराबर मूल्य नहीं थे, सबसे कम मूल्य वाले अभ्यर्थियों को अपवर्जित किया जाएगा ।

(8) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों को न्यूनतम मतांकन है और सभी गणनाओं में प्रत्येक को प्राप्त मतों के मूल्य समान है तो निर्वाची पदाधिकारी लॉट द्वारा यह विनिश्चय करेंगे कि किस अभ्यर्थी को अपवर्जित किया जाएगा ।

38. निर्वाचित अभ्यर्थियों को प्रमाण-पत्र प्रदान करनाः-

किसी अभ्यर्थी के निर्वाचित किए जाने की घोषणा जैसे ही हो**,** यथाशीघ्र निर्वाची पदाधिकारी ऐसे अभ्यर्थी को फॉर्म **37** में निर्वाचन प्रमाण-पत्र प्रदान करेंगे और अभ्यर्थी द्वारा विविधवत्त हस्तक्षरित अभिस्वीकृति प्राप्त करने के बाद तुरत प्रत्येक निर्वाचक मंडल की दशा में फॉर्म **35** में परिणाम की प्रति उस अभिस्वीकृति सहित सरकार को भेजेंगे ।

39. राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाने वाले विद्वानः-

(1) अधिनियम की धारा **14** की उपधारा (**1**) के खंड (घ) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सुन्नी विद्वान को किसी प्रमुख इस्लामिक शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त मुफ्ती के अन्यून स्तर का प्रमाण-पत्र होना चाहिए**;** या

(2) अधिनियम की धारा **14** की उपधारा (**1**) के खंड (घ) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा मनोनीत शिया विद्वान को एक प्रमुख मान्यता प्राप्त विद्वान की नियुक्ति किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/प्रमुख इस्लामिक शिक्षण संस्थान से इस्लामिक धर्मशाला में स्नातकोत्तर/हुज्जत्उल-इस्लाम की उपाधि रहने पर होना चाहिए ।

40. सरकार द्वारा अधिसूचनाः-

राज्य सरकार विभिन्न निर्वाचक मंडलों के अधीन सम्बन्धित झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन परिणामों की प्राप्ति होने के दो सप्ताह के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के सदस्यों के रूप में धारा **14** की उप-धारा (**1**) के खंड (ख) के अधीन चार निर्वाचन मंडलों से निर्वाचित सदस्यों और धारा **14** की उप-धारा (**1**) के खंडों (ग)**,** (घ) तथा (ङ) के अधीन मनोनीत अन्य सदस्यों के नामों से संबंधित अधिसूचना फॉर्म **38** में निर्गत करेगी ।

41. अध्यक्ष का निर्वाचन

(1) जब कभी भी बोर्ड का गठन या पुनर्गठन किया जाए**,** तो राज्य सरकार फॉर्म **39** में कम-से-कम पूरे सात दिन पहले सदस्यों को अध्यक्ष निर्वाचित करने हेतु आहूत की जानेवाली बोर्ड की प्रथम बैठक की नोटिस देते हुए एक तिथि निर्धारित करेगी । उस नोटिस में बैठक का समय और स्थान का भी विवरण होगा ।

(2) जब कभी भी बोर्ड के अध्यक्ष की रिक्ति इस्तीफा**,** निष्वासन**,** मृत्यु या अन्य कारण से हो**,** उप-नियम (**1**) में यथा विहित अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया अपनायी जाएगी ।

(3) अध्यक्ष का निर्वाचन अनुसूचित जनजाति**,** अनुसूचित जाति**,** अल्प संख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रधान सचिव या राज्य सरकार द्वारा प्रति नियुक्ति समान स्तर के किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा उप-धारा (**1**) के अधीन आयोजित बैठक में गुप्त मतदान कोड द्वारा किया जाएगा । बैठक की कार्यवाहियाँ अभिलिखित की जाएगी और कार्यवृत्त लिखा जाएगा ।

(4) अध्यक्ष के निर्वाचन के तुरंत बाद**,** सरकार धारा **14** की उप-धारा (**8**) के अधीन झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित सदस्य के नाम से संबंधित अधिसूचना फॉर्म **40** में निर्गत करेगी।

अध्याय- IV

बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति, उनके कर्त्तव्य और उनकी शक्तियाँ

42. बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्तिः-

(1) बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के उपसचिव से अन्यून स्तर के अल्प संख्यक मुस्लिम पदाधिकारी, जिन्हें उर्दू भाषा का ज्ञान हो, में से नियुक्ति के द्वारा की जाएगी ।

(2) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के पद के लिए नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल सामान्यतःतीन वर्षो का होगा, जिसे बोर्ड के परामर्श से पाँच वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा ।

43. धारा **26** के अधीन बोर्ड के आदेशों और संकल्पों से संबंधित मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की शक्तियाः- अधिनियम की धारा **26** के अधीन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के आपत्ति टिप्पणी को ऐसे संकल्प के **7** दिनों के अन्तर्गत बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रेषित किया जाएगा और बोर्ड अगली बैठक में या ऐसी आपत्ति की तिथि से **60** दिनों के अन्तर्गत इस पर विनिश्चय करेगा ।

44. वक्फ से जुड़े किसी लोक कार्यालय के अभिलेखों; रजिस्टरों या अन्य दस्तावेजों या वक्फ की चल सम्पत्तियों और अचल सम्पत्तियों या धारा **29** के अधीन वक्फ सम्पत्तियों के रूप में दावे की गई सम्पत्तियों का निरीक्षण-

(1) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी या उनके द्वारा इस निमित्त विधिवत्त प्राधिकृत बोर्ड का कोई अन्य पदाधिकारी अधिनियम की धारा **29** के अधीन वक्फ की चल और अचल संपत्ति से संबंधित अभिलेखों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों के निरीक्षण के प्रयोजनार्थ सम्बद्ध प्राधिकार को फॉर्म **41** में आवेदन करेगा; सम्बद्ध प्राधिकार वक्फ अधिनियम की धारा **28** के अधीन एक सरकारी कर्त्तव्य के रूप में उक्त निरीक्षण में सहूलियत देने के लिए बाध्य होगा ।

(2) संबंधित प्राधिकार द्वारा चल एवं अचल वक्फ संपत्तियों से संबंधित कथित अभिलेखों, रजिस्टरों, दस्तावेजों को मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी या इस निमित्त विधिवत्त प्राधिकृत बोर्ड के किसी अन्य पदाधिकारी को प्रस्तुत करने से इन्कार की दशा में, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सम्बद्ध पदाधिकारी द्वारा कर्त्तव्य की अवहेलना हेतु विभागीय कार्यवाही की शुरूआत करने और निरीक्षण के लिए कथित दस्तावेजों, अभिलेखों, रजिस्टरों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अनुरोध के साथ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के माध्यम से राज्य सरकार को रिपोर्ट करेंगे ।

(3) राज्य सरकार मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से रिपोर्ट की प्राप्ति पर सम्बद्ध पदाधिकारी द्वारा ऐसी कर्त्तव्य अवहेलना पर विभागीय कार्रवाई शुरू करेगी, साथ ही सम्बद्ध प्राधिकार को राज्य सरकार के निदेश की प्राप्ति से **15** दिनों के अन्तर्गत निरीक्षण हेतु कथित दस्तावेज उसे प्रस्तुत करने का भी निदेश देगी ।

(4) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी या बोर्ड के किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा सम्बद्ध प्राधिकार से चलया अचल सम्पत्ति के किसी ऐसे अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज को प्रमाणित या अधिप्रमाणित प्रति की अपेक्षा किए जाने की दशा में ऐसा पदाधिकारी आवश्यक शुल्क की प्राप्ति पर अपेक्षित अभिलेखों, रजिस्टरों या दस्तावेजों की प्रति की आपूर्ति करेगा ।

45. दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमाः- मुतवल्ली, सरकारी कार्यालय, वक्फ संपत्तियों से संबंधित दस्तावेजों की अभिरक्षा करने वाले संगठन या कोई अन्य व्यक्ति अपेक्षित सामग्री दस दिनों के अंतर्गत मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

46. धारा **30** की उप-धारा (**1**) के अधीन शर्तों जिसके अध्यधीन बोर्ड की कार्यवाही और अन्य अभिलेखों से संबंधित प्रमाणित प्रतियों की आपूर्ति की अनुमति दी जा सकेगी

(1) बोर्ड या मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी फॉर्म **41 (**क) में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी या बोर्ड द्वारा इस निमित्त विधिवत्त प्राधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी को आवेदन करने पर अपनी कार्यवाहियों और अपनी अभिरक्षा के अन्य अभिलेखों के निरीक्षण की अनुमति दे सकेगा । प्रत्येक ऐसे आवेदन में निरीक्षण किए जाने हेतु माँगें गए अभिलेखों के ब्यौरे का विशेष रूप से उल्लेख होगा ।

(2) आवेदन की प्राप्ति पर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी या उप-नियम (**1**) के अधीन बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी सदभावी व्यक्तियों को निरीक्षण की अनुमति प्रदान कर सकेगा।

(3) समय-समय पर यथा विहित शुल्क के भुगतान पर उप-नियम (**1**) के अधीन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा नामित बोर्ड के पदधारी या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन बोर्ड की कार्यवाहियों या अन्य अभिलेखों का निरीक्षण कराया जाएगा ।

(4) किसी भी कार्यवाही या अन्यदस्तावेजों/अभिलेखों की प्रमाणित प्रति को प्राप्त करने को इच्छुक कोई व्यक्ति मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी या बोर्ड द्वारा इस निमित्त विधिवत्त प्राधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी को फॉर्म **41 (**ख) में अपेक्षित कार्यवाहियों या अभिलेखों/दस्तावेजों के विनिर्दिष्ट ब्यौरे देते हुए और विहित शुल्क के साथ प्रमाणित प्रतियाँ प्रदान करने के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(5) बोर्ड का कार्यालय उक्त कार्यवाही, दस्तावेजों/अभिलेखों की अपेक्षित प्रति तैयार करेगा और इसका मिलान मूल से करेगा, फिर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी इसे निम्नलिखित रीति से सत्यापित करेगा और इस पर हस्ताक्षर कर मुहर लगायेगा:

"भारतीय साक्ष्य अधिनियम, **1872** की धारा **76** के अधीन यह सत्यापित किया जाता है कि मूल दस्तावेज या उसके भाग **1** की सच्ची प्रतिलिपि है।''

सत्यापन अधिकारी का हस्ताक्षर

दिनांक और मुहर सहित

(6) उपनियम (**5**) के अधीन इस प्रकार से तैयार सत्यापित प्रति आवेदक या उसके अभिकर्ता को आवेदन की प्राप्ति के एक सप्ताह के अंतर्गत प्रदान की जाएगी और प्राप्तक कर्ता ऐसी प्राप्ति पर हस्ताक्षर करेगा ।

(7) किसी भी दशा में बोर्ड की किसी कार्यवाही या किसी अभिलेख की सत्यापित प्रति डाक से नहीं भेजी जाएगी ।

47.धारा **32 (2) (**ञ) सपठित धारा **51,** धारा **99 (2) (**ग) एवं धारा **104 (**क) तथा (ख) के अधीन बोर्ड द्वारा वक्फ सम्पत्तियों के अंतरण से संबंधित शर्त्तों एवं प्रतिबंध:

(1) बोर्ड वक्फ की अचल संपत्ति के उपहार, विक्रय, बंधक के माध्यम से किसी अंतरण, वक्फ की सम्पत्ति के किसी विनिमय, तीन वर्षों से अधिक के किसी पट्टा या बंदोबस्ती के किसी प्रकार की मंजूरी नहीं देगा और इसमें वे मामले भी सम्मिलित हैं जब वक्फ अधिनियम, **1995** की धारा **99 (2)** के अधीन विशेष पदाधिकारी द्वारा ऐसे उपहार, विक्रय, बंधक, विनिमय और पट्टा और बंदोबस्ती के किसी प्रकार की मंजूरी दी जानी हो ।

परंतु यह कि बोर्ड वक्फ संपदा के नाम से वक्फ संपत्ति पर अस्पताल, विद्यालय, मदरसा, छात्रावास आदि के निर्माण के लिए राज्य सरकार के पक्ष में मंजूरी दे सकेगा।

परंतु यह और कि ऐसी मंजूरी वक्फनामा/वक्फ अधिदेश के विरोध में नहीं होगी और ऐसे स्थापित अस्पताल, विद्यालय, मदरसा, छात्रावास आदि का प्रबंधन वक्फ संपदा प्रबंधन के सीधे नियंत्रण में होगा ।

(2) मुतवल्ली/प्रबंधन समिति के सचिव के द्वारा ऐसी मंजूरी के लिए शपथ पत्र और बोर्ड द्वारा यथावश्यक समझे गए विशिष्टियों के साथ बोर्ड को आवेदन किया जाएगा ।

(3) जहाँ बोर्ड वक्फ सम्पदा पर अस्पताल, विद्यालय, मदरसा, छात्रावास आदि के निर्माण के लिए मंजूरी देने का इरादा रखता हो, यह वक्फ के मुतवल्ली/प्रबंधन समिति के सचिव को ऐसा करने के लिए अपने इरादे की नोटिस की तामीला या तो व्यक्तिगत सेवा द्वारा या बाजाप्ता अभिस्वीकृति सहित निबंधित डाक द्वारा उसे भेज कर करायी जाएगी।

(4) उप-नियम (**3)** में निर्दिष्ट प्रत्येक नोटिस एक अवधि विनिर्दिष्ट करेगी जो नोटिस की तिथि से **45** दिनों से कम का नहीं होगा, और इस अवधि के अधीन वक्फ सम्पत्तियों में रूचि रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा कोई आत्तियों या सुझाव दिया जा सकेगा और जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियाँ अंतर्विष्ट होंगे, यथा:-

(क) वक्फ सम्पत्तियों से संबंधित किए जाने वाले प्रस्तावित अंतरण की प्रकृति;

(ख) वक्फ सम्पत्ति का सही विवरण जिसमें सर्वेक्षण संख्या, विस्तार, चौहद्दी और वार्ड संख्या, भूखंड संख्या और मकान संख्या, यदि सम्पत्ति नगरपालिका क्षेत्र में हो;

(ग) वक्फ सम्पत्ति पर मूल्यांकित राजस्व जो कि भूमि राजस्व या सम्पत्ति कर आदि हों;

(घ) वक्फ सम्पत्ति के विरूद्ध ऋणभार विल्लंगम, यदि कोई हो; तथा

(ङ) अस्पताल, विद्यालय, मदरसा, छात्रावास आदि के निर्माण के लिए ऐसी अनुमति की मंजूरी की शर्त्तों और वक्फ संपदा के पक्ष में ऐसी वक्फ सम्पत्ति के प्रबंधन को सौंपने के प्रस्ताव।

(5) प्रस्तावित अंतरण के संबंध में प्राप्त सभी आपत्तियों या सुझावों पर बोर्ड द्वारा इस बाबत मंजूरी का आदेश पारित करने के पूर्व, यदि आवश्यक हो, तो जाँच किए जाने के बाद सम्यक रूप से विचार

किया जाएगा, जाँच की दशा में सम्बन्धित पक्षकारों को **7** दिनों के अन्दर अपनी बात व्याख्यायित करने से संबंधित एक नोटिस दी जाएगी ।

(6) मुतवल्ली या प्रबंधन समिति के सचिव जो काई भी हो वक्फ की किसी अचल सम्पत्ति को प्रस्तावित मंजूरी के लिए दो प्रत्तियों में विलेख का प्रारूप तैयार करवाएगा और इसे बोर्ड के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो इसे तुरंत इसके बाद
आयोजित की जानेवाली बोर्ड की बैठक में अनुमोदनार्थ उपस्थापित करेगा और उक्त प्रारूप और प्रस्ताव का अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों की कुल संख्या के कम-से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा किया जाएगा । तदुपरांत मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी उक्त प्रारूप की एक प्रति मुतवल्ली/सचिव को भेजेंगे ।

(7) ऐसे अस्पताल, विद्यालय, मदरसा, छात्रावास आदि का निर्माण होने पर निर्मित संस्थान का प्रबंधन वक्फ सम्पदा के प्रबंधन को सौंप दिया जाएगा ।

(8) बोर्ड सरकार द्वारा विकास के पैटर्न पर ऐसे अभिकरण के माध्यम से ऐसी सम्पत्ति का यथा ऊपरदर्शित विकास कर सकेगा और अस्पताल, विद्यालय, मदरसा, छात्रावास आदि का प्रबंधन तथा नियंत्रण वक्फ सम्पदा के प्रबंधन को सौंप दिया जाएगा ।

48. धारा **32 (2)(**घ) के अधीन प्रबंधन योजना

इन वक्फ नियमावली के प्रारंभ होने की तिथि से छः माह के अंतर्गत औकाफ, ऐसे औकाफ से भिन्न और के सिवाय, जिनके वाकिफ द्वारा अपने वक्फ विलेख (वक्फनामा) हों, अधिनियम की धारा **32** की उप-धारा (**2)** के खंड (घ) के अधीन यथा अपेक्षित प्रबंधन योजना फॉर्म **42** में बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित बनाएगा, ऐसा नहीं करने पर जिला कल्याण पदाधिकारी-सह-वक्फ नोडल पदाधिकारी या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी वक्फ संस्था का प्रबंधन और पर्यवेक्षण का कार्य भार संभालेगा और जिला कल्याण पदाधिकारी-सह-वक्फ नोडल पदाधिकारी ऐसे प्रभार ग्रहण से **3** महीने की अवधि के अंतर्गत प्रबंधन योजना बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा । प्रबन्धन योजना का अनुमोदन करते समय बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि प्रबंधन योजना वक्फ की प्रकृति के अनुरूप हो।

49. धारा **32 (2) (**छ) के अधीन मुतवल्ली/प्रबंधन समिति का चयन/नियुक्ति

(1) बोर्ड वक्फ की इच्छाओं की सम्पूर्ण संसक्ति में और अधिनियम की धारा **32** की उप-धारा (**2)** केखंड (छ) के अधीन प्रदशक्तियों का प्रयोग करते हुए बिना किसी विचलन से प्रबंधन-योजना में विरचित उपबंध के अनुरूप, इस नियमावली के अध्याय **v** के अधीन यथा उपबंधित, औकाफ के प्रबंधन-योजना को फॉर्म **42** में बनाने हेतु मुतवल्ली की नियुक्ति और वक्फ सम्पदा की प्रबंधन समिति का गठन करेगा ।

50. धारा **39** की उप-धारा (**1)** के अधीन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा की जानेवाली जाँच की रीति :-

(1) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी प्रत्येक ऐसे मामले में जहाँ धारा **39** के अधीन जाँच का आदेश दिया गया हो, वक्फ के संबंध में रूचि रखने वाले सभी व्यक्तियों को उनकी आपत्तियों के लिए बुलावा का पहली बार में नोटिस फॉर्म **43** में जारी करेगा ।

(2) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी तब पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पर विचारोपरान्त एक संक्षिप्त जाँच करने की कार्यवाही करेगा और सकारण आदेश पारित करेगा।

(3) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी**,** हिताधिकारी या कोई अन्य इच्छुक व्यक्ति**,** इसके बाद ऐसे भवन या अन्य स्थान के कब्जे को वापस दिलाने का निदेश देने हेतु न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन दाखिल कर सकेगा ।

51. धारा **40** के अधीन जाँच की रीति

(1) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी धारा **40** की उप-धारा (**1)** के प्रयोजन हेतु किसी संपत्ति से संबंधित जानकारी स्वयं प्राप्त कर सकेगा या किसी व्यक्ति से कोई जानकारी फॉर्म **44** में प्राप्त कर सकेगा ।

(2) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा धारा **40** की उप-धारा (**3)** के अधीन जाँच नियम **50** के उपनियम (**2)** में यथा निर्धारित रीति से होगी ।

(3) प्राधिकृत पदाधिकारी बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद (**i**) यथा स्थिति न्यास या सोसाइटी से किसी सम्पत्ति का फॉर्म **45** में वक्फ सम्पत्ति के रूप में दर्ज करने की अपेक्षा करेगा या फॉर्म **46** में 'कारण बताओ' नोटिस जारी करेगा**;** और (**ii**) बोर्ड की ओर से मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अधिनियम की धारा **37** के अधीन संधारित औकाफ के रजिस्टर में अधिनियम की धारा **40** के अनुरूप प्रत्येक आवश्यक प्रविष्टि करवाने की कार्रवाई करेगा ।

52. इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पहले रजिस्ट्रीकृत औकाफ: धारा **43** के निबंधनों के अनुसार बोर्ड सरकारी राजस्व अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टियाँ करवाने के लिए विहित फॉर्म में सक्षम सरकारी पदाधिकारी को लिखकर इस नियमावली के नियम **8** यथा उपबंधित रीति से कार्रवाई करेगा और सरकारी पदाधिकारी वैधानिक कर्त्तव्य के अधीन उसका अनुपालन और राजस्व अभिलेखों विशेष रूप से रजिस्टर-**2** में आवश्यक प्रविष्टि करेगा ।

अध्याय-V

मुतवल्ली की अर्हता, **नियुक्ति**, **कर्त्तव्य और निष्कासन**

53. मुतवल्ली की अर्हता: वक्फ नामा और वाकिफ की इच्छाओं में अंतर्निहित किसी बात के होते हुए भी**,** मुतवल्ली या किसी वक्फ संस्था की प्रबंधन समिति के सदस्य को सामान्यतः निम्नलिखित अर्हताएं होगी**,** यथा

(1) वह यह स्वीकार करते हुए इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति होगा कि अल्लाह एक ही हैं और मुहम्मद उनके पैगंबर हैं**;**

(2) वह व्यस्क होगा**;**

परन्तु यह कि**,** वक्फ अलाल औलाद की स्थिति में**,** यदि मुतवल्ली अवयस्क है**,** अभिभावक मुतवल्ली के व्यस्क होने तक मुतवल्ली की ओर से वक्फ का प्रबंधन करेगा ।

(3) वह स्वस्थ चित्र का होगा और मुतवल्ली के कृत्यों का निर्वहन और कर्त्तव्यों का निष्पादन करने में सक्षम होगा ।

(4) उसे आपराधिक विश्वास-भंग के किसी अपराध या नैतिक अधमता के किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध न ठहराया गया है और ऐसी दोष सिद्धि को उत्क्रमित न किया गया हो और उसे ऐसे अपराध के संबंध में पूरी माफी न दी गई हो ।

(5) उसके पास उर्दू और हिन्दी/अंग्रेजी का कार्य साधक ज्ञान और औकाफ के प्रबंधन का प्रशासनिक ज्ञान होगा ।

(6) उसे किसी विद्यमान पट्टा/काश्तकारी या किए गए किसी अनुबंध में**,** या चल रहे किसी कार्य में कोई परोक्ष या प्रत्यक्ष अभिरूचि नहीं होगी और उस वक्फ संस्था का कोई बकाया उस पर लंबित नहीं हो जिसका वह मुतवल्ली नियुक्त किया जाना है**;** और

(7) उसके द्वारा अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के दरम्यान इस अधिनियम**,** नियमावली और शर्तों के किसी उपबंध को अतिक्रमित या भंगन किया गया हो ।

परन्तु यह कि अधिनियम की धारा **3** के उप-खंड (i) के तृतीयक परन्तुक में विनिर्दिष्ट अर्हता एंव क्फ-विलेख के अनुरूप होगी और परन्तु यह कि यह इस्लाम के सिद्धान्तों के प्रतिकूल न हो।

परन्तु यह और कि पूर्वोक्त अर्हताएं वक्फ अलल-औलाद सम्पत्ति के वक्फनामा में यथा विहित प्रशासक या मुतवल्ली के संबंध में लागू नहीं होगी ।

54. मुतवल्ली या प्रबंधन समिति की नियुक्तिः-

(1) संबंधित वाकिफ अधिदेश/वक्फनामा तौलियत या वक्फ सम्पदा प्रबंधन के नये तैयार स्कीम के अनुसार अग्रसारित प्रस्तावों की प्राप्ति पर बोर्ड धारा **32** की उप-धारा (**2)** के खंड (छ) के अधीन मुतवल्ली को या तो नियुक्त या उसके चयन/निर्वाचन का अनुमोदन या प्रबंधन समितियों का गठन करेगा ।

(2) ऐसी समितियाँ तत्पश्चात्त समिति के कार्यकाल के समापन के तीन महीने पूर्व अनुमोदित प्रबंधन स्कीम के अनुरूप उत्तरवर्ती समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू करेगी और समिति के कार्यकाल के समापन के पूर्व दो महीने के अंतर्गत उत्तरवर्ती समितियों के गठन की समूची प्रक्रिया पूरी करेगी ।

(3) संबंधित जिला की जिला औकाफ समिति और जिला कल्याण पदाधिकारी-सह-वक्फ नोडल पदाधिकारी सम्बन्धित जिला के वक्फ सम्पदा की समितियों के गठन के संबंध में जनतांत्रिक रीति को तरजीह देते हुए उत्तरवर्ती समिति की नियुक्ति/गठन की प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करेंगे।

(4) विद्यमान समिति द्वारा नियम **54** के उप-नियम (**2)** के अधीन विहित समयान्तर्गत उत्तरवर्ती समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू करने और उसे पूरा करने में विफल रहने की स्थिति में जिला कल्याण पदाधिकारी-सह-वक्फ नोडल पदाधिकारी विद्यमान समिति के कार्यकाल के समापन के पूर्व दो माह के अंतर्गत ऐसी प्रक्रिया शुरू करेंगे और विद्यमान समिति के कार्यकाल के समापन के पूर्व अनिवार्य रूप से इस प्रक्रिया पूरी करेंगे ।

(5) यदि किन्हीं कारणों से उत्तरवर्ती समिति का गठन या नियुक्ति नहीं की जाती है तो ऐसे वक्फ संस्थान का प्रबंधन और पर्यवेक्षण संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी-सह-वक्फ नोडल अधिकारी के साथ स्वतः ही निहित हो जाएगा अथवा बोर्ड द्वारा प्राधिकृत/विधिवत नियुक्त कोई अन्य पदाधिकारी झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित कार्यों और कर्तव्यों को पूरा करेगा । जिला औकाफ समिति जिला कल्याण पदाधिकारी-सह-वक्फ नोडल पदाधिकारी की सहायता से तीन महीने के अंदर उत्तरवर्ती समिति को गठन करवाने की कार्रवाई करेगा ।

परन्तु यदि जिला कल्याण पदाधिकारी-सह-वक्फ नोडल पदाधिकारी समिति की अवधि की समाप्ति के पूर्व दो माह के अन्दर वक्फ समिति के चयन/निर्वाचन हेतु तत्परता पूर्वक कार्रवाई करने में विफल रहता है तो कार्यरत समिति नयी समिति के गठन होने तक बनी रहेगी।

(6) नयी समिति के गठन के पश्चात् अथवा पुरानी समिति की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उसे ऐसी वक्फ संस्था के प्रबंधन की कोई शक्ति या प्राधिकार नहीं होगा जिसमें बैंक खाता का संचालन शामिल है ।

55. मुतवल्ली की नियुक्तिः-

(1) नियुक्ति को अनुमोदित करने/मुतवल्ली को नियुक्त करते समय बोर्ड वक्फ के विलेख (वक्फनामा) के आदेश का समय का ध्यान रखेगा**,** जिसमें मुतवल्ली की नियुक्ति**,** उसकी रीति तथा उत्तराधिकार है।

(2) यदि मुतवल्ली के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है अथवा वह वक्फ नामा के अनुसार कार्य करने से इनकार करता है अथवा वह इस अधिनियम के अधीन हटा दिया जाता है अथवा यदि मुतवल्ली का पद अन्यथा रिक्त हो जाता है तथा उत्तराधिकार विफल हो जाता है तो नियम **53** के अनुसार उनसे अलग मुतवल्ली की नियुक्ति की जाएगी ।

(3) उत्तराधिकार पर नियुक्ति का अनुमोदन करते समय बोर्ड निम्नलिखित का समय का ध्यान रखेगा**;** अर्थात्

(क) बोर्ड वक्फ के निदेश/आदेश को अनदेखा नहीं करेगा ।

(ख) जब तक वाकिफ परिवार का कोई विद्यमान सदस्य पद धारण के योग्य हो बोर्ड को किसी अनजान व्यक्ति को नियुक्त नहीं करना चाहिए**;** और

(ग) जहाँ वाकिफ के पारंपरिक वंशज और जो पारंपरिक वंशज नहीं है के बीच प्रतिवाद

हो तो बोर्ड पारंपरिक वंशज को नियुक्त करेगा यदि वह मुतवल्ली के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अन्यथा निर्हितन हो और ऐसी दशा में जहाँ उत्तराधिकार विफल हो तो बोर्ड स्वविवेक का प्रयोग कर आदेश और वक्फनामा में दी गयी अर्हता पर सम्यक् रूप से विचार करते हुए मुतवल्ली के रूप में अन्य दावेदार को नियुक्त करेगा ।

56. धारा **63** के अधीन मुतवल्ली की नियुक्त :- मुतवल्ली की रिक्ति को भरने से संबंधित नोटिसः-

(1) जब कभी मुतवल्ली का पद रिक्त होता है और वक्फ के विलेख के शर्तों के अधीन किसी को नियुक्त नहीं किया जाता है तो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अथवा इस निमित्त प्राधिकृत

पदाधिकारी अंतिम आदेश के पूर्व मुतवल्ली की नियुक्ति की बाबत फॉर्म **47** में सार्वजनिक नोटिस निर्गत करेगा ।

(2) जब कभी मुतवल्ली का पद रिक्त होता है और मुतवल्ली के रूप में कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति का अधिकार विवाद में रहता है तो ऐसा नोटिस फॉर्म **48** में दिया जाएगा ।

(3) इच्छुक पक्षकारों को अवसर देने पर जाँच के पश्चात् और स्थानीय साक्षियों का बयान तथा ऐसे अन्य तथ्यों को अभिलिखित कर इस संबंध में एक प्रतिवेदन बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें विस्तृत तथ्य होंगे ।

(4) प्रतिवेदन और अन्य सामग्री और आपत्ति अथवा लोक याचिका पर विचार कर बोर्ड द्वारा इस संबंध में सुविवेचित आदेश पारित किया जाएगा ।

57. मुतवल्ली/प्रबंध समिति के कर्तव्यः-

(1) मुतवल्ली या प्रबंध समिति**,-**

(1) वक्फ संस्था और उसकी संपत्ति की सुरक्षा**,** संरक्षा**,** संधारण और प्रबंधन के लिए सभी कदम उठाएगी ।

(2) इस नियमावली में यथा उपबंधित वक्फ संस्था और उसकी संपत्ति के अभिलेख को अद्यतन करने के लिए कदम उठाएगी ।

(3) अतिक्रमण के अधीन वक्फ/वक्फ संपत्ति की वापसी के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करना।

(4) वक्फ की संपत्ति की पहचान करना जिसमें शैक्षणिक संस्था**,** अस्पताल**,** दुकान**,** बाजार**,** आवास नया आवासीय फ्लैट तथा कृषि/बागवानी के रूप में विकास करने की संभावना हो तथा इस प्रस्ताव को अधिमानतः अपने संगठन के माध्यम से बोर्ड को इसके पूर्व अनुमोदन के लिए अग्रसारित करना । बोर्ड अधिनियम के अनुसार अनुमोदन प्रदान करेगा ।

(5) संबंधित वक्फ संस्था के कार्यों के प्रबंधन के प्रयोजनार्थ किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बैंक खाता खोलना और संचालन करना । राष्ट्रीयकृत बैंक की अनुपस्थिति में मुतवल्ली अन्य बैंक में खाता खोलने के लिए मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(6) इन बैंक खातों से प्रोद्भूत बैंक ब्याज इनाम की अपेक्षा किए बिना निराश्रित के लिए उपयोग में लाया जाएगा तथा इसका लेखा रखा जाएगा ।

(7) फॉर्म **49** में आय और व्यय के व्यौरे के साथ त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा; और

(8) अधिनियम के अधीन यथा उपबंधित सभी कर्तव्यों का पालन करेगा ।

58. अधिनियम की धारा **64** और **71** के अधीन मुतवल्ली को हटाने से संबंधित प्रक्रियाः-

(1) बोर्ड या तो अधिनियम की धारा **70** के अधीन प्राप्त आवेदन या अपने स्वयं के प्रस्ताव से वक्फ से संबंधित किसी विषय की जाँच/निरीक्षण करेगा या बोर्ड के किसी पदाधिकारी अथवा इस निमित्त किसी व्यक्ति को जाँच करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा तथा ऐसी कार्रवाई करेगा जो वह उचित समझे।

परन्तु धारा **70** के अधीन आवेदन फॉर्म **69** में होगा जिसके साथ आवेदक का शपथ पत्र और बोर्ड के नाम **500/- (**पाँच सौ रूपये) का शुल्क संलग्न रहेगा ।

(2) जाँच करने वाला पदाधिकारी जाँच पदाधिकारी कहलाएगा ।

(3) अधिनियम की धारा **71** के अधीन प्राधिकृत पदाधिकारी अथवा व्यक्ति फॉर्म **50** में अथवा उपगत अपेक्षा के अनुसार नोटिस जारी करेगा और निम्नलिखित रीति से जाँच करेगा:-

(क) वह**,** संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों**,** जाँच में इच्छुक पक्षकारों अथवा साक्षियों को नियत तिथि और स्थान पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिवक्ता के माध्यम से अपने समक्ष उपस्थित होने तथा अपने समर्थन में लिखित जवाब समर्पित करने एवं दस्तावेज**,** यदि कोई हो**,** प्रस्तुत करने के लिए बुलाएगा।

(ख) उपस्थिति के लिए फॉर्म **71** में समन संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों**,** इच्छुक पक्षकारों को भेजा जाएगा ।

(i) संदेशवाहक के माध्यम से अथवा डाक द्वारा अथवा उसके अंतिम ज्ञात आवास के कुछ सहज दृश्य भाग पर नोटिस चिपकाकर**,** उसके परिवार के वयस्क सदस्य अथवा नौकर को देकर**,** उसके द्वारा अतिक्रमित अथवा जाँच के अध्यधीन संपत्ति के किसी सहज दृश्य भाग पर नोटिस चिपका कर।

(ii) व्यक्ति/व्यक्तियों**,** जिससे अभिप्रेत हो**,** को पावती सहित निबंधित डाक द्वारा ।

परन्तु यदि वह व्यक्ति**,** जिसको नोटिस तामील की जानी हो**,** अवयस्क हो तो उसके अभिभावक अथवा उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य या नौकर को दिया जाने वाला नोटिस अवयस्क को सम्यक्रूप से दिया गया समझा जाएगा ।

(iii) नोटिस की एक प्रतिबोर्ड कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर अथवा प्राधिकृत पदाधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाएगी ।

(4) जाँच करने वाला पदाधिकारी सभी इच्छुक व्यक्तियों को जाँच में सुने जाने का अवसर देगा और लिखित बयान देने का तथा ऐसे मौखिक अथवा दस्तावेजों साक्ष्य**,** जो वे उचित समझें**,** पेश करने का अवसर देगा ।

(5) जाँच पदाधिकारी विहित फॉर्म **51** में अपनी स्वयं की लिखावट में गवाहों के मौखिक साक्ष्य अभिलिखित या फॉर्म के अनुपलब्ध रहने पर गवाह की भाषा में करेंगे ।

परन्तु जहाँ किसी कारण से जाँच पदाधिकारी स्वयं से साक्ष्य को अभिलिखित करने में अक्षम होता है तो वह अपने अधीनस्थ पदाधिकारी या कर्मी को अपने व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में उसकी उपस्थिति में अभिलिखित करने का निर्देश दे सकेगा।

(6) वक्फ अधिनियम के अंतर्गत किसी भी जाँच के प्रयोजन के लिए बोर्ड**,** बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी या अन्य पदाधिकारी या उसकी ओर से सम्यक प्राधिकृत व्यक्ति की शक्ति सिविल प्रक्रिया संहिता**, 1908** के तहत सिविल कोर्ट में निहित शक्ति के समान होगी जो गवाह की उपस्थिति और दस्तावेजों की प्रस्तुति बाध्य करेगी ।

(7) जाँच पदाधिकारी, जहाँ तक साध्य हो, जाँच के संचालन के क्रम में अधिवक्ताओं की पेशी, दस्तावेजों के प्रतिफल और अन्य मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, **1908** के उपबंधों और इसके अधीन बने नियमों का पालन करेंगे ।

(8) जाँच पदाधिकारी घटना स्थल पर एक स्थानीय जाँच कराने के क्रम में वक्फ सम्पति का निरीक्षण कर सकेंगे और इच्छुक व्यक्ति/व्यक्तियों के मौखिक कथन या शपथ को यदि वे उचित समझें, अभिलिखित कर सकेंगे और ऐसे व्यक्तियों के हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे ।

(9) जाँच या निरीक्षण के दौरान यदि यह प्रकट होता है कि संबंधित मुतवल्ली या कोई पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी जो कि मुतवल्ली के अधीन काम कर रहा है या था, ने राशि को दुर्विर्नियोजित या दुरूपयोजित किया है या कपट पूर्वक कोई राशि रखा है अन्य वक्फ संपतिया अनियमित किए गए वक्फ के कोष से अप्राधिकृत या अनुचित व्यय या मुतवल्ली या अन्य व्यक्ति ने वक्फ को नुकसान किया है या वक्फ की सम्पत्ति को दुर्भावना पूर्णतरी केसे अंतरित कर दिया है, जाँच पदाधिकारी/निरीक्षण पदाधिकारी वक्फ की सम्पत्ति को हुई प्रतिक्षति की रकम अवधारित और प्रमाणित करेंगे।

परन्तु जहाँ भी ऐसी जाँच/निरीक्षण किया गया है संबंधित मुतवल्ली और सभी पदाधिकारी और उसके अधीन कार्यरत अन्य कर्मचारी और वक्फ प्रशासन से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति ऐसी जाँच/निरीक्षण के संचालन में सभी तरह की मदद और सहयोग जो भी जरूरी हो उक्त पदाधिकारी को करेंगे और जाँच/निरीक्षण के लिए आवश्यक कार्यान्वयन करने के लिए उसे बढ़ाया जाएगा और किसी चल सम्पत्ति के निरीक्षण के लिए भी पेश हो गाया वक्फ से संबंध रखने वाले दस्तावेज या इत्तिला देने वाले के रूप में उसकी जरूरत पड़ सकती है या उसे बुलाया जा सकता है । जिसमें विफल होने पर मुतवल्ली/प्रबंध समिति के सचिव, अन्य कर्मचारी या वक्फ संपदा का कोई पदाधिकारी वक्फ अधिनियम **1995** की धारा **61** की उपधारा (**1**) के अधीन दंडनीय होगा ।

(10) जाँच/निरीक्षण पदाधिकारी स्थानीय थाना जिसमें जाँच/निरीक्षण की जगह स्थित है कि अधिकारिता के द्वारा एक लिखित आवेदन कार्यालय प्रभारी को देकर पुलिस बल की अध्यपेक्षा कर सकेगा, और ऐसी अध्यपेक्षा पर पुलिस थाना प्रभारी तत्क्षण जाँच या निरीक्षण के कुशल संचालन के लिए पुलिस बल की व्यवस्था करेगा ।

(11) जाँच पदाधिकारी अपनी रिपोर्ट यथा स्थिति बोर्ड को या मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को जाँच के संपन्न होने के **15** दिन के भी तर प्रस्तुत करेगा । जाँच/निरीक्षण पदाधिकारी से रिपोर्ट की प्राप्ति पर बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, यथा स्थिति जैसा कि आवश्यक समझा जाए एक आदेश जारी करेगा जिसे अंतिम माना जाएगा ।

59. प्रशासक की नियुक्तिः- यदि ऐसा प्रतीत होता है कि वक्फ के मुतवल्ली की नियुक्ति के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता है, तब तथ्याधारित एक तर्कयुक्त आदेश वक्फ संपदा के प्रत्यक्ष प्रबंधन को मानते हुए धारा **65** के अधीन यथा विहित, जारी किया जा सकेगा और बोर्ड जिला कल्याण पदाधिकारी-सह-वक्फ नोडल पदाधिकारी या अन्य सक्षम व्यक्ति को एक साल की अवधि के लिए वक्फ संपदा के दिन-प्रतिदिन के कार्यों के प्रबंधन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त करेगा । नियुक्त किये गये प्रशासक को स्वेच्छ या आधार पर जिला औकॉफ समिति द्वारा सहयोग किया जा सकेगा ।

परन्तु यह कि ऐसी संस्थाओं के बैंक खातों का संचालन संयुक्त रूप से प्रशासन और जिला कल्याण पदाधिकारी-सह-जिला वक्फ नोडल पदाधिकारी/बोर्ड द्वारा सम्यक्रूप से प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

परन्तु यह और कि वक्फ संपदा की आय में से नियुक्त प्रशासक द्वारा किये गये व्यय की मंजूरी/अनुमोदन जिले के जिला कल्याण पदाधिकारी-सह-वक्फ नोडल पदाधिकारी या बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

60. बोर्ड के प्रत्यक्ष प्रबंधन के अधीन औकाफ का वार्षिक प्रतिवेदनः- वर्ष के **30** जून या उससे पूर्वधारा **65** की उपधारा (**3)** के अधीन फॉर्म **52** में बोर्ड के द्वारा राज्य सरकार को प्रतिवेदन भेजा जाएगा जिसका तीन महीने के अंदर परीक्षण होगा और सरकार बोर्ड को इसके अनुपालन और वक्फ संपदा के उचित वित्तीय प्रबंधन के लिए निर्देशया अनुदेश दे सकेगी ।

60(क) धारा **66** के अधीन राज्य सरकार द्वारा शक्ति-प्रयोग की रीतिः-झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के परामर्श से धारा **66** में यथा उल्लिखित मुतवल्ली की नियुक्ति या निष्कासन के संबंध में सरकार द्वारा वक्फनामा के उपबंध या प्रबंधन योजना या न्यायालय के किसी निष्कर्ष के अनुरूप धारा **66** का प्रयोग करते हुए एक तर्कयुक्त आदेश पहले पारित किया जाएगा और तत्पश्चात्त सरकार नियम**71** की शर्तों का पालन कर धारा **70** के अधीन दिए गए आवेदन पर नियम **58** के अधीन विहित वक्फ अधिनियम की धारा **64** के अनुरूप जाँच करने की कार्यवाही कर सकेगी।

परंतु यह कि धारा **32 (2) (**जी) में प्रतिष्ठापित झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड में निहित शक्ति का प्रयोग सामान्यतः केवलअ त्यावश्कता और विशेष परिस्थितियों को छोड़कर किया जाएगा।

परन्तु यह और कि वक्फ की इच्छाएँ पुण्यमय होंगी और वक्फनामा में यथा प्रतिष्ठापित अधिदेश/जारी प्रथा से कोई विचलन नहीं हो सकेगा।

61. प्रबंधन की अवधि और प्रबंध समिति का अधिक्रमण तथा इसके सदस्यों का हटाया जानाः-

(1) धारा **67** की उपधारा (**1)** के अधीन कार्य कर रही कोई भी समिति अधिकतम **3** वर्षों की अवधि के लिए होगी जब तक कि यह वक्फ विलेख या वक्फ के प्रबंधन की अनुमोदित योजना के उल्लंघन में बोर्ड के द्वारा अधिक्रमितन हो।

(2) बोर्ड फॉर्म **53** में धारा **67** की उपधारा (**2)** के अधीन समिति के विरूद्ध जिस पर कार्रवाई अनुध्यात है**,** एक नोटिस जारी करेगा ।

(3) बोर्ड अधिनियम की धारा **67** की उपधारा (**6)** के अधीन किसी प्रबंध समिति के हटाए जाने वाले प्रस्तावित सदस्य के लिए फॉर्म **54** में एक नोटिस जारी करेगा ।

(4) हटाए जाने वाले प्रस्तावित प्रबंध समिति को सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद धारा **67** की उपधारा (**2)** के अधीन अधिक्रमण आदेश एक तर्कपूर्ण आदेश होगा ।

(5) धारा **67** की उपधारा (**2**) के उपबंधों के अधीन बोर्ड द्वारा जारी आदेश संबंधित वक्फ के सूचनापट्ट**,** जिला औकॉफ समिति के कार्यालय**,** झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के कार्यालय पर प्रकाशित किया जाएगा और संबंधित प्रबंध समिति को भी इसकीसूचना दी जाएगी ।

62. धारा **69** की उपधारा (**1**) के अधीन परामर्श की रीतिः-

(1) बोर्ड फॉर्म **55** में संबंधित मुतवल्ली तथा वक्फ में रूचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा और प्रबंधन/प्रशासन की योजना के संबंध में उक्त नोटिस को वक्फ संस्था के परिसरों में सहज दृश्य जगहों पर चिपकाएगा और यदि नियम **48** के अधीन फॉर्म **42** में योजना प्रारूप पहले से तैयार न हो तो धारा **69** की उपधारा (**1**) के अधीन योजना-प्रारूप तैयार किया जाएगा ।

(2)बोर्ड उप-नियम (**1**) के अधीन नोटिस के जवाब में प्राप्त प्रबंधन/प्रशासन की योजना से संबंधित अपत्तियों और सुझावों का परीक्षण करेगा**,** इस पर सुनवाई का अवसर दे सकेगा और प्रबंधन/प्रशासन की योजना को फॉर्म **42** में यथावश्यक उपयुक्ति समझे गए संशोधनों के साथ स्वीकृति प्रदान कर सकेगा।.

अध्याय-VI

63. वक्फ संपत्तियों को पट्टा पर देना**,** उसका विकास और उसकी पुनः प्राप्ति वक्फ संपत्तियों को पट्टा पर देना:-

(1) अधिनियम की धारा **51** और **56** के अधीन पट्टा प्रदान करने के प्रयोजन के लिए मुतवल्ली या बोर्ड वक्फ संपत्ति पट्टा नियमावली**, 2014,** समय-समय पर यथा संशोधित**,** का पालन करेगा जिसमें विफल होने पर ऐसे पट्टे निरस्त और शून्य हो जाएँगे ।

(2) वक्फ संपदा का मुतवल्ली वक्फ संपत्तियों के बारे में इन नियमावली के प्रारंभ होने की तिथि के छः महीने के अंदर वक्फ संपत्ति पट्टा नियमावली**, 2014** के अनुरूपतः मौजूदा पट्टा लाएगा ।

(3) पट्टे को प्रदान करने के लिए आवेदन फॉर्म **56** में दर्ज किया जाएगा ।

(4) एक वर्ष से कम अवधि के लिए पट्टा फॉर्म **57** में और एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए फॉर्म **58** में निष्पादित किया जाएगा ।

64. धारा **51 (1-**क) के अधीन वक्फ संपत्तियों का विकासः-

(1) धारा **51** की उप-धारा (**1-**क) के परन्तुक में यथा उपबंधित वक्फ संपत्तियों के विकास के प्रयोजन के लिए बोर्ड इच्छुक पार्टी के साथ योजना/कार्य संचालन व्यवस्था अपना सकेगा । फिर भी विकास की ऐसी कार्य संचालन व्यवस्था की अवधि **30** वर्षों से अधिक नहीं होगी ।

(2) विकास की ऐसी योजनाओं में पट्टा-विलेख के माध्यम से वक्फ संपत्ति में कोई रूचि**,** हक**,** या अधिकार सृजित नहीं किया जाएगा । कोई वक्फ-विलेख के माध्यम से वक्फ सम्पत्ति के उपहार**,** विक्रय**,** बंधक**,** विनिमय का कोई भी कार्य आरंभ में ही अकृत हो जाएगा ।

(3) संपत्ति का विकास करते समय वाकिफ के अधिदेश और वक्फ के प्रयोजन को मुतवल्ली के साथ-साथ बोर्ड को भी ध्यान में रखना होगा ।

(4) बोर्ड वक्फ संपत्ति का विकास करते समय पूर्ण पारदर्शिता का ध्यान रखेगा । जिसमें विकसित होने वाली संपत्तियों और विकास की योजना के ब्यौरे का प्रकाशन शामिल होगा और इच्छुक पक्षकारों से प्रस्ताव का आमंत्रण करते हुए प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में बोली हेतु आमंत्रण देगा और वक्फ को इसके विकास प्रयोजनार्थ एवं वित्तीय लाभ पर प्राप्त सबसे अच्छा प्रस्ताव निर्णायक होगा ।

(5) विकसित की गई संपत्ति का उपयोग पट्टा अनुबंध द्वारा पहले से ही अनुमति प्राप्त प्रयोजनों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा ।

65. वक्फ संपत्ति की वसूली के लिए धारा **52** के अधीन प्रक्रियाः-

(1) बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी फॉर्म **59** में उप-निबंधक को लिखेंगे जिनकी अधिकारिता में कोई अचल वक्फ सम्पत्ति धारा **51** के उल्लंघन में अंतरित हो ।

(2) बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की अध्यपेक्षा पर संबंधित उपनिबंधक नियमों के अनुसार दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति जारी करेंगे ।

(3)बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत बोर्ड का कोई अन्य पदाधिकारी उपनियम (**2**) के अधीन प्राप्त अभिलेखों के संबंध में सम्पत्ति का ब्यौरा सत्यापित करेंगे और अंतरक एवं अंतरिती को फॉर्म **60** और फॉर्म **60**ए में नोटिस जारी करने तथा नोटिसों की तामील किये जाने की आगे की कार्यवाही करेंगे ।

(4) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी फॉर्म **61** में एक प्रतिवेदन तैयार करेंगे और धारा **51** की उप धारा (**1**) के अधीन कार्यवाही करने के लिए बोर्ड के समक्ष इसे रखेंगे ।

(5) बोर्ड**,** यदि आवश्यक हो**,** वक्फ सम्पत्ति की वसूली के लिए वक्फ अधिनियम या किसी अन्य कानून के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिकारिता क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट को आवश्यक आदेश पारित करने के लिए फॉर्म **62** में अध्यपेक्षा अग्रसारित करेगा ।

(6) बोर्ड**,** यदि आवश्यक हो**,** धारा **51** तथा **56** के उल्लंघन में अंतरित सम्पत्ति के कब्जा को प्राप्त एवं सुपुर्द करने के लिए अधिकारिता क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट को फॉर्म **63** में अध्यपेक्षा अग्रसारित करेगा । जिला मजिस्ट्रेट**,** जिसे अध्यपेक्षा भेजी गई है**,** अधिनियम की धारा **28** में यथा परिकल्पित आदेश को लागू करने के लिए कानूनी वाध्यता के अधीन होंगे और यह सरकारी कर्तव्य का भाग होगा ।

(7) वक्फ बोर्ड**,** हिताधिकारी या वक्फ में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिनियम के अधीन गठित वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष धारा **51 (1) (1-**क) के अधीन विक्रय विलेख/ अंतरण विलेख की घोषणा का आरंभ से अकृत तथा अविधिमान्य होने के लिए एक आवेदन दाखिल कर सकेगा ।

66. धारा **53** के अधीन वक्फ द्वारा अचल संपत्ति के क्रय हेतु प्रक्रियाः-

(1) अचल संपत्ति के क्रय करने का इरादा रखनेवाला कोई वक्फ फार्म **64** में एक आवेदन बोर्ड को करेगा ।

(2) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी प्रस्तावित के बारे में धारा **53** के परन्तुक के अधीन फार्म संख्या **65** में एक अधिसूचना जारी करेंगे ।

(3) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अपनी रिपोर्ट के साथ प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखेंगे ।

(4) बोर्ड ऐसी अधिसूचना के जवाब में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों, यदि कोई हो, की जाँच करेगा और **15** दिनों के अंदर आवश्यक आदेश जारी करेगा ।

67. अधिक्रमणकारियों की बेदखली की प्रक्रिया:-

(1) धारा **54** की उप-धारा (**1**) के अधीन अधिक्रमणकारियों को जारी की जानेवाली नोटिस फॉर्म **66** में होगी, और जिसे संदेश वाहक के माध्यम से या निबंधित डाक से या मान्यता प्राप्त कुरियर सेवा द्वारा या उस आवास के परिसरों, यदि कोई हो, के सहज दृश्य किसी भाग पर इसकी एक प्रति चिपकाकर तामीला करायी जाएगी जहाँ प्रतिवादी अंतिम समय में रहरहा हो या अपना व्यवसाय चलाता हो या लाभ के लिए व्यक्तिगत कार्यकरता हो या ऐसी ही अन्य रीति से जैसा प्राधिकरण उसके अंतिम निवास के संदर्भ में उचित समझता हो या उसके अधिक्रमित सम्पत्ति पर रह रहे उसके परिवार के किसी व्यस्क सदस्य या सेवक को देकर या वहाँ किसी सहज दृश्य भाग पर इस नोटिस को चिपकाकर या किसीअन्य रीति से जैसा प्राधिकार उचित समझे, तामीला करायी जाएगी ।

(2) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी उपर्युक्त उप-नियम (**1**) के अधीन नोटिस की तामीला की प्रक्रिया के अनुपालन के बाद एक संक्षिप्त जाँच करेंगे और पक्षकारों की सुनवाई के बाद अधिक्रमणकारियों के विरूद्ध अपने निष्कर्ष को समनुदेशित करते हुए आदेश जारी करेंगे और तब वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष एक आवेदन 'बेदखली का आदेश' प्रदान करने के लिए दाखिल करेंगे।

(3) नोटिस/प्रस्तावित अधिक्रमणकारी के विरूद्ध सुनवाई की जाने के अवसर के बाद वक्फ न्यायाधिकरण मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के प्रस्ताव में शुद्धता के निष्कर्ष पर वक्फ बोर्ड के पक्ष में बेदखली का आदेश प्रदान कर सकेगा ।

(4) अधिनियम की धारा **54** की उपधारा (**5**) के प्रयोजन के लिए, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी या बोर्ड के अन्य प्राधिकृत पदाधिकारी फॉर्म **62** में स्थानीय क्षेत्र के कार्यकारी मजिस्ट्रेट को वक्फ न्यायाधिकरण के बेदखली आदेश' पर समुचित कार्रवाई के लिए लिख सकेगा, और पुलिस की सहायता, यदि आवश्य कहो लेने के उपरांत वक्फ अधिनियम की धारा **55** के अनुसार अधिक्रमणकारी से कब्जा बेदखल करा सकेगा।

(5) जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट या उप प्रमंडलीय मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी या बोर्ड के अन्य प्राधिकृत पदाधिकारी को बेदखली आदेश केनिष्पादन या पुलिस सहायता प्रदान करने में सहयोग के लिए दायित्व के अधीन होंगे । जिला के वे पदाधिकारी, जिन्हें ऐसी अध्यपेक्षा भेजी गई है, अधिनियम की धारा **28** में यथा परिकल्पित आदेश के कार्यान्वयन हेतु कानूनी रूप से बाध्य होंगे और यह सरकारी कर्तव्य का भाग होगा ।

68. कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा वक्फ संपत्ति के अधिक्रमण को हटाने की प्रक्रियाः-

(1) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अधिक्रमण को हटाने के लिए धारा **54** की उपधारा (**4)** के अधीन जारी किए गए आदेश के संबंध में धारा **55** के अधीन फॉर्म **67** में अधिकारिता क्षेत्र के कार्यकारी मजिस्ट्रेट को एक आवेदन अग्रसारित करेगा।

(2) कार्यकारी मजिस्ट्रेट अधिक्रमण को हटाने के लिए फॉर्म **68** में एक आदेश पारित करेगा ।

(3) कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश पारित करने के बाद अधिक्रमणकारी की बेदखली की त्वरित कार्रवाई बलपूर्वक की जाए औ बेदखली तथा मुतवल्ली**,** समिति के सचिव या इच्छुक व्यक्ति को अधिक्रमित सम्पत्ति के कब्जे को सौंपे जाने की सूचना बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को दी जाए ।

69. धारा **67** या धारा **69** के अधीन बने आदेशों का संप्रदर्शनः-

धारा **67** की उप-धारा (**2)** या धारा **69** कीउप-धारा (**2)** के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश वक्फ समिति को आधार और अभिकथन दर्शाते हुए सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद पारित किया जाएगा और आदेश को झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के कार्यालय**,** जिला औकाफ समिति के कार्यालय और वक्फ संस्था के किसी सहज दृश्य स्थान पर चिपकाया जाएगा और उसकी एक प्रति सम्बद्ध वक्फ के मुतवल्ली को भेजी जाएगी ।

70. अधिनियम की धारा **70** के अधीन जाँच हेतु आवेदनः-

धारा **70** के अधीन आवेदन फॉर्म **69** में शपथ पत्र और झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड को प्रेषित शुल्क रूपए **500** नगद या इतने का डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल ऑर्डर के साथ दिया जाएगा और यथा अपेक्षित अनुलग्नकों तथा सम्यक रूप से स्टांप लगे लिफाफों के साथ आवेदन के ज्यादा-से-ज्यादा सेट प्रस्तुत किये जायेंगे । यथापेक्षित अनुलग्नकों के न रहने पर आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा ।

71. अधिनियम की धारा **71** के अधीन जाँच की प्रक्रियाः-

(1) बोर्ड या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति धारा **71** के अधीन जाँच करने के लिए फॉर्म **70** में एक नोटिस जारी करते हुए वक्फ प्रबंधन के व्यक्ति के विरूद्ध अभिकथनों की एक प्रति प्रारंभिक रूप में भेजेगा और प्रत्येक अभिकथनों पर उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा ।

(2) यदि वक्फ प्रबंधन के व्यक्ति द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से बोर्ड या प्राधिकृत व्यक्ति असंतुष्ट होता है**,** तो वक्फ के मुतवल्ली/वक्फ प्रबंधन के व्यक्ति को फॉर्म **50** निर्गत कर नियम **58** के तहत पूर्ण रूपेण जाँच करवा सकेगा और जाँच पूरी कर सकेगा ।

(3) शिकायतकर्ता शिकायत की प्रतियों के अपेक्षित सेट और विश्वसनीय दस्तावेजों को सम्यक् रूप से स्टांप लगे लिफाफों के साथ देगा ।

(4) उक्त जाँच नियम **58** के उपनियम (**2)** के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार होगी ।

(5) जाँच पदाधिकारी जब कभी आवश्यक हो साक्षियों की उपस्थिति और दस्तावेजों को पेश करने के दबाव के लिए फॉर्म **71** में सम्मन जारी करेगा ।

(6) जाँच प्रतिवेदन को आगे की कार्रवाई हेतु बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।

अध्याय-VII

बोर्ड और वक्फ संस्थाओं के अंकेक्षण और वित्त

72. मुतवल्ली/प्रबंध समिति के प्रबंधन के अधीन वक्फ संस्थान का बजटः- मुतवल्ली/प्रबंध समिति प्रत्येक वक्फ संस्था के प्रतिवर्ष का बजट फॉर्म **72** में तैयार करेगा और वित्तीय वर्ष की समाप्ति से **3** महीने के अंदर बोर्ड को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा ।

73. बोर्ड के प्रत्यक्ष प्रबंधन के अधीन वक्फ संस्थाओं का बजटः-

(1) प्रत्यक्ष प्रबंधन के अधीन सभी वक्फ संस्थाएँ अपने लेखा अनुरक्षण हेतु नियम **74 (1)** में यथा विहित बहियों और रजिस्टरों का संधारण करेंगी ।

(2) बोर्ड के प्रत्यक्ष प्रबंधन के अधीन आने वाले सभी औकाफों के आगामी वित्तीय वर्ष का बजट चालू वित्तीय वर्ष के दिसम्बर तक तैयार किया जाएगा ।

(3) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बोर्ड के प्रत्यक्ष प्रबंधन के अधीन आने वाले सभी उन औकाफों की सूची तैयार करेंगे जिनके लिए अगामी वित्तीय वर्ष का बजट चालू वित्तीय वर्ष के अक्टूबर माह में उप-नियम (**2**) के अधीन फॉर्म **73** में तैयार किया जाना है ।

(4) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी तब प्रत्यक्ष प्रबंधन के अधीन औकाफों के प्रत्येक प्रशासक को फॉर्म **74** में आगामी वित्तीय वर्ष का बजट नवम्बर के अंत तक बना देने के लिए निर्देश देंगे ।

(5) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी धारा **45** की उपधारा (**1**) के अधीन फॉर्म **72** और **75** में आगामी वित्तीय वर्ष हेतु सभी अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों के सभी ब्यौरे के साथ बजट तैयार करवायेंगे ।

(6) इस तरह से तैयार किए हुए बजट में**,** चालू वर्ष में वक्फ की आय में कोई वृद्धि हो तो उसका विवरण तथा इसके कुशल प्रबंधन और बेहतर परिणाम प्राप्ति के लिए उठाए गए कदमों को फॉर्म **75** में ब्यौरे के साथ प्रस्तुत करना होगा ।

74.औकाफ द्वारा खातों का विवरणः-

(1) वक्फ के प्रत्येक मुतवल्ली या प्रबंध समिति द्वारा अपने लेखा अनुरक्षण के लिए निम्नलिखित बहियों और रजिस्टरों का संधारण किया जाएगा :-

(i) फॉर्म **76** में रोकड़बही**;**

(ii) फॉर्म **77** में रसीद बही**;**

(iii) फॉर्म **78** में वक्फ अंशदान की माँग**,** वसूली और शेष राशि का रजिस्टर**;**

(iv) फॉर्म **79** में गोलक संग्रहण का रजिस्टर**;**

(v) फॉर्म **80** में किराए का रजिस्टर**;**

(vi) फॉर्म **81** में निरीक्षण का रजिस्टर**;**

(vii) फॉर्म **82** में बैठक का रजिस्टर**;**

(viii) फॉर्म **83** में कार्यवृत पुस्तिका**;**

(ix) फॉर्म **84** में ऋण का रजिस्टर**;**

(x) फॉर्म **85** में अनुदान का रजिस्टर**;**

(xi) फॉर्म **86** में प्रतिभूति जमा का रजिस्टर और फार्म **86 (**ए) में प्रोद्भुत ब्याज का रजिस्टर**;**

(xii) फॉर्म **87** में निवेश का रजिस्टर;

(xiii) फॉर्म **88** में मुकदमों का रजिस्टर;

(xiv) फॉर्म **89** में स्टॉक और उपयोग का रजिस्टर; और

(xv) अन्य कोई रजिस्टर जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा विहित हो ।

(2) वक्फ के प्रत्येक मुतवल्ली और प्रबंध समिति को खातों का विवरण फॉर्म **90** में देना होगा ।

(3) यदि कोई मुतवल्ली या प्रबंध समिति वर्ष की पहली जुलाई के पूर्व खातों का विवरण प्रस्तुत करने में विफल होता है**,** तो एक नोटिस फार्म **91** में उस तिथि के सात दिनों के अंदर जारी किया जाएगा ।

(4) यदि मुतवल्ली या प्रबंध समिति खातों का विवरण प्रस्तुत करने में विफल होता है तो धारा **61** के अधीन कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी ।

75. **अंकेक्षण प्रतिवेदन:-**

(1) प्रत्येक वक्फ संस्था**,** जिसकी आय एक लाख रूपये से अधिक है**,** के मुतवल्ली/प्रबंध समिति**,** चार्टर्ड एकाउण्टेंट से अपनी खाताओं की संवीक्षा/अंकेक्षण करवायेंगे और इसका प्रतिवेदन बोर्ड को प्रतिवर्ष **30** जून को या उससे पहले सौपेंगे ।

(2) ऐसे वक्फ जिसकी कोई आयन हीं है या जिसकी शुद्ध वार्षिक आय का पचास हजार रूपए**,** से अधिक नहीं है**,** लेखाओं के विवरण का प्रस्तुत किया जाना धारा**46** के उपबंधों का पर्याप्त अनुपालन होगा तथा ऐसे दो प्रतिशत ओक़ाफ़ के लेखाओं की संपरीक्षा बोर्ड द्वारा नियुक्त संपरीक्षक द्वारा प्रतिवर्ष की जाएगी ।

(3) बोर्ड के द्वारा नियुक्त अंकेक्षक द्वारा वक्फ संस्थाओं का आंतरिक अंकेक्षण कोटिवार और नियत कालिक रूप से निम्नलिखित प्रकार की जाएगी**,** यथा-

(क) एक लाख से ऊपर के शुद्ध वार्षिक आय वाली वक्फ संस्थाएँ ।

(ख) तीन वर्षों में एक बार पचास हजार से ऊपर और एक लाख रूपये से नीचे के शुद्ध वार्षिक आय वाली वक्फ संस्था ।

(ग) ऐसा आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन फॉर्म **92** में होगा ।

(4) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी वार्षिक अंकेक्षण कार्यक्रम को अंतिम रूप देंगे और इसे फॉर्म **93** में प्रकाशित करेंगे ।

(5) बोर्ड अंकेक्षकों का पैनल तैयार कर उसे राज्य सरकार को भेज सकेगा ।

(6) फॉर्म **94** में अंकेक्षण शुरू होने के **15** दिन पूर्व प्रत्येक वक्फ संस्था को इस बाबत नोटिस जारी की जाएगी ।

(7) यदि मुतवल्ली/प्रबंध समिति अंकेक्षक को अभिलेख प्रस्तुत करने में विफल होता है**,** तो धारा **61** के अधीन मुतवल्ली के विरूद्ध कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी ।

76. अधिनियम की धारा **48 (1)** के अधीन नोटिसः- धारा **48** की उपधारा (**1)** के अधीन मुतवल्ली/प्रबंधसमिति/प्रशासक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए फार्म **95** में एक नोटिस जारी की जाएगी ।

77. देय राशि की वसूलीः-

(1) बोर्ड धारा **47** के अधीन अंकेक्षक द्वारा सत्यापित किसी व्यक्ति से किसी राशि के देय होने पर फॉर्म **96** में एक माँग नोटिस जारी करेगा ।

(2) बोर्ड धारा **49** की उपधारा (**2)** केअधीनभू-राजस्व के बकाये के रूप में उक्त राशि की वसूली का प्रमाण पत्र जारी करने से पहले फॉर्म **97** में एक नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा ।

(3) बोर्ड उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को जहाँ बकायादार रहता है**,** से धारा **34** और **49** के अधीन कानून के तहत देय राशि की वसूली के लिए लिखते हुए फॉर्म **98** में वसूली का प्रमाण पत्र जारी करेगा ।

(4) जिला मजिस्ट्रेट ऐसे प्रमाण-पत्र की प्राप्ति पर बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम**, 1914**एवं (झारखण्ड-संशोधन) अधिनियम **2016'** के अधीन भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली का एक प्रमाण-पत्र जारी करेंगे।

78. वक्फ अंशदान की माँग और वसूलीः-

(1) मुतवल्ली/प्रबंध समिति बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी या उनकी ओर से प्राधिकृत व्यक्तियों को प्रतिवर्ष पहली जून से पूर्व फॉर्म **99** में वक्फ की शुद्ध वार्षिक आय और भुगतेय अंशदान को दर्शाते हुए विवरण प्रस्तुत करेगा ।

(2) संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी-सह-वक्फ नोडल पदाधिकारी/वक्फ निरीक्षक उक्त मूल्यांकन का सत्यापन और **15** जून तक **7%** की दर पर वक्फ अंशदान के भुगतान के लिए वास्तविक माँग का निर्धारण करेंगे और फॉर्म **100** में माँग**,** वसूली और शेष राशि का रजिस्टर संधारण करेंगे।

(3) झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड**,** जिला कल्याण पदाधिकारी-सह-वक्फ नोडल अधिकारी से कराए गए मूल्यांकन और अनुमोदन के आधार पर एक माँग रजिस्टर संधारण करेगा और प्रत्येक वक्फ संस्था के संदर्भ में फॉर्म **101** में प्रत्येक जिला कल्याण पदाधिकारी-सह-वक्फ नोडल पदाधिकारी द्वारा तैयार किए गए माँग की एक प्रति रखेगा ।

(4) जिला हेतु माँग रजिस्टर का संधारण संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी-सह-वक्फ नोडल पदाधिकारी/वक्फ निरीक्षक फॉर्म **102** में करेंगे।

(5) प्रत्येक मुतवल्ली/प्रबंध समिति**,** जो वक्फ अंशदान की अदायगी में चूक करता है**,** को वक्फ अंशदान के भुगतान के संबंध में फार्म **103** में एक नोटिस जारी की जाएगी।

(6) यदि मुतवल्ली/प्रबंध समिति उप नियम (**5)** के अधीन माँग की गई राशि की अदायगी में विफल होते हैं तो नियम **77** के उपनियम (**3)** के अधीन भू-राजस्व के बकाए के रूप में वसूली के लिए कार्रवाई की जाएगी।

(7) मुतवल्ली/प्रबंध समिति द्वारा उप नियम (**1)** के अधीन ब्यौरे प्रस्तुत करने में विफल होने पर**,** मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी या उनकी ओर से कोई अन्य प्राधिकृत पदाधिकारी उप नियम (**2)** के अंतर्गत विहित रीति से शुद्ध वार्षिक आय का मूल्यांकन करेंगे और उक्त वक्फ द्वारा भुगतेय अंशदान को निर्धारित करेंगे।

(8) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी या कोई अन्य प्राधिकृत पदाधिकारी**,**यदि आवश्यक हो**,** तो फॉर्म **104** में मुतवल्ली/प्रबंध समिति को एक नोटिस जारी करने के बाद उनकी वार्षिक आय का पुनरीक्षण करेंगे।

(9) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी मुतवल्ली को धारा **72** की उपधारा (**8)** के प्रयोजन हेतु फॉर्म **105** में नोटिस जारी करेंगे।

79. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा शिकायत दर्ज किया जाना:- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी धारा **73** की उपधारा (**4)** के अधीन संबंधित बैंक के अपराध के बारे में सम्बद्ध बैंक के अधिकारिता वाले पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज करेंगे।

80. वक्फ कोष निधि और इसके व्यय का रजिस्टरः-बोर्ड वक्फ निधि में प्राप्त राशियों की उगाही और व्यय हेतु निम्नलिखित रजिस्टरों का संधारण करेगा:-

(क) दान रजिस्टर फॉर्म **106** में होगा।

(ख) न्यायालय शुल्क से आय का रजिस्टर फॉर्म **107** में होगा।

(ग) धारा **72** के अधीन वक्फ अंशदान का रजिस्टर फॉर्म **108** में होगा।

(घ) निवेश का रजिस्टर फार्म **109** में होगा।

(ड़) व्यय का रजिस्टर फार्म **110** में होगा ।

(च) रोकड़ बही का रजिस्टर फॉर्म **111** में होगा ।

(छ) बोर्ड द्वारा संधारित सभी खातों पर प्रोद्भुत ब्याज का रजिस्टर फॉर्म **111 (**क) में होगा**,** परन्तु यह कि इन बैंक खाताओं में प्रोद्भूत ब्याज का उपयोग पूरी पारदर्शिता से निराश्रितों की जरूरतों के लिए बिना किसी इनाम की प्रत्याशा से किया जाएगा और लेन-देन का हिसाब देना होगा।

81. बोर्ड के बजट का फॉर्म:- आगामी वित्तीय वर्ष हेतु तैयार होने वाले बोर्ड का वार्षिक बजट धारा **78** की उपधारा (**1)** के अधीन फॉर्म **112** में होगा और इसे चालू वित्तीय वर्ष के जनवरी माह के अंत तक तैयार कर लिया जाएगा । बजट में निम्नलिखित विवरण अंतर्विष्ट होंगे:-

I फॉर्म संख्या **112 (**क) में प्राप्तियों का विवरण-

(i)वक्फ अंशदान की माँग का विवरण फॉर्म **112**क (**i**) में होगा।

(ii)भरण-पोषण अनुदान का विवरण फॉर्म **112**क (**ii**) में होगा।

(iii)किराया प्राप्ति का विवरण फॉर्म **112**क (**iii**) में होगा।

(iv)अन्य अनुदानों का विवरण फॉर्म **112**क (**iv**) में होगा।

(v)बैंक में जमा पर ब्याज का विवरण फॉर्म **112**क (**v**) में होगा।

(vi)पेशईमाम और मौअज्जन के मानदेय का विवरण फॉर्म **112**क (**vi**) में होगा तथा

(vii)अधिनियम की धारा **77** की उपधारा (**4)** के खंड (छ) के अंतर्गत मुस्लिम महिलाओं के भरण-पोषण के भुगतान के प्रयोजन से बोर्ड द्वारा प्राप्त अनुदान का विवरण फॉर्म **112**क (**vii**) में होगा।

II फॉर्म संख्या**112 (**ख) में व्यय का विवरण:-

(i) बोर्ड के पदाधिकारियों और कर्मियों के वेतन और अन्य भत्तों का विवरण फॉर्मसंख्या **112**बी (**i**) में होगा।

(ii) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों तथा जिला औकाफ समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के मानदेय**,** बैठक शुल्क तथा अन्य भत्तों का विवरण फॉर्म **112** बी (**ii**) में होगा।

(iii) जिला औकाफ समिति द्वारा उपगत व्यय का विवरण**112**बी (**iii**) मेंहोगा।

(iv) बोर्ड के आकस्मिक व्यय का विवरण **112**बी (**iv**) में होगा।

(v) वक्फ संपतियों के परिरक्षण और संरक्षण पर उपगत व्यय का विवरण फॉर्म **112**बी (**v**) में होगा।

(vi) पेशईमाम और मौअज्जनों के मानदेय का विवरण फॉर्म **112** बी (**vi**) में होगा और

(vii) अधिनियम की धारा **77** की उप धारा (**4)** के खंड (जी) के अधीन मुस्लिम महिलाओं के भरण-पोषण हेतु भुगतान का विवरण फॉर्म **112** बी (**vii**) में होगा।

अध्याय-VIII

न्यायाधिकरणों आदि के गठन

82. राज्य सरकार न्यायाधिकरणों के सुचारू कार्य चालन के लिए अनुदान और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराएगी।अध्यक्ष को न्यायाधिकरणों की अपेक्षा के अनुरूप निधियों का उपयोग करने का प्राधिकार होगा ।

83. सदस्यों की नियुक्ति और न्यायाधिकरणों के काम काज

(1) झारखण्ड सरकार**,** झारखण्ड उच्च न्यायालय के परामर्श से धारा **83** की उपधारा (**4)** के खंड (क) के अधीन न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त या प्रतिनियुक्त करेगी ।

(2) राज्य सरकार धारा **83** की उपधारा (**4)** के खंड (ख) के अधीन अधिकतम तीन वर्ष के लिए न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त या प्रतिनियुक्त करेगी ।

(3) राज्य सरकार धारा **83** की उपधारा (**4)** के खंड (ग) के अधीन विहित अहर्ताधारक किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे मान्यता प्राप्त इस्लामिक केंद्र/विश्वविद्यालय से डिग्री या सर्टिफिकेट हो और जो मुफ्ती/काजी/सहायक प्राध्यापक से अन्यून स्तर का हो या कार्यरत् ऐसा अधिवक्ता जिसे वकालत में कम-से-कम **20** वर्षों का अनुभव हो और जिसके पास इस्लामिक विधि शास्त्र में सर्टिफिकेट हो**,** न्यायाधिकरण के एक सदस्य के रूप में अधिकतम तीन वर्ष के लिए नियुक्त या प्रति नियुक्त करेगी ।

(4) किसी शंका के निवारण हेतु किसी भी दिए गए समय पर न्यायाधिकरण के सदस्यों की रिक्ति नहीं भरी जाती है या अध्यक्ष के अलावा कोई सदस्य अनुपस्थित हो जाता है, तो न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कार्य करने और आदेश जारी करने में सक्षम होंगे।

(5) धारा **84** की उपधारा **4 (**ख) और (ग) के अधीन सदस्य यदि अध्यक्ष के न्यायिक फैसले से सहमत नहीं होते हैं तो वे अपनी अलग राय लिख सकेंगे जो कि आदेश/फैसले का भाग बनेगा।

(6) कार्यकारी सदस्य के वेतन, भत्ते और सेवाशर्तें वैसे ही अनुमान्य होंगे जैसा कि उनके संबंधित विभागों में हैं ।

(7) इस्लामिक धर्म विद्या की जानकारी रखने वाले सदस्य के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएँगी, जो कि सामान्यतः कार्यकारी सदस्य के वेतन मान के सममूल्य पर होगा ।

(8) राज्य सरकार ऐसे कर्मियों की नियुक्ति करेगी जो न्यायाधिकरण की अपेक्षा के अनुरूप होगा।

84. न्यायाधिकरण की भाषा:-न्यायाधिकरण के कामकाज की भाषा अंग्रेजी, उर्दू और हिन्दी होगी जबकि अंतिम निर्णय अंग्रेजी में होगा ।

85. आवेदन/वाद/अपील के फॉर्मः-

(1) अधिनियम के उपबंधों के अधीन न्यायाधिकरण के समक्ष दाखिल किए जाने वाले सभी आवेदन जिसमें धारा **83**की उपधारा (**1)** के अधीन किसी विवाद प्रश्न या अन्य मामलों के अवधारण के भी आवेदन सम्मिलित है, फॉर्म **113** में दिए जायेंगे।

(2) न्यायाधिकरण के समक्ष दाखिल किया जानेवाला प्रत्येक वाद-पत्र या अपील का ज्ञापन सिविल प्रक्रिया संहिता और सिविल वकालत नियमावली में यथा विहित फॉर्म में होगा।

(3) प्रत्येक ऐसा आवेदन वाद या अपील न्यायाधिकरण के रजिस्ट्री के समक्ष व्यक्ति द्वारा स्वयं या सम्यक्रूप से उसके द्वारा प्राधिकृत अभिकर्त्ता या अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत करना होगा ।

86. अंतरिम आदेश हेतु आवेदन/वादपत्र/अपील का फॉर्मः-

वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष प्रत्येक आवेदन (बेदखली/प्रकीर्ण/अंतर्वर्ती/तामील/ हस्तक्षेप), वाद, अपील या अन्य कार्यवाही में अंतिम आदेश की प्रार्थना के साथ एक शपथ-पत्र लगा रहना चाहिए।

87. न्यायालय शुल्क-:

(1) प्रत्येक आवेदन (बेदखली/प्रकीर्ण/अंतर्वर्ती/तामील/हस्तक्षेप), वाद पत्र या अपील-ज्ञापन या सार्वजनिक सम्पत्ति और सार्वजनिक दान-पुण्य से संबंधित अन्य आवेदन के साथ सरकार द्वारा अधिसूचित कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम में विहित न्यायालय शुल्क लगा रहना चाहिए।

(2) जब तक कि यथा विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं हो जाता, वक्फ न्यायाधिकरण की कोई नोटिस, सम्मन या अन्य प्रक्रिया निर्गत नहीं की जाएगी, और किसी आदेशों, दस्तावेजों या अन्य अभिलेखों की ऐसी प्रमाणित प्रतियाँ नहीं दी जाएगी ।

88. आवेदन, वाद पत्र और अपील-ज्ञापन की संवीक्षाः-

(1) न्यायाधिकरण के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही में आवेदन (बेदखली/प्रकीर्ण/अंतर्वर्ती/ तामील/हस्तक्षेप), वाद-पत्र या ज्ञापन वक्फ बोर्ड और विरोधियों के सेवार्थ पर्याप्त संख्या में दिए जायेंगे ।

(2) न्यायाधिकरण की रजिस्ट्री बेदखली आवेदन, प्रकीर्ण आवेदन, वाद पत्र याअ पील-ज्ञापन की संवीक्षा करने के बाद सुधार के लिए दुर्बलताएँ दर्शाते हुए चेक लिस्ट तैयार करेगी ।

(3) यदि आवेदन, वाद या अपील की संवीक्षा किए जाने पर इसे नियमानुकूल पाया जाता है, तो इसे सिविल न्यायालय नियमावली में विहित फॉर्म में यथा स्थिति आवेदनों, वादों या अपीलों के रजिस्टर में उसके लिए एक मुकदमा संख्या नियत करते हुए सम्य क्रूप से रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा।

(4) यदि आवेदन, वाद पत्र या अपील त्रुटिपूर्ण पाया गया हो, तो रजिस्ट्री स्वयं द्वारा विनिर्दिष्ट समय के अंदर पक्षकार को त्रुटि सुधारने के लिए अनुमति देगी। यदि पक्षकार अनुमत ऐसे समय के अंदर त्रुटियों को सुधारने में विफल रहता है तो रजिस्ट्री समुचित आदेशों के लिए मामले को वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष रखेगी।

(5) शिरिस्तदार/रजिस्ट्रार/शपथ आयुक्त शपथ का प्रति ज्ञान दिलाने के लिए सक्षम हैं ।

89. दस्तावेजः-

(1) न्यायाधिकरण के समक्ष दाखिल करने के समय या आवेदन, वाद या अपील की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत सभी दस्तावेजों को उनके उपाबंधों के साथ सम्यक रूप से अनुक्रमित कर दिए जाएँगे।

(2) ऐसे दस्तावेज पढ़े जाने योग्य होने चाहिए और टंकित रूप में हों, यदि आवश्यक हो ।

(3) यदि दाखिल दस्तावेज अंग्रेजी से भिन्न अन्यभाषा में हो, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया जा सकेगा, यदि न्यायाधिकरण द्वारा ऐसा निदेश दिया गया हो ।

90. नोटिसों की तामीलः-आवेदन/वाद/अपील में प्रतिवादियों/प्रत्यर्थियों को प्रत्येक नोटिस सामान्यतः भेजी जाएगी और अभिस्वीकृति सहित निबंधित डाक या मान्यता प्राप्त कुरियर द्वारा इसकी तामील कराई जाएगी । बोर्ड पर नोटिस की तामील उनके प्रतिधारकों के द्वारा और उनकी अनुपस्थिति में दस्ती सेवा द्वारा की जाएगी । मुकदमे की सुनवाई अत्यावश्यक होने पर और/या सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश **xxxix** के अधीन किसी आदेश के तहत अन्य प्रतिवादियों पर दस्ती सेवा द्वारा नोटिस की तामील की अनुमति दी जासकती है ।

यदि न्यायाधिकरण इस बात से संतुष्ट हो जाए कि प्रतिवादी/प्रत्यर्थी ऐसे नोटिस की तामील से बच रहा है या ऐसे नोटिस की तामील किसी अन्यकारण से साधारण रीति से नहीं करायी जा सकती है, तो न्यायाधिकरण अपने किसी कर्मचारी के द्वारा दस्ती सेवा के माध्यम से नोटिस की तामील का आदेश देगा अन्यथा सिविल प्रक्रिया संहिता, **1908** के आदेश अ, नियम **20** के उपबंधों के अनुसार नोटिस की तामिल का आदेश दे सकेगा ।

91. न्यायाधिकरण की बैठकः-न्यायाधिकरण सामान्यतः अपनी बैठक प्रत्येक कार्य दिवस में **10:30** पूर्वाह्न से **1:00** अपराह्न और **2:00** अपराह्न से **4:45** अपराह्न तक करेगी ।

92. सुनवाई और निपटाराः- न्यायाधिकरण के समक्ष दाखिल किए गए प्रत्येक आवेदन (बेदखली/प्रकीर्ण/अंतर्वर्ती/तामील/हस्तक्षेप) पर सिविल न्यायालय नियमावली में यथा विहित संक्षिप्त रीति से सुनवाई और उसका निष्पादन किया जाएगा**,** और न्यायाधिकरण के समक्ष दाखिल प्रत्येक वाद या अपील की सुनवाई और उसका निष्पादन सिविल प्रक्रिया संहिता**, 1908** में वादों और अपीलों की सुनवाई के लिए विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा ।

93. प्रमाणित प्रतियाँः-प्रदर्श के रूप में चिन्हित कोई भी आदेश**,** निर्णय**,** डिक्री**,** कार्यवाही**,** आवेदन**,** वाद-पत्र**,** अपील या दस्तावेज सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसे शुल्क के भुगतान पर कार्यवाहियों के पक्षकारों द्वारा प्राप्त किया जासकता है । प्रमाणित प्रतियों को जारी करने के लिए सिविल न्यायालय नियमावली के भाग-**iv** के उपबंध लागू होंगे ।

94. धारा **83** के अधीन न्यायाधिकरण के आदेशों का निष्पादनः-न्यायाधिकरण के किसी विनिश्चय के प्रवर्तन की माँग करने वाला कार्यवाही का पक्षकार**,** अधिनियम की धारा **54** की उपधारा (**4)** के अधीन पारित आदेशों के सिवाय**,** इसके निष्पादन के लिए डिक्री/आदेश की प्रमाणित प्रतियों के साथ न्यायाधिकरण को आवेदन करेगा और अधिनियम की धारा **83** की उपधारा (**5)** के अनुसार इसका निष्पादन किया जाएगा और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा **39** में यथा वर्णित स्थिति की दशा में इसके निष्पादन के लिए अधिनियम की धारा **83** की उपधारा (**8)** के अनुरूप न्यायाधिकरण के विनिश्चय को सिविल न्यायालय सक्षम अधिकारिता को भेजा जा सकेगा**;** और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश गगप के उपबंधों के अनुरूप इसका निष्पादन किया जा सकेगा ।

95. वक्फ न्यायाधिकरण के लिए फॉर्मः- इस नियम और सिविल न्यायालय नियमावली में विहित सभी फॉर्म न्यायाधिकरण द्वारा उपयोग किए जाएँगे ।

96. पोशाक संहिताः- विधि व्यवसायी राज्य बार काउंसिल द्वारा समय-समय पर यथा विहित व्यावसायिक पोशाक में न्यायाधिकरण के समक्ष हाजिर होंगे ।

97. न्यायालय शुल्क आदि की प्राप्ति के फॉर्म-न्यायाधिकरण अधिनियम या नियमावली के अधीन स्वयं द्वारा वसूल की गई राशि के संबंध में फॉर्म **114** में नगद रसीद जारी करेगा ।

98. परिसीमाः-अधिनियम**,** नियमावली और विनियमावली के अधीन बोर्ड द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग करते हुए जारी किसी विनिश्चय या आदेश सेव्यथित कोई व्यक्ति उस विनिश्चय या आदेश की तिथि से **90** दिनों के अंदर उन मामलों में**,** जहाँ इस बाबत किसी आवेदन या अपील को तरजीह देने के लिए कोई समय सीमा नहीं है**,** अधिनियम के अधीन विहित न्यायाधिकरण के समक्ष यथा विहित आवेदन या अपील को तरजीह दे सकेगा।

परंतु यह कि न्यायाधिकरण आवेदन देने या अपील दायर करने में हुए विलम्ब के लिए माफी दे सकेगा**,** यदि आवेदन देने या वाद/अपील दायर करने में हुए विलम्ब का उचित कारण दर्शाया गया हो।

अध्याय-IX

प्रकीर्ण मामले

99. बोर्ड का सामान्य वार्षिक प्रतिवेदनः-

(1) सरकार यथा शीघ्र प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन के बाद बोर्ड के सामान्य वार्षिक प्रतिवेदन को फॉर्म संख्या **115** में दो भागों में तैयार करवाएगी । प्रतिवेदन का भाग-**1** उसमें विनिर्दिष्ट विशिष्टियों से संबंधित प्रतिवेदन होगा**,** और भाग-**11** में उसमें विनिर्दिष्ट फॉर्मों में सांख्यिकीय आंकड़ें अंतर्विष्ट होंगे।

(2) प्रति वर्ष**1** जुलाई से पहले प्रतिवेदन को अंतिम रूप दे दिया जाएगा ।

(3) विचार किए जाने वाले मुख्य बिन्दुओं को प्रतिवेदन में संबंधित शीर्षों के सम्मुख लिख दिए जाएँगें और मंजूरी आदि से संबंधित आवश्यक जानकारियों को प्रतिवेदन में इसे व्यापक बनाने के लिए सम्मिलित किया जाना चाहिए।

(4) प्रतिवेदन की प्राप्ति के तुरंत बाद सरकार राज्य विधान मंडल के समक्ष इसे रखने के बाद उक्त प्रतिवेदन पर एक समेकित पुनर्विलोकन जारी करेगी ।

100. निरसन और व्यावृतियाँ-

1.झारखण्ड वक्फ नियमावली**, 2004** एतद्द्वारा निरसित की जाती है ।

2.ऐसा निरसन के होते हुए भी उक्त नियमावली के अधीन कोई भी किया गया कार्य या की गई कार्रवाई इस नियमावली के तत्संगत उपबंधों के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

परंतु यह कि ऐसा निरसन उस तत्संगत कानून और उसके विषय से संबंधित पूर्ववर्ती कार्यान्वयन को प्रभावित नहीं करेगा**,** तत्संगत कानून द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या इस के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए किया गया कार्य या की गई कार्रवाई समझी जाएँगी मानो यह नियमावली उस दिन लागू थीं जब ऐसे कार्य किए गए थेया ऐसी कार्रवाई की गई थी ।

झारखण्ड के राज्यपाल के नाम और आदेश द्वारा

सरकार के सचिव
अनुसूचित जनजाति**,** अनुसूचित जाति**,** अल्प संख्यक
एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग**,**
झारखण्ड**,** राँची।

वक्फ अधिनियम, **1995** और झारखण्ड वक्फनियमावली, **2024** के अधीन वक्फों के सर्वेक्षण हेतु विहित फॉर्म।

फॉर्म-**1**

(नियम-**4** देखें)

सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा प्रत्येक वक्फ संस्थान के सर्वेक्षण के बारे में ब्यौरा

1- वक्फ का नाम
2- वक्फ की अवस्थिति
जिला अनुमंडल सर्किल सं० क्र०सं०
3- वक्फ के ब्यौरे
सुन्नी/शिया वक्फ संस्थान का सृजन दिनांक वर्ष
4- वक्फ विलेख/विलेखों के ब्यौरे
(क) संपत्ति को समर्पित करने वाले व्यक्ति का नाम
(ख) गवाह
(ग) हिताधिकारी, यदि कोई हो
(घ) (यदि आनुवंशिक हो) मुतवल्ली का नाम
5- अचल संपत्ति का वर्णन
(1) मौजा/राजस्व थाना/सर्किल खाता संख्या/खेसरा संख्या (पुराना/नया)
(2) क्षेत्र/आयाम
(3) गाँव/शहर/नगर
(4) सीमा उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम
(5) मूल्य
6- अंतिम सर्वेक्षण के बाद अर्जित अतिरिक्त संपत्ति
(1) मौजा/राजस्वथाना/सर्किल/खातासं०/खेसरा सं० (पुराना/नया)
(2) क्षेत्र/आयाम
(3) गाँव/शहर/नगर

4) सीमा उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम
(5) मूल्य
7. चल संपत्तियों के ब्यौरे
(1) शेयर और जमा/प्रतिभूतियाँ
(2) सोना/चाँदी तथा अन्य मूल्यवान
(3) अन्य स्रोत **(**क) गोलक/हुंडी **(**ख) मासिक अंशदान **(**ग) विविध आय
7- वक्फ संस्थान की आय
(1) अचल
(2) चल
(3) अन्य स्रोत
(4) कुल
8- प्रशासन के ब्यौरे
(1) प्रथा/उपयोग के द्वारा
(2) न्यायालय द्वारा निर्धारित योजना के द्वारा
(3) बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रशासन की योजना
9- वक्फ संपत्ति की पट्टा के ब्यौरे
(1) अवधि से तक
(2) पट्टाधारी का नाम
(3) पट्टा का प्रयोजन
(4) वार्षिक आय
(5) अग्रिम और दान**,** यदि कोई हो
(6) टिप्पणी
मुतवल्ली का हस्ताक्षर वक्फ पदाधिकारी/वक्फ निरीक्षक का हस्ताक्षर सर्वेक्षण करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर
10- अतिरिक्त ब्यौरे/सूचना**,** यदि कोई हो

(संबंधित का नाम और हस्ताक्षर)

फॉर्म-2

नियम-6 देखें

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार सचिवालय

..... विभाग

.....राँची

<u>अधिसूचना</u>

वक्फ अधिनियम**, 1995** की धारा **5 (2)** के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए**,** जैसा कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम**, 2013 (2013** का **27)** द्वारा संशोधित अनुसूचित जनजाति**,** अनुसूचित जाति**,** अल्प संख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग**,** झारखण्ड सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि निम्नलिखित वक्फ संपत्तियों के रूप में सम्यक रूप से ..... औकाफ का सर्वेक्षण ..... सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा सर्वेक्षण किया गया और झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा पत्र संख्या..... दिनांक.....में सत्यापित किया गया ।

जिला का नाम..... गाँव .....

क्र० सं०	**संस्थान का नाम औरपता**	**सुन्नी या शिया**	**वक्फ संपत्ति की अवस्थिति और ब्यौरे**				**वक्फ के सृजन का वर्ष/रजिस्ट्रेशन सं0 और तिथि**	**वक्फ का नाम और पता**	**हिताधिकारी यदि कोई हो**	**वक्फ कीवस्तु**	**वक्फ की सकल आय**	**प्रथा/ आनुवांशिक द्वारा प्रशासन**	**बोर्ड के द्वारा अनुमोदित योजना**	**पूर्व की अधिसूचना से विलोपित या परिवर्तित सं० और दिनांक**
			नगर/ शहर/ गाँव	मौजा/ राजस्व थाना/ सर्किल/ खाता सं०/ खेसरा सं० (पुराना/ नया)	विस्तार	सीमा				न्यायालय या बोर्ड द्वारा निर्धारित योजना				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

फॉर्म 3

[**नियम 8 (i) देखें**,]

वक्फ संपत्तियों के अभिलेखों के अद्यतन हेतु आवेदन

सेवा में**,**

.....सर्किल कार्यालय के सर्किल अधिकारी**,** निगम आयुक्त/.....के कार्यपालक पदाधिकारी/.....ग्राम पंचायत के सचिव ।

एतद्द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि झारखण्ड वक्फ नियमावली**, 2024** के नियम **7** के अधीन नीचे दर्शाई गई संपत्तियों के अभिलेखों को अद्यतन किया जाए ।

1. वक्फ का नाम

2. रजिस्ट्रेशन संख्या और तिथि**,** यदि कोई होः

3. अधिसूचना संख्या और तिथि**,** यदि कोई होः

4. वक्फ संपत्तियों का ब्यौराः

(क) मौजा/राजस्व थाना/सर्किल/खाता सं०/खेसरा सं० (पुराना/नया)

(ख) संपत्ति संख्याः

(ग) विस्तार (एकड़/वर्ग फीट में)**:**

5. यदि संपत्ति उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ है: प्रथा की अवधि संकेत की जाए

6. यदि बिक्री/उपहार/हिबा द्वारा अर्जित हो: दस्तावेज संख्या/ विलेख संख्या

7. संस्थान का नाम जिसके पक्ष में: अद्यतन किए जाने वाले अभिलेख 'वक्फ संपत्ति' शब्द**,** संस्थान के नाम के साथ अंतः स्थापित किया जा सकता है ।

8. मुतवल्ली का नाम और पता या: सूचना आदि पर हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति का नाम

9. अन्य कोई सुसंगत जानकारी

10. दस्तावेजों की सूची:

(नाम तथा पद/आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदन संख्या ..... दिनांक ..... से .....वक्फ संस्थान के अभिलेखों के अद्यतन के संबंध में संलग्न कों के साथ..... दिनांक को प्राप्त किया ।

सम्बंधित प्राधिकरण का हस्ताक्षर

फॉर्म संख्या-4

[नियम 8 (3) (क) देखें]

अचल संपत्ति का रजिस्टर

क्र० सं०	**वक्फ का नाम और पता**	**संपत्ति की प्रकृति**	**अर्जित होने का माध्यम वाकिफ का नाम और दिनांक संकेतित किया जाए**				(1) **मौजा/राजस्व थाना/सर्किल/ खाता सं०/खेसरा सं० (पुराना/नया)**	**विस्तार**	**मूल्यांकन**	**बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रेशन सं० और तिथि**	**बोर्ड द्वारा अधिसूचनासं० और तिथि**	**खातेदार का नाम**	**वार्षिक आय**	**अर्जन/अनुदान/न्यायालय द्वारा निपटारा**
			उपहार/ हिबा का विलेख	अनुदान	क्रय किया हुआ	अन्य								
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**

जिला का नाम.....सर्किल सं०.....नगर/शहर.....

गाँव.....

मुतवल्ली/प्रबंध समिति के हस्ताक्षर

फॉर्म संख्या-5

[नियम 8 (3) (ख) देखें]

चल संपत्ति का रजिस्टर

क्र० सं०	वक्फ का नाम और पता	चल संपत्ति का वर्णन	दानकर्त्ता का नाम	क्रय/दान की तिथि	सं०/मूल्य	बिल सं० और दिनांक	चल संपत्ति की स्थिति	चल संपत्ति से आय यदि कोई हो	अप्रचलित के रूप में घोषित आदेश और संख्या	कार्रवाई की तिथि बिक्री प्रक्रिया (रू0 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

मुतवल्ली/प्रबंध समिति के हस्ताक्षर

फॉर्म संख्या-6

[नियम 8 (3) (ग) देखें]

पट्टा कारजिस्टर

जिला का नाम.....

सर्किल सं०.....

मुतवल्ली/प्रबंध समिति के हस्ताक्षर

क्र०सं०	वक्फ का नाम और पता	संपत्ति कीब्यौरा	लीज का प्रयोजन	पुस्तिका/पत्र अधिसूचना के जारी होने की तिथि	पट्टाधारी का नाम और पता	पट्टा कीअवधि	निबंधित पट्टा/ विलेख की सं० और तिथि	मासिक किराया	पट्टा के प्रारंभ की तिथि	पट्टा के समापन की तिथि	एक साल से अधिक पट्टा के लिए बोर्ड/सरकार से अनुमोदन की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

फॉर्म संख्या-7

[नियम 8 (3) (घ) देखें]

विकसित सम्पत्तियों का रजिस्टर

क्र०सं०	वक्फ का नाम और पता	विकसित सम्पत्तियों का ब्यौरा	योजना का नाम जिसके अंतर्गत विकसित पीपीपी/ बीओएटी/एनएडब्लुएडीसीओ/अन्य	विकसित बोर्ड/संस्थान का नाम और पता	विकासक को दी गई पट्टा की अवधि	सरकार के अनुमोदन की तिथि	विकसित बोर्ड/संस्थान द्वारा निवेशित राशि	मासिक किराया आय	पट्टा/परियोजन के प्रारम्भ की तिथि	पट्टा/परियोजन के समापन की तिथि	सुरक्षा जमा	प्राप्ति की तिथि	मासिक किराया	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

मुतवल्ली/प्रबंध समिति के हस्ताक्षर

फॉर्म संख्या-8

[नियम 8 (3) (ड़) देखें]

सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अर्जित वक्फ संपत्तियों के ब्यौरे का रजिस्टर

जिला का नाम..... सर्किल०/नाम.....

क्र० सं०	वक्फ का नाम और पता	अर्जित संपत्ति का ब्यौरा अर्जित संपत्ति का ब्यौरा			अर्जन का प्रयोजन	निर्धारित प्रतिकर	भुगतान की गई राशि की तिथि	न्यायालय का नाम जमा प्रतिकर की तिथि	क्या वृद्धि के लिए अपील की गई है	विवाद/अपील के परि निर्धारण	बढ़े हुए प्रतिकर की प्राप्ति	समान वस्तु के निवेश की तिथि	अभ्युक्ति
		गाँव/शहर का नाम	(1) मौजा/राजस्व थाना/सर्किल/खाता सं०/खेसरा (पुराना/नया)	एकड़/वर्ग फीट में विस्तार									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

मुतवल्ली/प्रबंध समिति के हस्ताक्षर

फॉर्म संख्या-9

[**नियम 8 (6) देखें**]

वक्फ के रजिस्टर में औकाफ की अचल संपत्ति का रजिस्टर

जिला का नाम.....

क्र० सं०	सर्किल का नाम	वक्फ का नाम औरपता	संपत्ति की प्रकृति	अर्जित करने का माध्यम (वाकिफ का नाम और दिनांक संकेतिक किया जाय)				(1) मौजा/राजस्व थाना/सर्किल/खाता सं०/खेसरा (पुराना/नया)	विस्तार	मूल्यांकन	बोर्ड द्वारा निबंधन संख्या और तिथि	बोर्ड द्वारा अधिसूचना की तिथि और संख्या	खातेदार का नाम	वार्षिक आय	न्यायालय द्वारा निष्पादित अनुदान/अर्जन की ब्यौरा
				उपहार/ हिबा का विलेख	अनुदान	क्रय कि याहु आ	अन्य								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

वक्फ पदाधिकारी का हस्ताक्षर

फॉर्म संख्या-10

[**नियम 8 (6) देखें**]

औकॉफ की चल संपत्ति का रजिस्टर

जिला का नाम.....

क्र०सं०	सर्किल का नाम	वक्फ का नाम और पता	चल संपत्ति का वर्णन	दानकर्ता का नाम	क्रय/दान की तिथि	संख्या/मूल्य	बिल संख्या और तिथि	चल संपत्ति की दशा	चल संपत्ति से आय यदि कोई हो तो	अग्रचलित के रूप में घोषित आदेश और सं०	कार्रवाई और बिक्री प्रक्रिया (रू0 में) दिनांक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

दिनांकः.....

वक्फ पदाधिकारी का हस्ताक्षर

फॉर्म संख्या-11

[**नियम 8 (6) देखें**]

वक्फ संपत्तियों के पट्टों का रजिस्टर

जिला का नाम.....

क्र० सं०	सर्किल का नाम	वक्फ का नाम और पता	संपत्ति का ब्यौरा	पट्टा का प्रयोजन	पुस्तिका/पत्र अधिसूचना के जारी होने की तिथि	पट्टाधारी का नाम और पता	पट्टा की अवधि	निबंधित पट्टा/ विलेख की संख्या और तिथि	मासिक किराया	पट्टा के प्रारंभ की तिथि	पट्टा के समापन की तिथि	एक वर्ष से आगे की पट्टा के लिए बोर्ड/सरकार से अनुमोदन की तिथि	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

दिनांक-.....

वक्फ पदाधिकारी का हस्ताक्षर

फॉर्म संख्या-12

[**नियम 8 (6) देखें**]

विकसित संपत्तियों का रजिस्टर

जिला का नाम.....

सर्किल सं०.....

क्र०सं०	सर्किल का नाम	वक्फ का नाम औरपता	विकसित संपत्ति का ब्यौरा	योजना का नाम जिसके अंतर्गत विकसित की गई पीपीएफ/एनएडब्ल्युएडीसीओ/अन्य	विकासक/ बोर्ड/ संस्थान का नाम और पता	विकासक को दी गई पट्टा की अवधि	सरकार से अनुमोदन की तिथि	विकासक/ बोर्ड/ संस्थान द्वारा निवेशित राशि	मासिक किराया आय	पट्टा/ परियोजना प्रारंभ कि तिथि	पट्टा/ परियोजना समापन की तिथि	प्राप्त राशि (रूपये में)			अभ्युक्ति
												सुरक्षा जमा	प्राप्ति तिथि	मासिक किराया	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

फॉर्म संख्या-13

[**नियम 8 (6) देखें**]

सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अर्जित वक्फ संपत्तियों के ब्यौरे का रजिस्टर

जिला का नाम.....

क्र०सं०	तालुक का नाम वक्फ का नाम और पता	वक्फ का नाम औरपता	अर्जित संपत्ति का ब्यौरा			अर्जन का प्रयोजन	निर्धारितप्रतिकर	दिनांक और भुगतान की गई राशि	न्यायालय का नाम तथा जमाप्रतिकर की तिथि	क्या वृद्धि के लिए अपील किया गया है	विवाद/अपील के परिनिर्धारण की तिथि	बढ़ी हुई प्रतिकर प्राप्त	समान वस्तु के लिए निवेश की तिथि	अभ्युक्ति
			गाँव/शहर का नाम	(1) मौजा/राजस्वथाना/ सर्किल/खातासं०/खेसरा (पुराना/नया)	विस्तार एकड़/वर्ग फीट में									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

फॉर्म संख्या-14

[**नियम 8 (8) देखें**]

झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड में औकाफ की अचल संपत्तियों का रजिस्टर

जिला का नाम.....

क्र० सं०	सर्किल का नाम	वक्फ का नाम और पता	संपत्ति कीप्रकृति	अर्जन का माध्यम/वाकिफ का नाम और दिनांक दर्शाया जाए।				(1) मौजा/राजस्वथाना/सर्किल /खातासं०/खेसरा (पुराना/नया)	विस्तार	मूल्यांकन	बोर्ड द्वारा निबंधन संख्या और दिनांक	बोर्ड द्वारा अधिसूचना संख्या और दिनांक	खातेदार का नाम	वार्षिक आय	अनुदान/अर्जन न्यायालय के निष्पादन का ब्यौरा
				उपहार/हिबा का विलेख	अनुदान	खरीदी गई	अन्य								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का हस्ताक्षर

फॉर्म संख्या-15

[**देखें नियम 8 (8)**]

झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड चल संपत्तियों का रजिस्टर

जिला का नाम.....

क्र०सं०	सर्किल का नाम	वक्फ का नाम और पता	चल संपत्ति का वर्णन	दानकर्ता का नाम	क्रय/दान की तिथि	संख्या/ मूल्य	बिल सं० और दिनांक	चल संपत्ति की दशा	चल संपत्ति से आय यदि कोई हो	अग्रचलित के रूप में घोषित आदेश और सं०	कार्यवाई और बिक्री प्रक्रिया की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का हस्ताक्षर

फॉर्म सं0 16

(**नियम 8 (8) देखें**)

झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड में वक्फ संपत्तियों के पट्टों का रजिस्टर

जिले का नाम.....

क्रम सं0	अंचल का नाम	वक्फ का नाम एवं पता	संपत्ति का विवरण	पट्टा का प्रयोजन	पत्रकों/पत्र अधिसूचना निर्गत होने की तारीख	पट्टाधारक का नाम एवं पता	पट्टा की अवधि	पंजीकृत पट्टा विलेख की संख्या एवं तारीख	मासिक किराया	पट्टा आरंभ होने की तारीख	पट्टा के समापन की तारीख	एक वर्ष से ऊपर के पट्टा के लिए बोर्ड/सरकार के अनुमोदन की तारीख	अभ्युक्ति
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

दिनांक-.....

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड का हस्ताक्षर

फॉर्म सं0 17

(नियम 8 (8) देखें)

झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड में विकसित संपत्तियों का रजिस्टर

जिले का नाम.....

क्रम सं॰	अंचल का नाम	वक्फ का नाम एवं पता	विकसित संपत्ति का विवरण	उस योजना का नाम जिसके अधीन पीपीएम/ एन ए डब्लू ए डीसी ओ/ अन्य का विकास हुआ	विकासकर्त्ता/बोर्ड/ संस्थान का नाम एवं पता	विकासकर्त्ता को दी गयी पट्टा की अवधि	सरकार के अनुमोदन की तारीख	विकासकर्त्ता/बोर्ड/ संस्थान द्वारा निवेशित राशि	किराये से होनेवाली मासिक आय	पट्टा/ परियोजना के आरंभ होने की तारीख	पट्टा/ परियोजना के समापन की तारीख	प्राप्त राशि (रूपये में)			अभ्युक्ति
												प्रतिभूति जमा	पावती की तारीख	मासिक किराया	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	**16**

दिनांक-.....

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड का हस्ताक्षर

फॉर्म सं0 18

(नियम 8 (8) देखें)

सार्वजनिक प्रयोजनों से झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के लिए अधिग्रहित वक्फ संपत्तियों के ब्यौरे का रजिस्टर

जिले का नाम.....

क्रम सं0	तालुका का नाम	वक्फ का नाम एवं पता	अधिग्रहित संपत्ति का विवरण			अधिग्रहण का प्रयोजन	निर्धारित मुआवजा	भुगतान की गयी राशि और तारीख	मुआवजा जमा किये जानेवाले न्यायालय का नाम एवं तारीख	क्या अभिवृद्धि के लिए अपील की गयी है	विवाद/अपील निपटारा की तारीख	प्राप्त किया गया बढ़ा हुआ मुआवजा	उसी वस्तु के लिए किये गये पुनर्निवेश की तारीख	अभ्युक्ति
			ग्राम/ नगर का नाम	(1) मौजा/ राजस्व थाना/ अंचल (2) खाता सं0/ खेसरा सं0 (पुराना/नया)	एकड़/वर्ग फीट में रकबा									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

दिनांक-.....

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

फॉर्म 19

(नियम 11 (2) देखें)

सं**0.....,** दिनांक.....

अधिसूचना

वक्फ (संशोधन) अधिनियम**, 2013 (2013** का **27)** द्वारा यथा संशोधित वक्फ अधिनियम**, 1995** की धारा**14 (2)** एवं **3** के अधीन निर्वाचक नामावली तैयार करने संबंधी अधिसूचना ।

निम्नांकित निर्वाचक मंडलों के रूप में स्वयं को रजिस्ट्रीकृत कराने के योग्य व्यक्तियों को सूचित करने हेतु एतद द्वारा अधिसूचित किया जाता हैः-

(1)

(2)

(3)

(4)

कि

(i) आवेदन करने की अंतिम तिथि ..... है

(ii) सूची के प्रारूप प्रकाशन की तिथि..... है

(iii) दावों/आपत्तियों को दायर करने की तिथि ..... से ..... तक है

(iv) नियम**5** के खंड (**1) (**ग) के अनुसार अंतिम रूप से निर्वाचक नामावली का प्रकाशन ..... को होगा ।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
वास्ते झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड
के निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली का प्रकाशन

*****यहाँ निर्वाचक मंडलों का संकेत करें:

(1) संसद के मुसलमान सदस्यों का निर्वाचक मंडल

(2) राज्य विधान मंडल के मुसलमान सदस्यों का निर्वाचक मंडल

(3) मुस्लिम बार काउंसिल सदस्यों का निर्वाचक मंडल

(4) मुतवल्ली का निर्वाचक मंडल

(5) पूर्व मुसलमान सांसदों का निर्वाचक मंडल

(6) पूर्व मुसलमान राज्य विधान मंडल सदस्यों का निर्वाचक मंडल

(7) पूर्व मुसलमान बार काउंसिल सदस्यों का निर्वाचक मंडल

फॉर्म सं0 20

(नियम 12 (1) देखें)

..... के निर्वाचन मंडल के निर्वाचक का रजिस्ट्रेशन झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन हेतु ..... के निर्वाचक मंडल के लिए निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज का दावा

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी,

झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड

.....

महाशय,

निवेदन है कि मेरा नाम झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन हेतु ..... के निर्वाचक मंडल में शामिल करने की कृपा की जाए ।

संबंधित विवरण इस प्रकार है:

पूरा नाम: ..... पिता/पति का नाम ..... व्यवसाय .....

पता..... आयु..... (जन्म तिथि.....)

1.कि मैं राज्यसभा/लोकसभा का वर्तमान/निर्वतमान सदस्य/झारखण्ड विधानसभा का वर्तमान/निर्वतमान सदस्य/बार काउंसिल का सदस्य हूँ ।

2.कि मैं..... संस्थान का मुतवल्ली हूँ और संस्थान की वार्षिक आय एक लाख रूपये से अधिक है तथा झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड को दिया जाने वाला वक्फ अंशदान शून्य है । मैं घोषणा करता हूँ कि मैं 'सुन्नी/शिया मुसलमान हूँ ।

3.मैं घोषणा करता हूँ कि मैं भारत का नागरिक हूँ और यह कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण मेरे विश्वास और मेरी जानकारी में सत्य हैं ।

स्थान:

दिनांक:

आवेदक

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी का निर्णय

फॉर्म ..... में श्री/श्रीमती..... पता..... का आवेदन (क) स्वीकार किया जाता है और उपर्युक्त आवेदक का नाम भाग..... के क्रम संख्या..... पर दर्ज कर लिया गया है, (ख)..... के कारण अस्वीकृत किया जाता है ।

दिनांकः

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी

आवेदन की पावती श्री/श्रीमती.....पता.....से आवेदन प्राप्त किया ।

दिनांकः निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी

फॉर्म सं0 20 (क)

(नियम 12 (2) देखें)

इस फॉर्म को फॉर्म **20** में आवेदन के साथ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के पास जमा करें ।

झारखण्ड के वर्तमान/निर्वतमान मुसलमान सांसद/झारखण्ड विधानमंडल के मुसलमान सदस्य/झारखण्ड बार काउंसिल के मुसलमान सदस्य/ऐसे वक्फ संस्थानों, जिनकी वार्षिक आमदनी एक लाख रूपये के ऊपर है, के मुतवल्ली के निर्वाचक मंडल द्वारा झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड का चुनाव/उपचुनाव	फोटो

(1) नाम (बडे़ अक्षरों में) .....

भाग सं**0**

भाग सं**0**

(2) नमूने का हस्ताक्षर

(i)

(ii)

(iii)

फॉर्म 21 (क)

(नियम 14 (1) देखें)

भाग-क

वर्ष.....

झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड की सदस्यता हेतु झारखण्ड राज्य के मुसलमान सांसद सदस्यों का निर्वाचक मंडल

क्र0 सं0	संसद सदस्य का नाम	पिता /पति का नाम	लिंग	आयु	जन्मतिथि	लोकसभा/ राज्यसभा	झारखण्ड राज्य में पता	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	कार्यकाल आंरभ होने की तारीख
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**

स्थान: .....

दिनांक:.....

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी

फॉर्म 21 (ख)

(नियम 14 (1) देखें)

भाग-ख

वर्ष.....

झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड की सदस्यता हेतु (झारखण्ड राज्य) विधान मंडल के मुसलमान सदस्यों का निर्वाचक मंडल

क्र0सं0	विधान मंडल सदस्य का नाम	पिता/पतिका नाम	लिंग	आयु	जन्मतिथि	विधान सभा सदस्य	झारखण्ड राज्य में पता	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	कार्यकाल आंरभ होने की तारीख
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**

स्थान: .....

दिनांक:.....

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी

फॉर्म 21 (ग)

(नियम 14 (1) देखें)

भाग-ग

वर्ष.....

झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड की सदस्यता हेतु बार काउंसिल के मुसलमान सदस्यों का निर्वाचक मंडल

क्र0सं0	बार काउंसिल सदस्य का नाम एवं पता	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	जन्मतिथि	झारखण्ड राज्य में पता
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**

स्थान: .....

दिनांक:.....

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी

फॉर्म 21 (घ)

(नियम 14 (1) देखें)

भाग-घ

वर्ष.....

एक लाख रूपये से ऊपर के वार्षिक आय वाले संस्थान के मुतवल्ली का निर्वाचक मंडल

क्र०सं०	मुतवल्ली का नाम एवं पता	पिता/पति का नाम एवं पता	लिंग	आयु	जन्मतिथि	संस्थान का नाम एवं पता	संस्थान की वार्षिक आय
1	2	3	4	5	6	7	8

स्थान: .....

दिनांक:.....

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी

फॉर्म 22 (क)

(नियम 15 देखें)

भाग-ड.

वर्ष.....

झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड की सदस्यता हेतु झारखण्ड राज्य के पूर्व मुसलमान संसद सदस्यों का निर्वाचक मंडल

क्र०सं०	संसद सदस्य का नाम एवंपता	पिता /पति का नाम	लिंग	आयु	जन्मतिथि	लोकसभा/ राज्यसभा	झारखण्ड राज्य में पता	निर्वाचन क्षेत्र संख्या एवं नाम प्रतिनिधित्व की अवधि	कार्यकाल समाप्ति की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

स्थान: .....

दिनांक:.....

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी

फॉर्म 22 (ख)

(नियम 15 देखें)

भाग-च

वर्ष.....

झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड की सदस्यता हेतु (झारखण्ड राज्य) विधान मंडल के पूर्व मुसलमान सदस्यों का निर्वाचक मण्डल

क्र० सं०	विधान मंडल सदस्य का नाम एवं पता	पिता/पतिका नाम	लिंग	आयु	जन्मतिथि	विधानसभा सदस्य/ विधान पार्षद	झारखण्ड राज्य में पता	निर्वाचन क्षेत्र संख्या एवं नाम प्रतिनिधित्व की अवधि	कार्यकाल समाप्त होने की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

स्थान: .....

दिनांक:.....

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी

फॉर्म 22 (ग)

(नियम 15 देखें)

भाग-छ

वर्ष.....

झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड की सदस्यता हेतु (झारखण्ड राज्य) बार काउंसिल के पूर्व मुसलमान सदस्यों का निर्वाचक मंडल

क्र०सं०	बार काउंसिल के पूर्व सदस्य का नाम एवं पता	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	जन्मतिथि	सेवा अवधि	झारखण्ड राज्य में पता
1	2	3	4	5	6	7	8

स्थान: .....

दिनांक:.....

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी

फॉर्म 23

(नियम 17 देखें)

संख्याः.....

दिनांक.....

अधिसूचना

झारखण्ड सरकार एतद्द्वारा अधोलिखित निर्वाचक मंडलों के लिए वक्फ (संशोधन) अधिनियम **2013** द्वारा यथा संशोधित वक्फ अधिनियम**, 1995** की धारा **14** की धारा (**3**) तथा उपधारा (**1**) के खंड (ख) के उपखंड (**1**) से (**4**) तक के अधीन झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के सदस्यों की रिक्ति/रिक्तियों को भरने हेतु निम्नांकित निर्वाचन अनुसूची अधिसूचित करती है

क्र० सं०	**निर्वाचक मंडल का नाम**	**रिक्तियों की संख्या**

निर्वाचन अनुसूची निम्नांकित है:

(i) निर्वाचन आरंभ होने की तारीख .....

(ii) निर्वाची पदाधिकारी द्वारा फॉर्म **24** में सूचना देने की तारीख .....

(iii) नियम **18** के उपनियम (**1**) के खंड (ख) के अधीन नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि.....

(iv) नाम वापस लेने की तिथि .....

(v) नियम **18** के उपनियम (**1**) के खंड (घ) के अधीन संवीक्षा की तिथि.....

(vi) मतदान की तिथि .....

(vii) मतगणना की तिथि .....

(viii) निर्वाचन बंद होने की तिथि .....

उपर्युक्त निर्वाचन झारखण्ड वक्फ नियमावली**, 2024** के अनुसार संचालित किया जाएगा ।

दिनांक .....**:**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश और नाम से

फॉर्म 24

(नियम 18 (2) देखें)

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि -

(1) झारखण्ड राज्य के मुसलमान संसद सदस्यों/पूर्व मुसलमान संसद सदस्यों द्वारा झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के एक/दो सीटों को भरने के लिए एक निर्वाचन होने वाला है ।

या

(2) झारखण्ड के मुसलमान विधान मंडल सदस्य/पूर्व विधानमंडल सदस्यों द्वारा झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के एक/दो सदस्यों का निर्वाचन किया जाने वाला है ।

या

(3) बार काउंसिल के मुसलमान सदस्यों/पूर्व मुसलमान सदस्यों द्वारा झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के एक/दो सदस्यों का निर्वाचन किया जाने वाला है ।

या

(4) वैसे संस्थान जिनकी वार्षिक आय एक लाख रूपये से ऊपर है के मुतवल्ली द्वारा झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के एक/दो सदस्यों का निर्वाचन किया जाने वाला है ।

(5) किसी प्रत्याशी या उसके प्रस्तावक द्वारा नामांकन-पत्र..... के निर्वाची पदाधिकारी या सहायक निर्वाची पदाधिकारी के पास किसी दिन (सार्वजनिक अवकाश दिवस को छोड़कर) ..... के बाद नहीं**,** पूर्वाहन **11:30** से अपराह्न **01:30** बजे के बीच जमा कराया जा सकेगा।

(6) नामांकन पत्र का फॉर्म ..... से ..... को ..... बजे संवीक्षा हेतु प्राप्त किया जाएगा ।

(7) किसी अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक (जिसेउ सने लिखित रूप में ऐसा करने हेतु प्रधिकृत किया हुआ है) द्वारा नाम वापस लेने की सूचना निर्वाची पदाधिकारी को उसके कार्यालय में ..... को अपराह्न **01:00** बजे के पूर्व दिया जा सकेगा ।

(8) लड़े जा रहे निर्वाचन में मतदान दिनांक..... को ..... से ..... बजे के बीच संचालित किया जाएगा ।

(9) निर्वाचन दिनांक ..... के पूर्व संपूर्ण करा लिया जाएगा ।

स्थान:.....

दिनांक:.....

निर्वाचन पदाधिकारी

फॉर्म 25

(नियम 19 (1) देखें)

नामांकन पत्र

झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड का निर्वाचन

1. मैं श्री/श्रीमती ..... को झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के निर्वाचन अभ्यर्थी के रूप में ..... कोटि से नामित करता/करती हूँ

(क) अभ्यर्थी का नाम .....

(ख) पिता/पति का नाम .....

(ग) पत्राचार का पता .....

(घ) इनका नाम ..... है जो ..... निर्वाचक मंडल की निर्वाचक नामावली के भाग ..... के क्रम संख्या ..... में दर्ज है ।

(ड.) मेरा नाम ..... है और यह ..... निर्वाचन मंडल की निर्वाचक नामावली सूची के भाग ..... के क्रम संख्या..... में दर्ज है ।

(प्रस्तावक का हस्ताक्षर)

(च) मैं**,** ऊपर उल्लिखित अभ्यर्थी**,** एतदद्वारा निर्वाचन मंडल से झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के एक अभ्यर्थी के रूप में चुने जाने हेतु इस नामांकन से सहमति जताता हूँ और घोषणा करता हूँ -

(क) कि मैं..... निर्वाचक मंडल का एक मतदाता हूँ

(ख) कि मैंने ..... वर्ष की आयु पूरी करली है और मैं एक सुन्नी/शिया मुसलमान हूँ।

(ग) कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वासानुसार मैं ..... कोटि से झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड का सीट भरने के लिए चुने जाने हेतु (वक्फ अधिनियम**, 1995** की धारा **16** में यथा निर्धारित) अर्हता रखता हूँ और अयोग्य भी नहीं हूँ

जो लागून हो उसे काट दें

(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा भरा जाएगा

नामांकन पत्र की क्रम संख्या-.....

अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा मेरे कार्यालय में नामांकन पत्र दिनांक..... को ..... बजे दिया गया ।

निर्वाची पदाधिकारी

निर्वाचन पदाधिकारी का नामांकन पत्र स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का निर्णय

मैंने वक्फ अधिनियम की धारा **14** के अनुसार नामांकन पत्र की जाँच की है तथा निम्नलिखित निर्णय लिया है.....

निर्वाची पदाधिकारी

नामांकन पत्र के लिए प्राप्ति और संवीक्षा का नोटिस

(नामांकन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को हस्तगत कराया जाएगा)

नामांकन पत्र की क्रम संख्या.....

..... का नामांकन पत्र मेरे कार्यालय में अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा दि**0.....** को ..... बजे दिया गया ।

सभी नामांकन पत्रों की संवीक्षा दि**0 .....** को ..... बजे (स्थान का नाम) में की जाएगी।

निर्वाची पदाधिकारी

फॉर्म 26

(नियम 21 देखें)

नामांकन की सूचना

संसद सदस्यों/विधानमंडल सदस्यों/बार काउंसिल के सदस्यों/मुतवल्ली निर्वाचन मंडल द्वारा झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड का निर्वाचन

अथवा

पूर्व संसद सदस्यों/पूर्व विधानमंडल सदस्यों/बार काउंसिल निर्वाचनमंडल के पूर्व सदस्यों द्वारा झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड का निर्वाचन एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उपर्युक्त के विषय में दिनांक-..... को **1:00** बजे अपराह्न तक निम्नांकित नामांकन प्राप्त हुए हैं:

नामंकन पत्र का अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	अभ्यर्थी की आयु	पता	शिया/ सुन्नी	अभ्यर्थी का निर्वाचक नामावली में अनुक्रमांक	प्रस्तावक का नाम	निर्वाचक नामावली में प्रस्तावक का अनुक्रमांक	यदि प्रस्तावक मुतवल्ली है तो वक्फ का नाम सूचित करें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

निर्वाची पदाधिकारी

फॉर्म 27

नियम 22 (1) देखें

शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप

शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी द्वारा तैयार किया जाएगा मैं .....**,** जिसे झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड में एक सीट भरने हेतु एक अभ्यर्थी के रूप में नामंकित किया गया है**,** अल्लाह के नाम से शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सत्य विश्वास और निष्ठा रखूँगा और भारत की संप्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा ।

(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

शपथ की पावती

अभ्यर्थी ..... ने दिनांक ..... को ..... बजे शपथ ग्रहण किया ।

निर्वाची पदाधिकारी

शपथ प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ..... ने दिनांक ..... को ..... बजे मेरे समक्ष प्रतिज्ञान की शपथ पढ़ी औ रहस्ताक्षर किया।

(हस्ताक्षर)

निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी

फॉर्म 28

(नियम 22 (2) देखें)

निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति

..... निर्वाचक मंडल से झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के सदस्य का निर्वाचन।

सेवा में,

रिटर्निंग पदाधिकारी

.....

.....

मैं ..... उपर्युक्त निर्वाचन मंडल का एक अभ्यर्थी एतदद्वारा श्री ..... (नाम एवं पता) को आज से उपर्युक्त निर्वाचन हेतु अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करता हूँ ।

स्थान:.....

दिनांक:.....

अभ्यर्थी का

हस्ताक्षर

मैं उपर्युक्त नियुक्ति को स्वीकार करता हूँ

स्थान:

दिनांक: निर्वाचन अभिकर्ता का हस्ताक्षर

फोटो

मेरे द्वारा अभिप्रमाणित

हस्ताक्षर

(निर्वाचन पदाधिकारी)

फॉर्म 29

(नियम 23 (8) देखे)

..... निर्वाचकमंडल से निर्वाचन हेतु विधिमान्यतः नामांकित अभ्यर्थियों की सूची

क्र0 सं0	निर्वाचन मंडल का नाम	रिक्तियों की संख्या

स्थान:.....

दिनांक:.....

निर्वाची पदाधिकारी

नोटः अभ्यर्थियों के नाम अंग्रेजी वर्णानुक्रम के अनुसारत था निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के पते नामांकन-पत्र में यथा प्रदत्त रखे जाएँगे।

फॉर्म 30

(नियम 24 (1) देखें)

..... निर्वाचन हेतु नाम वापस लेने की सूचना

सेवा में,

निर्वाची पदाधिकारी

.....

.....

महाशय,

मैं, **.....** उपर्युक्त निर्वाचन में (विधि मान्यत: नामांकित अभ्यर्थी) एतदद्वारा सूचित करता हूँ कि मैं अपनी अभ्यर्थिता वापस लेता हूँ।

दिनांक:.....

विश्वासभाजन

(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

नाम वापस लेने की सूचना की पावती

(सूचना देनेवाले व्यक्ति को हस्तगत कराने हेतु)

..... निर्वाचन मंडल से झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के सदस्य के चुनाव में विधि मान्यतः नामांकित अभ्यर्थी ..... द्वारा अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना मुझे '..... द्वारा मेरे कार्यालय में दिनांक ..... को ..... बजे दी गयी ।

निर्वाची पदाधिकारी

*यहाँ निम्नांकित में सेयथोचित विकल्प भरे:

(1) अभ्यर्थी

(2) अभ्यर्थी का प्रस्तावक जिसे अभ्यर्थी द्वारा सूचना देने हेतु लिखित में प्राधिकृत किया गया है।

(3) अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्त्ता जिसे अभ्यर्थी द्वारा सूचना देनेहे तु लिखित में प्राधिकृत किया गया है।

फॉर्म 31

{**नियम** 24 (3) **देखें**}

अधिसूचना

(अभ्यर्थियों का नाम वापस लेना)

..... निर्वाचक मंडल से झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के सदस्य (सदस्यों) हेतु निर्वाचन एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्वाचन में विधि मान्यतः नामांकित निम्नांकित अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों ने आज अपनी अभ्यर्थिता वापस ली

विधि मान्यतः नामांकित अभ्यर्थी का नाम	**विधि मान्यतः नामांकित अभ्यर्थी का पता**	**अभ्युक्ति**

निर्वाची पदाधिकारी

फॉर्म 32

{**नियम** 25 (1) **देखें**}

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

..... निर्वाचक मंडल से झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के सदस्य (सदस्यों) हेतु निर्वाचन

विधि मान्यतः नामांकित अभ्यर्थी का नाम	**विधि मान्यतः नामांकित अभ्यर्थी का पता**	**अभ्युक्ति**
क्रम संख्या	**अभ्यर्थी का नाम**	**अभ्यर्थी का पता**
1. **2.** **3.** आदि		

दिनांक:.....

निर्वाची पदाधिकारी

नोट: निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम अंग्रेजी वर्णानुक्रम के अनुसारत था निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के पते नामांकन-पत्र में यथा प्रदत्त रहेंगे।

फॉर्म 33

{**नियम 28 (2) देखें**}

निर्वाचन परिणाम की धोषणा

(**निर्विरोध सीट की स्थिति में प्रयुक्त होगा)**

..... निर्वाचक मंडल से झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड का निर्वाचन झारखण्ड वक्फ नियमावली**, 2024** के नियम **28** में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में

श्री/श्रीमती (**1**) **.....** (नाम)

..... (पता)

श्री/श्रीमती (**2**) **.....** (नाम)

..... (पता)

उपर्युक्त निर्वाचक मंडल से सीट/सीटों को भरने हेतु सम्यक रूप से निर्वाचित हुएहुई हैं।

स्थान :.....

दिनांक:.....

निर्वाची पदाधिकारी .....

फॉर्म **34**

{नियम **30 (2)** देखें**}**

मतदान हेतु निर्वाचक मंडल के विकल्प के संबंध में मतदाता का आवेदन

सेवामें**,**

निर्वाची पदधिकारी

.....

मैं, ... झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के निम्नांकित निर्वाचक मंडल का एक मतदाता हूँ।

निर्वाचक मण्डल का नाम	भाग संख्या	क्रम संख्या
(1)		
(2)		
(3)		
(4)		

मैं घोषणा करता हूँ कि नियम 33 के अधीन मेरे मत का विकल्प

..... निर्वाचक मंडल है।

नांक:..... (मतदाता का हस्ताक्षर)

फॉर्म 35

{नियम 33 (2) देखें}

निर्वाचन प्रतिफल

संसद सदस्यों/विधान मंडल सदस्यों/बार काउंसिल के सदस्यों/मुतवल्ली द्वारा झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के सदस्य (सदस्यों) के लिए निर्वाचन।

मतदान का परिणाम तथा मत का अंतरण यथा निम्नांकित है:

वैध मतों की संख्या:.....

निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या.....

कोटा (किसी अभ्यर्थी का अभ्यर्थी सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त मतों की संख्या .....)

अभ्यर्थियों के नाम	**प्रथम गणना**	**द्वितीय गणना**		**तृतीय गणना**		**चतुर्थ गणना**	
	डाले गये मत	**अंतरित**	**परिणाम**	**अंतरित**	**परिणाम**	**अंतरित**	**परिणाम**
1	2	3 (क)	3 (ख)	5(क)	5(ख)	5(क)	5(ख)

अंतरणीय नहीं _____

विखंडन के कारण क्षति _____

कुल _____

अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के नाम तथा निर्वाचन क्रम मैं घोषित करता हूँ कि

(1) नाम.....(पता).....

.....

(**2**)

नाम.....(पता).....

सम्यक्रूप से निर्वाचित हुए हैं।

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

दिनांक ..... (माह)..... (वर्ष)

20.....

फॉर्म 36

{नियम 33 (3) देखें}

निर्वाचन परिणाम की घोषणा

(सीट पर चुनाव लड़े जाने पर प्रयुक्त होगा)

..... निर्वाचन मंडल से झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के सदस्य/सदस्यों का निर्वाचन**,** झारखण्ड वक्फ नियमावली**, 202 4**के नियम**3 6 (3)** में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में मैं घोषित करता हूँ कि

श्री/श्रीमती (**1**) **.....** (नाम)

..... (पता)

श्री/श्रीमती (**2**) **.....** (नाम)

..... (पता)

उपर्युक्त निर्वाचन मंडल के सीट/सीटों को भरने हेतु सम्यक रूप से निर्वाचित हुए/हुई हैं।

स्थान:.....

दिनांक:.....

निर्वाची पदाधिकारी

फॉर्म 37

(नियम 38 देखें)

निर्वाचन प्रमाण-पत्र

मैं..... झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु निर्वाची पदाधिकारी एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैंने (दिनांक)..... (माह)..... (वर्ष) **20.....** को श्री/श्रीमती ..... को निर्वाचक मंडल से झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड का सदस्य घोषित किया है और यह कि उसके टोकन के रूप में मैंने उन्हें यह निर्वाचन प्रमाणपत्र मंजूर किया है ।

स्थानः.....

फॉर्म 38

(नियम 40 देखें)

झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के लिए सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में वक्फ (संशोधन) अधिनियम**, 2013 (2013** का **27)** द्वारा यथा संशोधित वक्फ अधिनियम**, 1995** की धारा **14 (9)** के अधीन अधिसूचना ।

झारखण्ड सरकार**,** वक्फ (संशोधन) अधिनियम**, 2013 (2013** का **27)** द्वारा यथा संशोधित वक्फ अधिनियम**, 1995** की धारा **14 (9)** के अधीन उसे प्रदत्त शक्ति के आधार पर अधिसूचित करती है कि निम्नांकित व्यक्ति झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किये गये हैं।वे वक्फ (संशोधन) अधिनियम**, 2013 (2013** का **27)** द्वारा यथा संशोधित वक्फ अधिनियम**, 1995** की धारा **15** के अधीन पाँच वर्षों की अवधि के लिए बोर्ड के सदस्य के रूप में पद धारण करेंगे।

क्र0सं0	सदस्य का नाम	पता	आयु	यदि निर्वाचित सदस्य है तो निर्वाचक मंडल का नाम	यदि नामित है तो नामित कोटि का नाम	अभ्युक्ति
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**

दिनांकः .....

झारखण्ड के राज्यपाल के नाम एवं आदेश

से

फॉर्म 39

(नियम 41 (1) देखें)

नोटिस

वक्फ (संशोधन) अधिनियम**, 2013 (2013** का **27)** द्वारा यथा संशोधित वक्फ अधिनियम**, 1995** की धारा **14 (8)** के अधीन यथा उपबंधित बोर्ड के अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु ..... (स्थान) में दिनांक ..... को ..... (समय) बजे एक सभा बुलाई गयी है।अतः आपसे अनुरोध है कि आप निर्धारित समय एवं स्थान पर सभा में सम्मिलित होने की कृपा करें। अध्यक्ष पद हेतु नामांकन पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष उक्त सभा की तिथि एवं समय पर या उसके पूर्व दायर किया जा सकेगा।

दिनांकः.....

सरकार के सचिव और अध्यक्ष का

निर्वाचन संचालित करने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी

..... (इस सभा को संचालित करने हेतु कम-से-कम **7** दिनों की नोटिस दी जाएगी)

फॉर्म सं0 40

(नियम 41 (4) देखें)

अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में सरकारी अधिसूचना

अधिसूचना

(झारखण्ड वक्फ नियमावली**, 2024** के नियम **37 (5)** के अधीन)

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ..... पिता/पति.....**,** जो झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के एक सदस्य हैं**,** को वक्फ (संशोधन) अधिनियम**, 2013 (2013** का **27)** द्वारा यथा संशोधित वक्फ अधिनियम**, 1995** की धारा **14 (8)** के अनुसार झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में सम्यक रूप से निर्वाचित किया जाता है।

दिनांक .....:

झारखण्ड के राज्यपाल के नाम और आदेश से

फॉर्म सं**0 41**

(नियम **44 (1)** देखें)

किसी भी सार्वजनिक कार्यालय में अभिलेखों/रजिस्टरों/अन्य दस्तावेजों के निरीक्षण हेतु आवेदन इसके अधीन उल्लिखित चल/अचल परि संपत्तियाँ है::

(1) ..... (वक्फ) की वक्फ संपत्ति

(2) वक्फ की संपत्तियों का दावा

वक्फ अधिनियम**, 1995** की धारा **29** के अधीन निम्नांकित तालिका में उल्लिखित दस्तावेजों के निरीक्षण की आवश्यकता है।

तालिका

क्र०सं०	**चल/अचल संपत्तियों का ब्योरा**	**निरीक्षण किये जाने वाले अभिलेख/रजिस्टर/अन्य दस्तावेज**	**पदाधिकारी/प्राधिकृत व्यक्ति**
1	**2**	**3**	**4**
चल			
अचल			

आपसे एतदद्वारा अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त तालिका में के पदाधिकारी/प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त अभिलेख/रजिस्टर तथा अन्य दस्तावेजों को तत्काल निरीक्षण करने की अनुमति देने की कृपा करें।

..... (शब्द में) रूपये का शुल्क चलान/पावती संख्या..... दिनांक ..... इसके साथ संलग्न है।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/प्राधिकृत पदाधिकारी

सेवा में,

.....

.....

(यहाँ उस प्राधिकारी को इंगित करें जिसे आवेदन दिया जाने वाला है)

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, **2013** द्वारा यथा संशोधित वक्फ अधिनियम, **1995** (केन्द्रीय अधिनियम) की धारा **29** के अनुसार, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी या उसकी ओर से उसके द्वारा सम्यक्रूप से प्राधिकृत बोर्ड का कोई पदाधिकारी, यथा विहित शर्तों या निबंधनों के अध्यधीन और तत्समय लागू ऐसे शुल्कों के भुगतान के अध्यधीन जिसे किसी कानून के अधीन लगाया जा सकता हो, को तमाम समुचित समयों पर किसी सार्वजनिक कार्यालय में, किसी वक्फ की चल या अचल संपत्तियों, जो वक्फ संपत्ति हों या जिन पर वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जाए, से संबंधित किसी अभिलेखों, रजिस्टरों या अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करने का हक होगा।

फॉर्म 41 (क)

नियम 46 (1) देखें,

कार्यवाही अथवा अभिलेख के निरीक्षण हेतु आवेदन

तारीख	आवेदक का नाम और पता	दस्तावेज की प्रकृति	यदि दस्तावेज वक्फ से संबंधित हो तो आवेदक का वक्फ के साथ संबंध	आवेदन स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का आदेश	खोजने काफी ससामान्य/ अत्यावश्यक आदेश	प्रधान लिपिक-सह- लेखापाल का आद्याक्षर	निरीक्षण की अनुमति कब दी जाएगी उसकी तारीख और समय	आवेदन प्राप्त करने वाले लिपिक का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

फॉर्म 41 (ख)

नियम 46 (4) देखें,

तारीख	आवेदक का नाम और पता	दस्तावेज जिसकी प्रतिलिपि अपेक्षित हो का विनिर्देश	जहाँ दस्तावेज वक्फ से संबंधित हो तो आवेदक का वक्फ के साथ संबंध	आवेदन स्वीकार अथवा अस्वीकार करने काआदेश	नकल किए जाने वाले शब्दों की संख्या	जमा किया गया खोजने का फीस सामान्य	जमा किया गया खोजने का फीस अत्यावश्यक	जमा किया गया नकल करने का फीस (सामान्य)	जमा किया गया नकल करने काफीस (अत्यावश्यक)	यदि सत्यापित प्रति अपेक्षित हो तो जमा किया गया प्रमाणन फीस (सामान्य)	यदि सत्यापित प्रति अपेक्षित हो तो जमा किया गया प्रमाणन फीस (अत्यावश्यक)	प्राप्त करने वाले प्रधान लिपिक-सह- लेखापाल का आद्याक्षर	प्रति तैयार होने की तारीख और समय	प्रदान करने की तारीख	प्राप्ति स्वीकार करे न वाले आवेदक का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

फॉर्म - 42

नियम 49 देखें,

प्रशासन का योजना

..... **के प्रबंधन के लिए प्रशासन का योजना**

अध्याय - I

वक्फ का ब्यौरे

1. वक्फ का नाम (पूर्ण पता के साथ नाम जिसमें सहबद्ध संस्था शामिल हो)

2. वक्फ सुन्नी/शिया के सिद्धांतों और अनुभवों द्वारा शासित होगा।

3. संस्था का क्षेत्राधिकार साधारण निकाय में सदस्यों के प्रवेश के प्रयोजनार्थ वक्फ का क्षेत्राधिकार ..... (गाँव/शहर/नगर और सर्वेसं॰/वार्डसं॰/नगरपालिका वार्ड सं॰/नगर निगम वार्ड सं॰/भौगोलिक सीमा विनिर्दिष्ट करें) तक सीमित होगा।

4. वक्फ द्वारा धारित संपत्ति:

क्र0संख्या	शहर अथवा गाँव का नाम	(1) मौजा/राजस्वथाना/अंचल खाता संख्या/खेसरा संख्या (पुराना/नया)	एकड़ अथवा वर्ग फीट में विस्तार	सीमा	वक्फ की प्रकृति	प्रतिवर्ष भुगतान किए जाने वाले कर का निर्धारण	खातेदार का नाम	प्रतिवर्ष प्राप्त आय	वाकिफ का नाम और पता	रजिस्ट्रीकरण संख्या का प्रमाण पत्र	गजट/ अधिन नोटिस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

अध्याय -II

परिभाषाएँ

5. जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, प्रबंधन के इस योजना में अन्तर्विष्ट शब्द और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो झारखण्ड सरकार के वक्फ (संशोधन) अधिनियम, **2013 (**अधिनियमसं॰**27, 2013)** तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों में यथा अन्तर्विष्ट हैं।

i ''वक्फ'' से अभिप्रेत है ..... (वक्फ संस्था का नाम);

ii ''क्षेत्राधिकार''से अभिप्रेत है इस योजना के अध्याय-**1,** खंड-**3** में वर्णित क्षेत्र;

iii ''सदस्य' 'से अभिप्रेत है एक मुसलमान जो सदस्यता के आवेदन की तारीख को **18** वर्ष का हो चुका हो और जो साधरणतया वक्फ संस्था के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत रहता हो तथा जिसका नाम वक्फ की पंजी में दर्ज हो;

iv वक्फ के संबंध में ''साधारण निकाय''से अभिप्रेत है वक्फ संस्था, जिसका नाम वक्फ की पंजी में दर्ज हो, के सदस्यों का समूह;

v ''संपत्ति'' से अभिप्रेत है वक्फ की सभी चल और अचल संपत्ति और इसके अन्तर्गत दान, अभिदान, नजराना, गोलक संग्रहण तथा वक्फ को उद्भूत आय है;

vi ''बोर्ड''से अभिप्रेत है वक्फ (संशोधन) अधिनियम, **2013 (**अधिनियम सं॰**27, 2013)** की धारा**13 (1)** के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड

vii ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है समय-समय पर यथा संशोधित वक्फ (संशोधन) अधिनियम, **2013 (**अधिनियम सं॰**27, 2013);**

viii ''नियमावली'' से अभिप्रेत है समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा **109** के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी झारखण्ड वक्फ नियमावली, **2024**

ix ''विनियमावली'' से अभिप्रेत है समय-समय पर यथा संशोधित वक्फ (संशोधन) अधिनियम, **2013 (**अधिनियम सं॰**27, 2013)** की धारा **110** के अधीन राज्य सरकार के अनुमोदन से बोर्ड द्वारा बनायी गयी विनियमावली;

x ''प्रबंध समिति'' से अभिप्रेत है एक समिति जिसे वक्फ संस्था के कार्यों का दैनंदिन प्रबंधन सौंपी जाय;

xi ''सरकार'' से अभिप्रेत है यथा स्थिति भारत सरकार और झारखण्ड सरकार;

xii ''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है इस योजना के उपबंधों के अधीन चयनित अथवा निर्वाचित वक्फ संस्था का अध्यक्ष;

xiii ''उपाध्यक्ष'' से अभिप्रेत है इस योजना के उपबंधों के अधीन चयनित अथवा निर्वाचित वक्फ संस्था का उपाध्यक्ष;

xiv ''सचिव'' से अभिप्रेत है इस योजना के उपबंधों के अधीन चयनित अथवा निर्वाचित वक्फ संस्था का सचिव;

xv ''कोषाध्यक्ष'' से अभिप्रेत है इस योजना के उपबंधों के अधीन चयनित अथवा निर्वाचित वक्फ संस्था का कोषाध्यक्ष ।

अध्याय - III

लक्ष्य और उद्देश्य

6.वक्फ के लक्ष्य और उद्देश्य होंगे:

i ''वक्फ'' के दैनंदिन प्रबंधन की देखभाल करना और प्रभावी एवं दक्ष सेवा उपलब्ध करना।

ii यह सुनिश्चित करना कि वक्फ की संपत्ति अथवा सेवाओं द्वारा प्राप्त आय समुचित रूप से संग्रहित हो तथा वक्फ के उद्देश्यों के लिए खर्च हो अथवा जिसके लिए वक्फ गठित किया गया हो अथवा आशयित हो।

iii उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संपत्ति विकसित करना तथा आय के स्रोतों में सुधार लाना;

iv मंशा-ए-वाकिफ और इसलामी शरिया को ध्यान में रखकर वक्फ की आय के एक हिस्से द्वारा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य हेतु आर्थिक मदद पहुँचाना।

v समुदाय के धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के किसी अन्य क्रियाकलापों को प्रांरभ करना।

अध्याय - IV

सदस्यता

7. प्रवेश की अर्हताः-

i कोई मुसलमान जो सदस्यता के लिए आवेदन की तारीख को **18** वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो

ii जोशिया/सुन्नी धर्म जिससे वक्फ सम्बद्ध है को मानता हो तथा अनुपालन करता हो;

iii जो वक्फ के क्षेत्राधिकार के अधीन कम-से-कम एक वर्ष तक साधारण नागरिक हो अथवा व्यवसाय करता हो;

iv कोई व्यक्ति एक ही समय एक वर्ग के एक वक्फ संस्था से अधिक का सदस्य नहीं हो सकता है अर्थात् एक मस्जिद एक दरगाह, एक कब्रिस्तान;

v कोई व्यक्ति जो सदस्य होने का इच्छुक हो यथा स्थिति वक्फ संस्था के सचिव/ कोषाध्यक्ष/ प्रशासक/ मुतवल्ली को रू॰ ...../- (..... रूपये) के सदस्यता फीस के भुगतान के साथ लिखित रूप में आवेदन करेगा और प्रबंध समिति द्वारा नियत मासिक/ वार्षिक अभिदान फीस का भुगतान करने के लिए सहमत होगा ।

vi सदस्य महीने की अंतिम तारीख को ..... रूपये प्रतिमाह का अभिदान फीस अवश्य भुगतान करेगा । यदि यह वार्षिक हो तो ..... रूपये का अभिदान फीस प्रतिवर्ष **30** मार्च तक अथवा उसके पूर्व भुगतान करेगा।

vii यदि विहित अभिदान फीस का लगातार तीन अवधि तक भुगतान नहीं किया जाय तो उसकी सदस्यता निलंबित रहेगी जब तक रू॰ **500** की शास्ति के साथ सभी बकाये का भुगतान न कर दिया जाय । कोई सदस्य जो शास्ति के साथ बकाये का भुगतान, यदि कोई हो, वक्फ की प्रबंध समिति के निर्वाचन के कैलेंडर के कार्यक्रमों के निर्गत होने की तारीख से पूर्व, करने में असफल रहता हो तो वह किसी भी तरीके से निर्वाचन प्रक्रिया जिसमें मतदान करना शामिल है, में भाग लेने का पात्र नहीं होगा।

अध्याय - V

बैठक

8. साधारण निकाय:

i वक्फ का साधारण निकाय सर्वोच्च निकाय होगा तथा जिसे वक्फ के कार्यों की पर्यवेक्षी शक्तियाँ होंगी। वक्फ के साधारण निकाय की पहली बैठक बोर्ड द्वारा इस योजना के प्रबंधन के अनुमोदन से साठ दिनों के अन्दर होगी ।

ii साधारण निकाय की बैठकें दो प्रकार ही होंगी।

क. साधारण निकाय की वार्षिक बैठक

ख. साधारण निकाय की विशेष बैठक

iii साधारण निकाय की वार्षिक बैठक: साधारण निकाय की वार्षिक बैठक प्रत्येक वर्ष **31** मई अथवा उससे पूर्व प्रबंध समिति द्वारा बुलाई जाएगी ।

iv वार्षिक साधारण निकाय के कृत्य

क. बोर्ड को समर्पित करने के पूर्व आगामी वर्ष के बजट प्राक्कलन पर विचार करना तथा अनुमोदित करना;

ख. वक्फ के लेखा के वार्षिक संपरीक्षित विवरण अनुमोदित करना;

ग. तीन वर्ष में एक बार वक्फ की प्रबंध समिति के लिए कुल सदस्यों में से **11 (**ग्यारह) सदस्यों का सर्व सम्मति से चयन करना;

घ. यदि यह चयन से हो तो यह हाथ उठाकर किया जाएगा;

ड. यदि साधारण निकाय प्रबंध समिति की नियुक्ति का निर्णय निर्वाचन से करे तो यह योजना के अध्याय- **viii** के अधीन उपबंध के अनुसार होगा ।

च. यदि प्रबंध समिति का कोई सदस्य अपने कर्त्तव्यों के पालन में असफल रहता हो अथवा अपने दायित्वों की पूर्ति करने में पीछे रहता हो अथवा इस तरीके से कार्य किया हो या कर रहा हो जो वक्फ के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो तो **1/5** सदस्य नोटिस द्वारा इस विषय को उठाने का हकदार होंगे और यदि ऐसे सदस्यों के विरूद्ध कोई प्रथम दृष्ट्या मामला विद्यमान हो तो बैठक में पारित विशेष संकल्प द्वारा आवश्यक कार्रवाई के लिए बोर्ड को सूचित किया जाएगा;

छ. वक्फ के लिए अपेक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति को अनुमोदित करना;

ज. प्रबंध समिति, यदि कोई हो, के प्रस्तावों को अनुमोदित करना;

झ. संस्था के लेखा की संपरीक्षा के लिए संपरीक्षक अथवा चार्टड एकाउंटेंट की नियुक्ति करना।

v साधारण निकाय की बैठक का स्थगन: साधारण निकाय की बैठक होने के लिए नियत समय के पश्चात् आधे घंटे के अंदर गणपूर्ति (कोरम) की अनुपस्थिति में बैठक आगे की तारीख, जो प्रबंध समिति द्वारा उसी कार्यसूची पर चर्चा के लिए निर्धारित की जाएगी, तक स्थगित कर दी जाएगी । ऐसी स्थगित बैठक स्थगन की तारीख से सात दिनों के अंदर बुलायी जाएगी ।

साधारण निकाय की स्थगित बैठक में अधिसूचित विषयों से भिन्न विषय पर चर्चा नहीं की जाएगी तथा स्थगित बैठक के लिए कोई कोरम अपेक्षित नहीं होगा।

Vi साधारण निकाय की विशेष बैठक

क. साधारण निकाय की वार्षिक बैठक से भिन्न सभी साधारण बैठकें साधारण निकाय की विशेष बैठक कहलाएगी ।

ख. साधारण निकाय की विशेष बैठक प्रबंध समिति द्वारा अपने विवेक से कभी भी बुलायी जा सकेगी।

ग. कम से कम **1/5** सदस्यों द्वारा लिखित में प्रबंध समिति को अधियाचना करने पर यह बुलायी जा सकेगी।

घ. अधियाचना की तारीख से एक महीने के अंदर यह बुलायी जाएगी।

ड़. साधारण निकाय की ऐसी विशेष बैठक में नोटिस में विनिर्दिष्ट कार्य से भिन्न कोई कार्य नहीं किया जाएगा।

च. ऐसी बैठक करने हेतु नियत समय के पश्चात् आधे घंटे के अंदर यदि कोरम पूरा नहीं हो तो बैठक समाप्त कर दी जाएगी।

vii बैठक की अध्यक्षता: वक्फ का अध्यक्ष हमेशा प्रत्येक साधारण निकाय की वार्षिक बैठक और साधारण निकाय की विशेष बैठक की अध्यक्षता करेगा । उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा । दोनों की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा नामित अथवा प्रबंध समिति का सबसे वरिष्ठ सदस्य अध्यक्षता करेगा ।

viii गणपूर्ति (कोरम): साधारण निकाय की वार्षिक बैठक तथा साधारण निकाय की विशेष बैठक का कोरम कुल सदस्यों का एक तिहाई होगा ।

ix मतदान: साधारण निकाय की बैठक/ साधारण निकाय की विशेष बैठक के सभी निर्णय उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से लिए जायेंगे । प्रत्येक सदस्य को एकमत होगा । यदि वक्फ के अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता कर रहा हो अथवा बैठक की अध्यक्षता कोई सदस्य कर रहा हो तो उसके पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग निर्वाचन विषयों के सिवाय मत के बराबर होने की दशा में कर सकेगा ।

x प्रत्येक विषय पर पारित संकल्पों के साथ कार्यवृत्त पुस्तक में प्रत्येक बैठक की कार्यवाही अभिलिखित की जाएगी । कार्यवृत्त पुस्तक वक्फ के अध्यक्ष तथा सचिव द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

xi पूर्व बैठक के संकल्प**,** संपुष्टि के लिए अगली बैठक में रखे जायेंगे।

xii बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति प्रबंध समिति के सभी सदस्यों को भेजी जाएगी और बैठक से सात दिन के अन्दर इसे वक्फ के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किया जाएगा ।

xiii वक्फ का सचिव वक्फ के अध्यक्ष के परामर्श से अथवा अध्यक्ष के निदेश पर एक नोटिस तैयार करेगा जिसमें ऐसी बैठक का दिन**,** तारीख**,** समय तथा स्थान के साथ बैठक की कार्य सूची एवं बैठक के लिए कार्य सूची के मदों पर टिप्पण होंगे । नोटिस वक्फ के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किया जाएगा तथा इसकी एक प्रति जिला औकाफ समिति के कार्यालय को भेजी जा सकेगी।

अध्याय-VI

प्रबंध समिति

9. (1) प्रबंध समिति का गठन

क. वक्फ के दैनंदिन प्रबंधन के लिए यथा स्थिति चयनित अथवा निर्वाचित एक प्रबंध समिति होगी जिसका कार्य कालतीन वर्षों का होगा।

ख.प्रबंध समिति में ग्यारह (**11)** सदस्य होंगे।

(2) साधारण निकाय द्वारा प्रबंध समिति के चयन के लिए प्रक्रियाः

विद्यमान प्रबंध समिति अथवा प्रशासक साधारण निकाय की बैठक के पूर्व लगातार तीन शुक्रवार प्रार्थना में सार्वजनिक घोषणा करा कर साधारण निकाय की बैठक बुलाएगा तथा साधारण निकाय की बैठक के दिन जिला औकाफ समिति से किसी पदाधिकारी को साधारण निकाय की बैठक की उक्त कार्यवाही में प्रेक्षक के रूप में आमंत्रित किया जाएगा । साधारण निकाय की उक्त बैठक में वे प्रबंध समिति का चयन करेंगे । साधारण निकाय की बैठक में इस प्रकार चयनित व्यक्तियों के नाम प्रेक्षक द्वारा अभिप्रमाणित किए जायेंगे तथा बोर्ड को इसके अनुमोदन के लिए अग्रसारित किए जायेंगे ।

(3) प्रबंध समिति सामूहिक रूप से बोर्ड की प्रतिजवाब देह होगी ।

(4) प्रबंध समिति के कर्तव्य और शक्तियाँ **:**

क. अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार तथा प्रबंधन के योजना की शर्तों के अनुसार वक्फ के दैनंदिन प्रबंधन**,** कार्यों के प्रशासन की जिम्मेवारी कार्यपालिका निकाय की होगी।

ख. यह साधारण निकाय की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा वक्फ अधिनियम**,** वक्फ नियमावली**,** प्रबंधन योजना तथा बोर्ड के निदेशों के विरूद्ध कार्य नहीं करेगी ।

ग. प्रबंध समिति अपना प्रबंधकीय कार्य करते समय वक्फ संस्था के धार्मिक और रूठिगत अभ्यासों का पालन करेगी जो वक्फ संस्था की प्रकृति पर निर्भर करेगा ।
घ. इसेक र्मचारियों को नियोजित करने तथा उन्हें हटाने की भी शक्ति होगी ।
ड. यह वक्फ संस्था के कर्मचारियों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार होगी ।
च. यह अधिनियम अथवा नियमावली के अधीन यथा विहित वक्फ के अभिलेख/पंजी को अद्यतन और संधारित करेगी ।
छ. यह अधिनियम अथवा नियमावली के अधीन यथा विहित कालिक विवरणी तैयार करेगी और समर्पित करेगी ।
ज. यह वक्फ संपत्ति पट्टा नियमावली**, 2014** के उपबंधों के अनुसार संपत्तियों को पट्टा पर देगी ।

झ. जावक प्रबंध समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह अपनी कालावधि की समाप्ति के तीन माह पूर्वनयी प्रबंध समिति के गठन के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू करे, ऐसा नहीं करने पर वह वक्फ अधिनियम (बोर्ड के निदेशों के अपकरण और जानबूझ कर की गयी अवज्ञा) की धारा **61** और **64** के अधीन कार्रवाई का भागी होगी ।

ञ. किसी भी परिस्थिति में प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियाँ प्रत्यायोजित नहीं की जायेंगी ।

ट. प्रबंध समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वक्फ की संपत्तियों की संरक्षा, उसके विकास तथा वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए उठाए गए कदमों, वक्फ को प्रोद्भूत आय का संग्रहण तथ वक्फ के अंशदान के भुगतान की बाबत पूर्व वर्ष के दौरान हुई उपलब्धियों को दर्शाते हुए एक प्रतिवेदन भेजे ।

ठ. यह शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा और वक्फ संपत्तियों के विकास आदि के लिए उप समितियाँ बनाएगी ।

ड.यह प्राप्ति और भुगतान को अनुमोदित करेगी ।

ढ. यह बोर्ड को साधारण निकाय की बैठक अधिसूचित करेगी ।

ण. यह जिला औकाफ समिति से वक्फ के अंशदान का निर्धारण कराएगी और संपरीक्षा पूरा होने के एक माह के अन्दर उक्त राशि जमा करेगी, ऐसा नहीं करने पर वह वक्फ अधिनियम की धारा -**72** के उल्लंघन के लिए आरोपित होने का भागी होगा।

10. सहयोजन:

प्रबंध समिति में रिक्ति होने की दशा में बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध समिति वक्फ के सदस्यों में से बराबर सदस्य/सदस्यों को सहयोजित करेगी तथा ऐसे सदस्य की पदावधि विद्यमान प्रबंध समिति की सह विस्तारी पदावधि होती है ।

11. पदाधिकारी:

(क) वक्फ पदाधिकारी अथवा वक्फ निरीक्षक साधारण निकाय की बैठक की कार्यवाही की प्राप्ति के पश्चात् **15** दिनों के अन्दर सात दिनों का स्पष्ट नोटिस देकर प्रबंध समिति की प्रथम बैठक बुलाएगा । यदि साधारण निकाय की बैठक में सर्व सम्मति से पदाधिकारी का चयन होता है तो ऐसी बैठक नहीं बुलायी जाएगी ।

(ख) प्रबंध समिति के सदस्य पहली ही बैठक में अपनों में से या तो सर्वसम्मति से या निर्वाचन से इस योजना के खंड **24** में यथा विहित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव तथा कोषाध्यक्ष चुनेंगे तथा इसकी नोटिस जिला वक्फ समिति और बोर्ड को देंगे ।

12. समिति का प्रत्येक सदस्य चाहे निर्वाचित हो अथवा चयनित हो अथवा सहयोजित हो, अपने निर्वाचन/चयन अथवा सहयोजन के पश्चात पहली बैठक में अपने हाथ से यह घोषणा अथवा वचनबंध

हस्ताक्षरित करेगा कि वह उक्त पद स्वीकार करता है तथा सत्यनिष्ठा से प्रति ज्ञान करता है कि वह सदस्य के रूप में वक्फ के सर्वोत्तम हित में पूरी ईमानदारी से अपने कर्त्तव्यों का पालन करेगा ।

13. प्रबंध समिति के किसी सदस्य की सदस्यता इन कारणों से समाप्त हो जाएगी:

क. मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाया जाना;

ख. सिद्धदोष के कारण कोई दण्ड;

ग. वक्फ का किरायेदार अथवा किरायेदार का पारिवारिक सदस्य;

घ. वक्फ से कोई धन संबंधी लाभ प्राप्त करना परन्तु साधारण निकाय, समिति के किसी सदस्य का पति/पत्नी या बच्चा वक्फ और उससे संबद्ध संस्थाओं के अधीन किसी लाभ के पद को धारण करने का हकदार नहीं होगा ।

ङ. बिना विधिमान्य कारण केल गातार तीन बैठकों में अनुपस्थिति ।

14. पदाधिकारियों की शक्तियाँ:

1. समिति का अध्यक्ष सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा, वह संस्था का प्रधान होगा ।

2. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष किसी बैठक की अध्यक्षता करेगा और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उस बैठक में अध्यक्ष की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

3. समिति का सचिव वक्फ संस्था का कार्यकारी प्रधान होगा और इस प्रकार वह इस हैसियत से कोई वाद चला सकता है और उसके विरुद्ध कोई वाद चलाया जा सकता है । वह निम्नलिखित के लिए जवाबदेह होगा ।

क. अध्यक्ष के परामर्श से बैठकें बुलाने;

ख. सभी बैठकों की कार्यसूची और टिप्पणियाँ बनाने और प्रबंध समिति अथवा साधारण निकाय के सदस्यों को उनके साथ बैठक की नोटिस भेजने;

ग. कोषाध्यक्ष के परामर्श से बजट तैयार करने;

घ. यथा स्थिति प्रबंध समिति, बोर्ड और सरकार के पूर्व अनुमोदन से सभी संविदा, पट्टे हस्ताक्षरित करने;

ङ. अधिनियम और नियमावली के उपबंधों के अनुसार वक्फ के सभी लेखा संधारित करने;

च. अध्यक्ष अथवा कोषाध्यक्ष के साथ संयुक्त रूप से वक्फ के खाते संचालित करने;

छ. संस्था द्वारा नियोजित स्टाफ के लिए वह कार्यालय का प्रधान होगा और ऐसे सभी कार्य करेगा जो अधिनियम तथा नियमावली में विहित होगा तथा प्रबंध समिति अथवा साधारण निकाय द्वारा उसे सौंपे जायें ।

4. कोषाध्यक्ष लेखाबहियों का अभिरक्षक होगा और संस्था के वित्तीय विषयों पर प्रबंध समिति को परामर्श देगा ।

5. पदावधि की समाप्ति के ठीक पश्चात सचिव सभी अभिलेखों को अद्यतन करने तथा उन्हें अपने उत्तराधिकारी को हस्तगत कराने के लिए जवाबदेह होगा ।

6. सचिव और कोषाध्यक्ष सभी बहियों तथा विहित पंजियों के संधारण तथा अद्यतन करने के लिए जवाबदेह हैं तथा पर्यवेक्षी प्राधिकारों की मांग पर अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिए भी जवाबदेह हैं ।

7. पर्यवेक्षी प्राधिकारों की संपरीक्षा तथा निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन और कार्रवाई करने के लिए सचिव और कोषाध्यक्ष जवाबदेह हैं ।

8. वक्फ की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए किसी विधिक कार्रवाई को करने तथा जारी रखने हेतु सचिव जवाबदेह होगा ।

15. प्रबंध समिति के सदस्य की निरर्हता:

कोई सदस्य प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त होने अथवा सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित होगा यदि:

(क) वह मुसलमान नहीं हो;

(ख) वह **18** वर्ष से कम आयु का हो;

(ग) वह विकृत चित्त का पाया जाय;

(घ) वह अनुन्मुक्त दिवालिया हो;

(ङ) नैतिक अधमता में शामिल अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया हो;

(च) पुलिस अभिलेख में वह उपद्रवी के रूप में दर्ज हो;

(छ) पूर्व में वह सक्षम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण अथवा बोर्ड के किसी आदेश से वक्फ के किसी पद से या तो कुप्रबंध अथवा भ्रष्टाचार अथवा किसी अन्य कारणों के लिए हटाया गया हो**,** ऐसी दशा में वह निरर्हता की तारीख से कम से कम दो अवधि (टर्म) के लिए निरर्हित हो;

(ज) वह ज्ञात शराबी अथवा जुआरी हो अथवा कोई स्वापक औषधि लेने वाला हो;

(झ) वह अथवा उसका कोई पारिवारिक सदस्य वक्फ का किरायेदार हो तथा वक्फ संपत्ति पट्टा नियमावली**, 2014** के अनुसार अयोग्य हो ।

16. **प्रबंध समिति की बैठकें:**

(1) प्रबंध समिति की बैठक दो महीने में कम-से-कम एक बार होगी अथवा वक्फ के कार्यों को करने के लिए यथा संभव जितनी बार हो;

(2) सचिव**,** अध्यक्ष के परामर्श से प्रबंध समिति के सभी सदस्यों को कम-से-कम तीन दिन पहले बैठक की नोटिस देगा और जहाँ कोई आकस्मिक कार्य निपटाना हो तो नोटिस की अवधि वक्फ के अध्यक्ष के विवेक से घटायी जा सकेगी; वक्फ के नोटिस बोर्ड पर उसकी प्रति चिपकायी जाएगी;

(3) प्रबंध समिति का अध्यक्ष प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सचिव तथा कोषाध्यक्ष को छोड़कर कोई उपस्थित वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(4) बैठक की कार्यवाही प्रत्येक विषय पर पारित संकल्प के साथ कार्य वृत्त पुस्तक में अभिलिखित की जाएगी । वक्फ का अध्यक्ष और सचिव कार्य वृत्त पुस्तक पर हस्ताक्षर करेगा।

(5) पूर्व बैठक का संकल्प संपुष्टि के लिए अगली बैठक में रखा जाएगा।

(6) बैठक के कार्य वृत्त की प्रति बैठक के सात दिनों के अन्दर प्रबंध समिति के सभी सदस्यों को भेजी जाएगी तथा वक्फ संस्था के नोटिस बोर्ड पर भी इसकी प्रति चिपकायी जाएगी ।

(7) प्रबंध समिति के बैठक का कोरम सदस्यों का एक तिहाई होगा; यदि कोरम बैठक प्रारंभ होने के आधे घंटे के अन्दर पूरा नहीं हो तो बैठक अगले सप्ताह के इसीदिन और इसी समय तक के लिए स्थगित कर दी जाएगी; ऐसे स्थगित बैठक के लिए कोई नोटिस आवश्यक नहीं होगी ।

अध्याय VII

लेखा का संधारण

17. **लेखा:**

(1) कोषाध्यक्ष अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वक्फ के सभी लेखे संधारित करेगा तथा अधिनियम एवं इसके अधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन विहित तथा बोर्ड द्वारा यथा विहित कालिक लेखे बोर्ड को समर्पित करेगा।

(2) कोषाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि सभी बहियाँ अधिनियम के अनुसार संधारित हों और सभी प्राप्त और खर्च की गयी राशि सही-सही दर्ज हों ।

(3) कोषाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि सभी प्राप्तियाँ और सभी आय प्राप्त किए जायें तथा उचित रसीद के साथ पावती दी जाय और उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस को निश्चित रूप से वक्फ के बैंक खाता में उसे जमा किए जायें ।

(4) सचिव किसी आकस्मिकता से निपटने के लिए **1,000 (**एक हजार रुपये मात्र) से अनाधिक का स्थायी अग्रिम बनाए रखेगा ।

(5) संस्था किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा अनुसूचित बैंक में एक खाता खोलेगी और इसे संयुक्त रूप से अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष या सचिव द्वारा संचालित किया जाएगा ।

(6) वक्फ के बैंक खाते और जमा से प्रोद्भूत ब्याज का उपयोग किसी इनाम की अपेक्षा किए बिना गरीब की आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जाएगा तथा इसका लेखा-जोखा रखा जाएगा।

18. दान, **उपहार**, **अनुदान आदि:**

(1) प्रबंध समिति अपने विवेक से वक्फ के उद्देश्यों अथवा वक्फ के आनुषंगिक और अनुपूरक उद्देश्यों से संबंधित किसी प्रयोजन के लिए नकद या वस्तु के रूप में दान**,** उपहार अथवा कोई चल या अचल संपतिया कोई वृत्तिदान स्वीकार कर सकेगी और दाता या व्यवस्थापक या वाकिफ द्वारा या बोर्ड के निदेश पर अपेक्षित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसी चल या अचल संपत्ति का उपयोग करेगी।

(2) प्रबंध समिति द्वारा कोई उपहार अथवा अनुदान नकद या किसी वस्तु के रूप में अथवा वृत्तिदान के रूप में कोई चलया अचल संपत्ति स्वीकार नहीं की जा सकेगी यदि प्रबंध समिति की राय में यदि ऐसे उपहार अथवा अनुदान अथवा वृत्तिदान की उपयोगिता अथवा इस्तेमाल के लिए अधिरोपित शर्त वक्फ के हित में न हो अथवा यह साधारणतया एवं विशिष्टतः वक्फ की आत्मा और संकल्पना के असंगत अथवा विरुद्ध अथवा विपरीत हो अथवा ऐसा अनुदान**,** उपहार आदि वक्फ अथवा बोर्ड को बाद के दिनों में लज्जित करने वाला हो अथवा शरियत के विरुद्ध हो**,**

परन्तु प्रबंध समिति उपहारों**,** अनुदानों आदि की ऐसी अस्वीकृति के लिए कारणों को अभिलिखित करेगी और इसे बोर्ड को सूचित करेगी।

19. वक्फ की संपत्तियों का पट्टा:

वक्फ की संपत्ति अथवा संपत्तियों का कुछ भाग विकसित कर निश्चित रूप से वक्फ संपत्ति पट्टा नियमावली, **2014** के उपबंधों के अनुसार पट्टा पर दिया जाएगा ताकि वक्फ के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए उसके आय में वृद्धि हो सके । पट्टेदार के पक्ष में वक्फ की संपत्ति अंतरित करने/शिकमी पट्टा/बंधक अथवा ऋणभार पर देने की शक्ति पट्टा विलेख में सम्मिलित नहीं की जाएगी । इस नियमावली को कार्यान्वित नहीं करने के कारण उपगत कोई हानि मुतवल्ली अथवा प्रबंध समिति से वसूली जाएगी ।

20. वित्तीय वर्ष:

(1) वक्फ का वित्तीय वर्ष प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल से प्रारंभ होगा और प्रत्येक वर्ष के **31** मार्च को समाप्त होगा ।

(2) वक्फ का प्रथम वित्तीय वर्ष बोर्ड द्वारा वक्फ के योजना को अनुमोदित करने के दिन से प्रारंभ होगा और अगले कलेंडर वर्ष के **31** मार्च को समाप्त होगा ।

21. लेखे की संपरीक्षा:

(1) वक्फ के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात प्रबंध समिति वक्फ के साधारण निकाय अथवा बोर्ड द्वारा नियुक्त संपरीक्षक अथवा चार्टड एकाउण्टेंट द्वारा लेखे की संपरीक्षा कराएगी ।

(2) संपरीक्षकों के विचार के साथ संपरीक्षित विवरण की जाँच प्रबंध समिति द्वारा की जाएगी जो अपने विचार इस के साथ संलग्न करेंगे तथा इस विचार के साथ लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात वार्षिक साधारण निकाय की बैठक में साधारण निकाय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा । साधारण निकाय अथवा बोर्ड द्वारा नियुक्त संपरीक्षक अथवा चार्टड एकाउण्टेंटवक्फ के वार्षिक साधारण निकाय की बैठक के प्रति जवाबदेह होंगे।

(3) वक्फ अधिनियम के उपबंधों तथा बोर्ड के परामर्श अथवा निर्देशों के अनुसार दूसरी या उत्तरवर्ती संपरीक्षा की अनुमति देगा।

22. योजना में संशोधन:

(1) अधिनियम की धारा **32** के अधीन यथा उपबंधित शक्तियों तथा कृत्यों का प्रयोग करते हुए बोर्ड द्वारा योजना बनाया जाता है और इसलिए केवल बोर्ड इस योजना को पूर्व में अथवा इसके प्रवृत्त होने पर इसे रद्द अथवा उपांतरित करने के लिए सक्षम है ।

(2) जहाँ साधारण निकाय की यह राय हो कि संस्था में कोई परिवर्तन अथवा परिवर्धन होना अथवा कुछ हटाया जाना अपेक्षित है तो इसे इस प्रयोजनार्थ बुलायी गयी विशेष साधारण निकाय की बैठक में सम्यक्रूप से अनुमोदित कराकर बोर्ड के विचारार्थ अग्रसारित किया जाएगा और बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

परन्तु कोई प्रस्तावित संशोधन, अधिनियम तथा इसके अधीन बनी नियमावली के संगत होगी ।

23. प्राधिकृत सील:

(1) प्रबंध समिति वक्फ के नाम जो राजपत्र अधिसूचना अथवा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में हो, का उल्लेख करते हुए एक प्राधिकृत सील बनाएगी।

(2) वक्फ का सील प्रबंध समिति के सचिव की सुरक्षित अभिरक्षा में होगा और संविदा, करार और दस्तावेज, जिस पर वक्फ हस्ताक्षरकर्त्ता हो, पर लगाया जाएगा ।

अध्याय VIII

निर्वाचन

(जहाँ प्रबंध समिति सर्व सम्मति से निर्वाचित नहीं हो, केवल इस दशा में लागू)

24. निर्वाचन द्वारा प्रबंध समिति का गठन :

1. निर्वाचक नामावली तैयार करना और पहचान पत्र निर्गत करना :

(क) प्रबंध समिति का सचिव अथवा प्रशासक अथवा मुतवल्ली अपनी पदावधि के पूरा होने के तीन माह के अन्दर वक्फ के सदस्यों के नामांकन, सदस्यों के नाम और पता के ब्यौरे को हटाने और सुधार करने के लिए कम-से-कम तीस दिन उपलब्ध कराकर आवेदन आमंत्रित करने की अधिसूचना निर्गत करेगा ।

(ख) प्रबंध समिति का सचिव अथवा प्रशासक अथवा मुतवल्ली सात दिनों का न्यूनतम समय देकर आपत्तियों, सुझावों और सुधारों को बुलाकर अध्याय **IV** के अनुसार वक्फ की औपबंधिक निर्वाचक नामवली प्रकाशित करेगा ।

(ग) आपत्तियों और सुझावों पर सुधार और निर्णय के पश्चात्त प्रबंध समिति अथवा प्रशासक अथवा मुतवल्ली अस्वीकृति के कारणों, यदि कोई हो, को अभिलिखित कर उपर्युक्त खंड (ख) के पश्चात्त सात दिनों के अन्दर अंतिम निर्वाचक नामावली वक्फ के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित करेगा तथा जिला औकाफ समिति को एक प्रति भेजेगा ।

(घ) प्रबंध समिति प्रत्येक सदस्य जिसका नाम वक्फ संस्था की अंतिम निर्वाचक नामावली में है, को वक्फ का नाम, सदस्य का पूरा नाम, सदस्यता संख्या, जन्मतिथि, उम्र तथा आवासीय या व्यावसायिक पता का उल्लेख कर एक पहचान पत्र निर्गत करेगी । सदस्य के हाल का पासपोर्ट आकार का फोटो भी पहचान पत्र पर चिपकाया जाएगा जो उसके द्वारा सम्यक्रूप से हस्ताक्षरित होगा तथा जिसे वक्फ के सील के साथ प्रबंध समिति के सचिव अथवा प्रशासक अथवा मुतवल्ली द्वारा अभिप्रमाणित किया जाएगा ।

2. मतदान की पात्रता:

साधारण निकाय के सदस्यों की पंजी में नामांकित सदस्य वक्फ के निर्वाचन के लिए मत डालने तथा वक्फ का चुनाव लड़ने के पात्र हैं।

25. **प्रबंधस मिति के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया:**

वक्फ की प्रबंध समिति के सदस्यों का निर्वाचन निम्नलिखित रीति से किया जाएगा:

(1) विद्यमान प्रबंध समिति निर्वाची पदाधिकारी को नियुक्त करने के लिए बोर्ड से अनुरोध करेगी तथा बोर्ड राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकार अथवा बोर्ड के किसी पदाधिकारी को वक्फ की प्रबंध समिति के सदस्यों का निर्वाचन कराने के प्रयोजन से निर्वाची पदाधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा ।

(2) उपर्युक्त उपनियम(**1)** के अधीन नियुक्त निर्वाची पदाधिकारी निर्वाचन के **21** दिन पूर्व प्रबंध समिति के सदस्यों के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ कार्यक्रमों का एक कलेंडर प्रकाशित करेगा तथा अधिसूचना की तारीख से तीस दिनों के अन्दर निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी करेगा ।

(3) वक्फ द्वारा कार्यक्रमों का कलेंडर स्थानीय क्षेत्र के प्रत्येक भाषा के बहु प्रसारित कम-से-कम एक स्थानीय समाचार पत्र में और निर्वाची पदाधिकारी**,** जिला वक्फ समिति के कार्यालयों तथा अन्य कोई कार्यालय**,** जिसे निर्वाचीप दाधिकारी उचित समझे**,** में प्रकाशित किया जाएगा ।

(4) निम्नलिखित का स्पष्ट रूप से उल्लेख कर कार्यक्रमों का कलेंडर प्रकाशित किया जाएगाः-

(क**)** निर्वाचित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या ।

(ख**)** नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख नामांकन पत्र निर्गत होने की तारीख के पश्चात्त सातवें दिन होगी ।

(ग**)** ऐसे नामांकन दाखिल करने का स्थान ।

(घ**)** नामांकन पत्रों की जाँच की तारीख जो नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख नामांकन पत्रों की जाँच के तारीख के अगले दिन होगी।

(ङ**)** नामांकन पत्रों के वापस लेने की अंतिम तारीख नामांकन पत्रों की जाँच के तारीख के अगले दिन होगी और तत्पश्चात्चुनाव लड़नेवाले अभ्यर्थियों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी ।

(च**)** मतदान की तारीख नामांकन पत्रों की वापसी की अंतिम तारीख के पश्चात्त दसवें दिन से पहले की नहीं होगी ।

(छ)ऐसी तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी ।

(ज)मतों की गिनती की तारीख**,** स्थान और समय ।

(झ)कार्यक्रमों का कलेंडर निर्गत होने के पश्चात्त सार्वजनिक अवकाशों का विचार किए बिना निर्वाचन की प्रक्रिया जारी रहेगी ।

(5.) **(**क)कोई सदस्य जो प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी के रूप में चुनाव लड़ना चाहता हो विहित प्रपत्र में निर्वाची पदाधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य किसी व्यक्ति को नामांकन पत्र दाखिल करेगा ।

अथवा

(ख).वक्फ संख्या का कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य**,** जो प्रबंध समिति का सदस्य चुने जाने के लिए अर्हित हो**,** को नामित कर सकेगा और ऐसा नामांकन निर्वाची पदाधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष दाखिल किया जाएगा ।

(6) नामांकन:

1 प्रत्येक नामांकन पत्र में प्रस्तावित अभ्यर्थी की सहमति रहेगी ।

2. नामांकन**,** निर्वाचन में मत देने के लिए सक्षम कम से कम किसी एक सदस्य द्वारा प्रस्तावित और हस्ताक्षरित होगा तथा निर्वाचन में मत देने के लिए सक्षम किसी एक सदस्य द्वारा समर्थित होगा ।

3. प्रस्तावित अभ्यर्थी की सहमति के बिना अथवा नामांकन की प्राप्ति के लिए नियत तारीख और समय के पश्चात्प्राप्त नामांकन अस्वीकारनीय होगा ।

4. नामांकन के साथ नकद द्वारा अथवा वक्फ के पक्ष में भुगतेय कम से कम **1000 (**एक हजार रूपये)जो कार्यक्रमों के कलेंडर वाले अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट है**,** का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने का रसीद संलग्न होगा।

5. यदि अभ्यर्थी निर्वाचन में डाले गये वैधमतों का दसवाँ भाग पाने में असफल रहता तो इस प्रकार जमा की गयी राशि वक्फ को समपहृत हो जाएगी।

6. कार्यक्रमों के कलेंडर में अधिसूचित तारीख को निर्वाची पदाधिकारी द्वारा नामांकन की जाँच की जाएगी ।

7. निर्वाची पदाधिकारी प्रत्येक नामांकन के नोटिस पर स्वीकार अथवा अस्वीकार करना पृष्ठांकित करेगा ।

8. प्रबंध समिति में निर्वाचित होने के लिए निरर्हित चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र अस्वीकार कर दिए जायेंगे और ऐसी अस्वीकृति के लिए कारणों का संक्षिप्त विवरण अभिलिखित किया जाएगा ।

9. निर्वाची पदाधिकारी जाँचोपरान्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा जिनके नामांकन वैध हों तथा उसी दिन वक्फ के नोटिस बोर्ड पर उसे प्रकाशित करेगा ।

10. कोई अभ्यर्थी निर्वाची पदाधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को जाँच के अगले दिन **3:00** बजे अपराह्न के पूर्वलिखित में स्वयं नोटिस देकर अपना नामांकन वापस ले सकेगा ।

11. निर्वाची पदाधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति नामांकन वापस लेने के नोटिस की प्राप्ति की तारीख और समय अंकित करेगा ।

12. कोई व्यक्ति जो नामांकन वापसी का नोटिस दे चुका हो उसे ऐसी नोटिस को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

13. निर्वाची पदाधिकारी वापसी के नोटिस के असलियत का समाधान होने पर उसी दिन वक्फ के नोटिस बोर्ड पर वापसी नोटिस को प्रकाशित कराएगा ।

14. वापसी के लिए अनुमत समय की समाप्ति के पश्चात्त निर्वाची पदाधिकारी वर्णानुक्रम में चुनाव लड़ने वाले वैध अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा और वक्फ के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित करेगा ।

15. यदि अभ्यर्थियों की संख्या निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या के बराबर हो तो निर्वाची पदाधिकारी उन्हें तुरंत अविरोध निर्वाचित के रूप में घोषित करेगा और उसे वक्फ के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित करेगा तथा उसी दिन संस्था को परिणाम की एक प्रति भेजेगा और जिला औकाफ समिति को तथा बोर्ड को रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा परिणाम की एक प्रति अग्रसारित करेगा ।

16. यदि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निर्वाचित होने वाले सदस्यों से अधिक हो तो ऐसे अभ्यर्थियों के नाम उन्हें आवंटित चुनाव चिह्न के साथ लिखे जायेंगे अथवा टंकित किए जायेंगे अथवा मुद्रित किए जायेंगे और निर्वाचन की तारीख से सात दिन पूर्व वक्फ के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किए जायेंगे ।

17. निर्वाची पदाधिकारी राज्य में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आवंटित चुनाव चिह्नों को छोड़ कर चुनाव चिह्न**,** चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को आवंटित करेगा ।

स्पष्टीकरण :इस उपनियम के प्रयोजनार्थ मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से अभिप्रेत है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव चिह्न) आरक्षण और आवंटन (आदेश**, 1968** के अधीन राष्ट्रीय दल के रूप में अथवा झारखण्ड राज्य के राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त प्रत्येक राजनीतिक दल ।

18. निर्वाचन स्थल पर एक पंजी रखी जाएगी और प्रत्येक मतदाता पहचान पत्र दिखला कर उसमें हस्ताक्षर करेगा तथा पहचान पर्ची प्राप्त करने के लिए अग्रसर होगा । मतदाता को अपना मत डालने की अनुमति दी जाएगी ।

19. मतदान **8:00** बजे पूर्वाह्न से **3:00** बजे अपराह्न तक होगा परन्तु सभी मतदाता जिसने मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से पूर्व पहचान पर्ची प्राप्त करली हो जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित हों उन्हें मतदान करने की अनुमति दी जाएगी ।

20. निर्वाची पदाधिकारी मतदान कराने के लिए उतनी संख्या में सहायक निर्वाची पदाधिकारी**,** पीठासीन पदाधिकारी और मतदान पदाधिकारी तथा मतों की गणना के लिए उतनी संख्या में मतगणना सहायक नियुक्त करेंगे जो आवश्यक हों ।

21. पहचान पर्ची प्रस्तुत करने पर पीठासीन पदाधिकारी अथवा मतदान पदाधिकारी उसे मतपत्र देगा जिस पर वक्फ का सील तथा पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा ।

22. निर्वाचन के दौरान मतदान केन्द्र के **100** मीटर के अन्दर मतों की याचना करना सख्ती से निषिद्ध है ।

23. मतदान मतपत्र द्वारा होगा तथा मतदाता**,** अभ्यर्थी जिसे वह मत देना चाहता हो**,** के नाम के सामने चुनाव चिह्न के निकट(ग)अंकित करेगा तथा मतपत्र को मोड़कर मतपेटी में डालेगा ।

24. मतदान करने की समाप्ति के पश्चात्पीठासीन पदाधिकारी मतदान बंद करेगा तथा मतपेटी निर्वाची पदाधिकारी को सौंपेगा जो मतदान की समाप्ति के तुरन्त बाद मतगणना की व्यवस्था करेगा ।

25. मतगणना सहायक सभी वैधमत पत्र व्यवस्थित करेंगे और निम्नलिखित आधारों पर अस्वीकृत मतपत्रों पर निर्वाची पदाधिकारी का आदेश प्राप्त करेंगे:

(i) यदि मतदाता की पहचान वाला कोई हस्ताक्षर हो ।

(ii) यदि वक्फ का सील तथा पीठासीन पदाधिकारी का आद्याक्षरन हो ।

(iii) यदि निर्वाचित होने वाली संख्या से अधिक चिह्न अंकित हो।

26. **मतगणना का पूरा होना:**

क. यदि निर्वाचित घोषित किए जानेवाले अभ्यर्थियों के बीच बराबर मत डाले गये हों तो निर्वाची पदाधिकारी तुरंत लॉट द्वारा विजेता अभ्यर्थी का निर्णय करेगा ।

ख. सबसे अधिकमत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित किए जायेंगे ।

ग. निर्वाची पदाधिकारी मतगणना की समाप्ति के पश्चात्तुरत निर्वाचन का परिणाम घोषित करेगा तथा वक्फ के नोटिस बोर्ड पर निर्वाचित अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित करेगा तथा इसकी प्रति चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों तथा वक्फ को उसी दिन देगा ।

घ. निर्वाची पदाधिकारी मतपत्रों, निर्वाचन से संबंधित दस्तावेजों और प्रबंध समिति के सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त पंजी तथा मतगणना के परिणाम वक्फ की सुरक्षित अभिरक्षा अधिमानतः वक्फ के कार्यपालक पदाधिकारी अथवा जवाबदेह वेतनभोगी पदधारी की अभिरक्षा में रखने की व्यवस्था करेगा ।

ड. निर्वाचन पदाधिकारी और पदधारियों को दी जाने वाली पारिश्रमिक बोर्ड द्वारा नियत किया जाएगा तथा वक्फ द्वारा उसका भुगतान किया जाएगा।

26. पदाधिकारियों को चुनने के लिए प्रबंध समिति के सभी सदस्यों की बैठक बुलाने की रीतिः

i. प्रबंध समिति निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख से **15** दिनों के अन्दर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और ऐसे अन्य पदाधिकारियों को चुनेगी जो वक्फ के प्रबंध योजना के अधीन चुने जाने के लिए अपेक्षित हो । **64** निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य जो अध्य उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष चुने जाने का अभ्यर्थी न हो उसे ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चुना जाएगा । निर्वाची पदाधिकारी अथवा वक्फ पदाधिकारी द्वारा सात दिनों का नोटिस रजिस्ट्री डाक अथवा मुद्दम द्वारा भेजकर जिसमें तारीख, समय तथा बैठक के स्थान का उल्लेख हो, बैठक बुलायी जाएगी ।

ii. जब कभी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और ऐसे अन्य पदाधिकारी का पद मृत्यु अथवा त्यागपत्र अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त हो तो प्रबंध समिति उपखंड (**i**) के अनुसार ऐसी रिक्ति को भरने के लिए रिक्ति की तारीख से **15** दिनों के अन्दर बैठक बुलाएगी ।

iii. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा सचिव अथवा अन्य किसी पदाधिकारी के चुनाव की बैठक के लिए नियत समय से म से कम दो घंटे पूर्व कोई निर्वाचित सदस्य किसी अन्य निर्वाचित सदस्य को यथा स्थिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा सचिव अथवा अन्य पदाधिकारी चुने जाने के लिए निर्वाची पदाधिकारी अथवा वक्फ पदाधिकारी को नामांकन पत्र देकर नामित कर सकेगा ।

iv. कोई निर्वाचित सदस्य उपखंड **(iii)** के अधीन अध्यक्ष**,** उपाध्यक्ष अथवा सचिव अथवा वक्फ के किसी अन्य पदाधिकारी के लिए एक अभ्यर्थी से अधिक को नामित नहीं करेगा । पहले प्राप्त नामांकन पत्र की जाँच करने पर विचार किया जाएगा ।

v. बैठक प्रारंभ होने के पश्चात्त निर्वाची पदाधिकारी अथवा वक्फ पदाधिकारी बैठक की अध्यक्षता कर रहे सदस्य **(**इसमें इसके पश्चात्त पीठासीन प्राधिकारी के रूप में निर्दिष्ट**)** के समक्ष सभी नामांकन पत्रों को रखेगा और ऐसी बैठक में उपस्थित सदस्यों को समर्थकों के साथ सदस्यों के नाम जो उनकी राय में सम्यक्रूप से नामित हों**,** पढ़कर सुनाएगा।

vi कोई अभ्यर्थी लिखित नोटिस देकर जो सम्यक्रूप से हस्ताक्षरित हो अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकेगा तथा नामांकन पत्र की जाँच के पश्चात्तुरत पीठासीन प्राधिकारी को इसे सौंपेगा ।

vii वापसी का नोटिस या तो अभ्यर्थी द्वारा स्वयं अथवा उसके प्रस्तावक द्वारा जिसे अभ्यर्थी ने इस निमित लिखकर प्राधिकृत किया हो**,** दिया जा सकेगा ।

viii कोई व्यक्ति जिसने उपखंड **(iv)** के अधीन अपनी अभ्यर्थिता वापस करने का नोटिस दिया हो उसे वापसी के नोटिस को रद्द करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

ix. वापसी के नोटिस की असलियत का तथा उपखंड **(vii)** के अधीन उसे देने वाले व्यक्ति की पहचान का समाधान होने पर पीठासीन प्राधिकारी ऐसी बैठक में उपस्थित सदस्यों को अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने वाले व्यक्तियों के नाम पढ़कर सुनाएगा ।

x. वापसी के लिए नियत समय के पश्चात यदि केवल एक अभ्यर्थी हो जिसे वैध पूर्वक नामित किया गया हो तथा जिसने अपनी अभ्यर्थिता विनिर्दिष्ट रीति एंव समय के अन्दर वापस न ली हो तो पीठासीन पदाधिकारी तुरत ऐसे अभ्यर्थी को यथा स्थिति वक्फ के अध्यक्ष**,** उपाध्यक्ष**,** सचिव**,** अथवा अन्य किसी पदाधिकारी के रूप में सम्यक्रूप से निर्वाचित घोषित कर सकेगा ।

xi. यदि अभ्यर्थियों**,** जिसे वैध रूप से नामित किया गया हो और जिसने अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली हो**,** की संख्या एक से अधिक हो तो पीठासीन प्राधिकारी इसमें इसके पश्चात उपबंधित रूप में चुनाव कराएगा ।

xii. मतदान गुप्त मत पत्र द्वारा कराया जाएगा और किसी अभ्यर्थी के पक्ष और विपक्ष में मतदान करनेवाले सदस्य उन्हें आपूरित मत पत्रों में अपने मत अभिलिखित करेंगे।

xiii. बैठक में उपस्थित कोई सदस्य मतदान से विरत रह सकेगा यदि वह ऐसा करना चाहता हो।

xiv. सभी उपस्थित निर्वाचित सदस्यों द्वारा मतदान करने के पश्चात्पीठासीन प्राधिकारी मतों की गिनती करेगा तथा उस अभ्यर्थी को सम्यक्रूप से निर्वाचित घोषित करेगा जिसने वैध मतों में से सबसे अधिकमत प्राप्त किया हो।

xv. जहाँ किसी दो अथवा अधिक अभ्यर्थियों के मत बराबर हों और एकमत के जोड़ने से कोई अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित किए जाने का हकदार हो तो पीठासीन प्राधिकारी तुरत उन अभ्यर्थियों में से ऐसी रीति से जो वह अवधारित करे लॉट द्वारा निर्णय करेगा मानों कि वह अभ्यर्थी जिस पर लॉट आया हो**,** उसने एक अतिरिक्त मत प्राप्त किया है । तत्पश्चात वह जिसे लॉट आया है को सम्यक्रूप से निर्वाचित घोषित करेगा ।

xvi पीठासीन प्राधिकारी बैठक के कार्यवृत्त को अभिलिखित कराएगा जिसमें सभी उपस्थित निर्वाचित सदस्यों के नाम होंगे । कार्यवृत्त में पीठासीन प्राधिकारी के साथ उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे । कार्यवृत्त प्रबंध समिति के किसी भी सदस्य को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा ।

27. जिला वक्फ समिति से सूची की प्राप्ति के **15** दिनों के अन्दर अथवा जितनी जल्दी सुविधाजनक हो बोर्ड अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नयी प्रबंध समिति के रूप में निर्वाचित अथवा चयनित सदस्य को नियुक्त कर आदेश निर्गत करेगा।

28. नये निर्वाचित सदस्य बोर्ड द्वारा उन्हें पदाधिकारियों और सदस्यों के रूप में नियुक्त करने के आदेश की तारीख से वक्फ की प्रबंध समिति (मुतवल्ली) का पदभार ग्रहण किए गए समझे जायेंगे।

29. मुतवल्ली अथवा प्रबंध समिति को नियुक्त करने की शक्ति के वल बोर्ड में निहित है।

30. प्रबंध योजना की निरंतरता :बोर्ड इसके प्रवृत्त होने के बाद कारणों को समनुदेशित कर किसी भी समय योजना को रद्द करने अथवा उपांतरित करने के लिए सशक्त है ।

31. साधारणतया ये उप-विधियाँ वक्फ की प्रबंध समिति में सदस्यों की नियुक्ति और प्रबंधन में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ हैं । इसलिए योजना के कार्यान्वयन में किसी प्रकार की कठिनाई आने पर वक्फ बोर्ड को संशोधन का प्रस्ताव दे सकेगा । सभी विषयों पर बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

32. बोर्ड के निदेश :बोर्ड द्वारा निर्गत सभी निदेश**,** अनुदेश अथवा परिपत्र समय-समय पर निष्ठा से कार्यान्वित किए जायेंगे ।

33.निर्वाचन विवाद:

i. प्रबंध समिति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद अथवा कोई विषय वक्फ निर्वाचन अधिकरण**,** जिसमें मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी**,** अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और मुख्यविधि पदाधिकारी समाविष्ट हैं**,** के समक्ष परिणाम की घोषणा की तारीख सं **30** दिनों के अन्दर रखा जाएगा।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी निर्वाचन याचिका की अध्यक्षता कर न्याय निर्णयन करेगा और वक्फ निर्वाचन अधिकरण का निर्णय अंतिम और निश्चायक होगा ।

ii. याचिकाकर्ता समुचित उपांतरणों के साथ नियम **88** में यथा उपबंधित निर्वाचन याचिका**,** सत्यापित शपथ-पत्र और लागत के रूप में रू० **1000/-** जमा कर दाखिल करेगा।

iii. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी याचिका की सुनवाई के दौरान अधिनियम की धारा **71** की उप धारा (**2)** के अधीन विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करेगा।

iv. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी याचिका दाखिल करने के दो माह के अन्दर सुनवाई कर कार्यवाही पूरी करेगा ।

v. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी विहित प्रक्रिया का पालन करेगा ।

फॉर्म 43

नियम 50 (1) देखें,

नोटिस

जबकि यह ज्ञात हुआ है/सूचित किया गया है/रिपोर्ट हुआ है कि वक्फ अस्तित्वहीन हो चुका है अथवा नीचे अनुसूची में दर्शायी गयी वस्तुएँ अथवा उसके हिस्से अस्तित्वहीन हो चुकी है ।

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क्र० संख्या	**वक्फ/ वक्फ की सम्पत्ति कानाम**	**चल सम्पत्ति काब्यौरे**	**मौजा/राजस्वथाना/अंचल खाता संख्या/खेसरा संख्या (पुराना/नया)**	**क्षेत्रफल/ विस्तार**	**जिला**	**अंचल**	**शहर/नगर**	**गाँव**	**प्रथा**	**निधि, यदि कोई हो, का ब्यौरे**

इसलिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त अस्तित्वहीनता के संबंध में तथा वक्फ की सम्पत्ति और निधि को अभिनिश्चित करने के लिए जाँच की जाएगी तथा वक्फ अधिनियम की धारा **39 (2)** के अधीन उक्त सम्पत्ति को वापस करने तथा इसके उपयोग के लिए आदेश दिया जाएगा ।

जाँच के दौरान इस निमित कोई आपत्ति अधोहस्ताक्षरी को दिनांक-.....के ..... बजे प्रस्तुत की जाएगी ।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/प्राधिकृत पदाधिकारी

सेवा में,

.....

.....

फॉर्म 44

नियम 51 (1) देखें,

नोटिस का प्रपत्र

किसी सम्पत्ति के संबंध में नोटिस जो वक्फ की सम्पत्ति के रूप में विश्वसनीय हो/चाहे कोई विशेष सम्पत्ति वक्फ की सम्पत्ति हो अथवा नहीं/चाहे कोई वक्फ सुन्नी अथवा शिया हो।

वक्फ का नाम

वक्फ के गठन/स्थापना की तारीख

जिला, अंचल, नगर/शहर/गाँव

मुतवल्ली/अध्यक्ष/सचिव, यदि कोई हो, का नाम

वक्फ के क्रियाकलाप

सम्पत्तियों के ब्यौरे

वक्फ के प्रबंधक से संबंधित ब्यौरे

रिपोर्ट करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर

फॉर्म 45

नियम 51 (3)(i) देखें,

नोटिस

जबकि वक्फ अधिनियम की धारा **40** के अधीन जाँचोपरान्त झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड को विश्वास करने का कारण है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति/संपत्तियाँ.....(न्यास अथवा सोसाइटी का नाम) की है जो भारतीय न्यास अधिनियम **1882/** सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम**, 1960** अथवा ..... (कोई अन्य अधिनियम) के अनुसरण में रजिस्ट्रीकृत है और वक्फ की संपत्ति (संपत्तियाँ) है/हैं।

अनुसूची

संपत्ति का ब्यौरे	**(1) मौजा/राजस्व थाना/अंचल खाता संख्या/खेसरा संख्या (नया/पुराना)**	**विस्तार**	**चौहद्दी** **उत्तर** **दक्षिण** **पूरब** **पश्चिम**

इसलिए नोटिस तामील कराने के **15** दिनों के अंदर वक्फ (संशोधन) अधिनियम**, 2013** द्वारा यथासंशोधित वक्फ अधिनियम**, 1995** के अधीन अनुसूची में संपत्ति/संपत्तियों को दर्ज करने के लिए एतद्द्वारा आपको (प्राधिकारी जिसके रजिस्ट्रीकृत है नाम से न्यास) बुलाया जाता है **?**

दिनांक.....

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/
प्राधिकृत पदाधिकारी

फॉर्म 46
नियम 51 (3)(i) देखें,

जबकि वक्फ अधिनियम की धारा**40 (3)** के अधीन जाँचोपरान्त झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड को विश्वास करने का कारण है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति/संपत्तियाँ ..... (न्यास अथवा सोसाइटी का नाम) की है जो भारतीय न्यास अधिनियम**, 1882/** सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिकरण अधिनियम**, 1960** अथवा..... (कोई अन्य अधिनियम) के अनुसरण में रजिस्ट्रीकृत है और वक्फ की संपत्ति/संपत्तियाँ हैं।

अनुसूची

संपत्ति का ब्यौरे	**(**1) **मौजा/राजस्व थाना/अंचल खाता संख्या/खेसरा संख्या (नया/पुराना)**	**विस्तार**	**सीमा उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम**

इसलिए एतद्द्वारा आपको ..... (प्राधिकारी जिसके नाम से न्यास अथवा सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत है) कारण पृच्छा पर अपना लिखित आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाता है कि क्यों नहीं इस नोटिस की प्राप्ति से **15** दिनों के अन्दर वक्फ अधिनियम के उपबंधों के अधीन अनुसूची में वर्णित संपत्ति/संपत्तियों को रजिस्ट्रीकृत किया जाना चाहिए । इसमें असफल रहने पर बोर्ड वक्फ अधिनियम की धारा **40** के अधीन आदेश पारित करेगा ।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/
प्राधिकृत पदाधिकारी

फॉर्म 47

नियम 56 (1) देखें,

सार्वजनिक नोटिस

जबकि ..... (वक्फ संस्था) के मुतवल्ली कार्यालय में रिक्ति हुई हो और विलेख के शर्तों के अनुसार इस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्ति करने के लिए कोई अन्य व्यक्ति न हो । इसलिए एतद्द्वारा वक्फ में इच्छुक जनता अथवा व्यक्तियों की नोटिस के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री ..... पिता .....को जिला वक्फ समिति द्वारा नीचे अनुसूची के ब्यौरे के अनुसार उक्त संस्था के मुतवल्ली की रिक्ति को भरने के लिए ..... जिला हेतु ऐसी अवधि और ऐसे निबंधन और शर्तों के अधीन प्रस्तावित किया गया है जो झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड उचित समझे ।

अनुसूची

1. वक्फ संस्था का नाम

2. रजिस्ट्रीकरण संख्या और तारीख/जी०एन० संख्या और तारीख

3. वक्फ विलेख के अधीन मुतवल्ली की नियुक्ति के ब्यौरे

4. अधिनियम की धारा **63** के अधीन मुतवल्ली के रूप से प्रस्तावित व्यक्ति का नाम औ रपता

5. पूर्व मुतवल्ली का नाम । इस प्रस्ताव पर आपत्ति/सुझाव देनेवाला कोई व्यक्ति इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से सात दिनों के अन्दर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/प्राधिकृत पदाधिकारी को इसे लिखकर सूचित कर सकेगा । इसमें असफल रहने पर यह समझा जाएगा कि आपत्तियाँ/सुझाव नहीं हैं तथा बोर्ड वक्फ अधिनियम की धारा **63** के अधीन उपर्युक्त संस्था के मुतवल्ली के रूप में इसमें ऊपर अधिसूचित व्यक्ति को नियुक्त करने की अग्रतर कार्रवाई करेगा।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/
प्राधिकृत पदाधिकारी

सम्बद्ध को प्रतिलिपि

फॉर्म 48

नियम 56 (2) देखें,

नोटिस

(जब वक्फ के मुतवल्ली के कार्यालय में कोई रिक्ति हो और मुतवल्ली के रूप में कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार पर विवाद हो तो यह जारी किया जाएगा)

जबकि ..... (वक्फ संस्था) के कार्यालय में ..... के कारण रिक्ति हुई है और मुतवल्ली के रूप में कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार पर विवाद है।

इसलिए एतद्द्वारा वक्फ में इच्छुक जनता अथवा व्यक्तियों की नोटिस के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि ..... जिला के जिला औकाफ समिति से**,** नीचे उल्लिखित अनुसूची में से किसी व्यक्ति को**,** ऐसी अवधि के लिए तथा ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर जो झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड उचित समझे**,** नियुक्त कर उक्त वक्फ संस्था के मुतवल्ली कार्यालय की रिक्ति को भरने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

अनुसूची

1. वक्फ संस्था का नाम

2. रजिस्ट्रेशन संख्या एवं तारीख/जी०एन०संख्या और तारीख

3. वक्फ विलेख के अधीन मुतवल्ली की नियुक्ति के ब्यौरे

4. अधिनियम की धारा **63** के अधीन मुतवल्ली के रूप में प्रस्तावित व्यक्ति का नाम और पता

5. पूर्व मुतवल्ली का नाम।

इस प्रस्ताव पर आपत्ति/सुझाव देने वाला कोई व्यक्ति इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से सात दिनों के अन्दर इसे लिखकर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अथवा प्राधिकृत पदाधिकारी को सूचित कर सकेगा**,** इसमें असफल होने पर यह समझा जाएगा कि कोई सुझाव/आपत्तियाँ नहीं हैं और बोर्ड वक्फ अधिनियम की धारा **63** के अधीन मुतवल्ली के रूप में यहाँ ऊपर अधिसूचित व्यक्ति को नियुक्त करने की कार्रवाई करेगा ।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/

प्राधिकृत पदाधिकारी

सम्बद्ध को प्रतिलिपि

फॉर्म 49

नियम 57 (7) देखें,

.....मुहल्ला/वार्ड/गाँव

.....अनुमंडल.....जिला की वक्फ संस्था के मुतवल्ली/प्रशासक द्वारा त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन

संख्या ..... दिनांक .....

I सरकारी योजनाओं की प्राप्तियाँ एवं व्यय

क्रम संख्या	**योजना का नाम**	**प्राप्त अनुदान**	**व्यय**	**समर्पित उपयोगिता प्रमाण-पत्र**	
1	वक्फ संस्थाओं के लिए सहायता अनुदान				
2	वक्फ संपत्तियों की रक्षा				
3	विशेष अनुदान				
4	पेशइमाम और मौजन को मानदेय				
5	एम०पी०एल०ए०डी०				
6	एम०एल०ए०डी०				
7	शादी महल				
8	एम०एस०डी०पी०				

II वक्फ की आय और व्यय

क्रम संख्या	**प्राप्ति के ब्यौरे**	**राशि**	**उपगत व्यय**									
			धार्मिक अनुष्ठान	**प्रशासन**	**शिक्षा**	**स्वास्थ्य**	**वक्फ का विकास**	**कर**	**वक्फ का अंशदान**	**अन्य**	**कुल**	**अतिशेष**

III संपत्तियों का संधारण

1. रजिस्ट्रीकृत संपत्तियों की कुल संख्या

2. अधिसूचित संपत्तियों की कुल संख्या

3. उत्तरवर्ती सर्वेक्षण के अधीन सर्वेक्षण की जानेवाली संपत्तियों की संख्या

4. सर्वेक्षित संपत्तियों की संख्या

5. वक्फ के नाम पर संपत्तियों के खाते की संख्या

6. खाते में उल्लिखित वक्फ की संपत्ति की संख्या

7. संपत्तियों के नाम के खड़े बोर्ड की संख्या

8. धेराबंदी की गयी संपत्तियों की संख्या

9. तिमाही में व्यावसायिक रूप से विकसित संपत्तियों की संख्या

10. अतिक्रमित अथवा अवैध रूप से अंतरित के रूप में चिन्हित संपत्ति की संख्या जिसे जिला औकाफ समिति को प्रतिवेदन किया गया हो

11. संस्था को वापस की गयी संपत्तियों की संख्या

12. मुकदमे के ब्यौरे

मुतवल्ली का हस्ताक्षर

फार्म 50

(नियम 58 (3) देखें,

नोटिस

वक्फ अधिनियम की धारा 64(1) के अधीन ..... (वक्फ संस्था) के मुतवल्ली/सचिव को नोटिस ।

जबकि आप श्री ..... पिता .....बोर्ड के आदेश संख्या ..... दिनांक ..... द्वारा ..... (वक्फ संस्था) के मुतवल्ली/सचिव के रूप में नियुक्त हुए थे और जबकि अब यह प्रतिवेदित किया गया है कि आपने वक्फ अधिनियम के उपबंधो का उल्लंघन किया है और आप नीचे उल्लिखित कारणों के लिए धारा 64(1) अधीन कार्रवाई के भागी हैंः- (समुचित पर टिक लगायें)

क.) वक्फ अधिनियम की धारा **61** के अधीन दंडनीय अपराध में एक से अधिक बार सिद्ध दोष ठहराया गया हो;

ख.) आपराधिकन्या सभंग के अपराध अथवा, कोई अन्य अपराध, जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो, में सिद्ध दोष ठहराया गया हो और ऐसे सिद्ध दोष को उलटा नहीं दिया गया हो और पूर्णतः माफ नहीं किया गया हो;

ग.) पागल हो अथवा किसी मानसिक या शारीरिक दोष या अंग शैथिल्य से ग्रस्त हो जो मुतवल्ली के कर्तव्यों के निर्वहन और कृत्यों के निष्पादन में उसे अयोग्य बना दे,

घ.) अनुन्मुक्त दिवालिया हो;

ङ.) शराब अथवा अन्य स्पिरिट युक्त द्रव पीने का आदी होना सत्यापित हो अथवा किसी स्वापक औषधि का आदी हो;

च.) वक्फ की ओर से अथवा उसके विरूद्ध वेतन पाने वाले वकील के रूप में नियोजित हो

छ.) नियम **51** के उपनियम (**3)** की धारा **46** की उपधारा (**2)** द्वारा यथापेक्षित नियमित लेखे संधारित करने में बिना उचित कारण के असफल हो अथवा वार्षिक लेखा विवरण प्रस्तुत करने में असफल हो ;

ज.) सम्बद्ध वक्फ अथवा किसी वक्फ संपत्ति की बाबत विद्यमान पट्टा में अथवा वक्फ के साथ किसी संविदा अथवा उसके लिए किसी कार्य करने में अथवा ऐसे वक्फ के किसी बकाये की बाबत प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः इच्छुक हो;

झ.) अपने कर्तव्यों की लगातार अवहेलना करता हो अथवा वक्फ की बाबत या किसी धन अथवा अन्य वक्फ संपत्ति की बाबत निधि के किसी उपकरण/दुर्विनियोग अथवा न्यास भंग करता हो;

ञ.) वक्फ अधिनियम अथवा नियमावली के उपबंध अथवा इसके अधीन दिए गए आदेशों के अधीन केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं बोर्ड द्वारा निर्गत विधिपूर्ण आदेशों का जानबूझ कर और लगातार अवज्ञा करता हो;

ट.) वक्फ की संपत्ति के साथ अनुचित अथवा कपटपूर्वक व्यवहार।

ठ.) अन्य किसी प्रयोजन को विनिर्दिष्ट करें

इसलिए वक्फ अधिनियम की धारा **64 (3)** के अधीन प्रदत्त शक्तियों के कारण एतद् द्वारा नोटिस दिया जाता है कि झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा झारखण्ड राज्य वक्फ नियमावली, **2024** के नियम **46** के उपनियम (**2**) के अधीन जाँच की जाएगी ।

इसलिए इस नोटिस के तामील की तारीख से सात दिनों के अन्दर उक्त आरोपों पर अपना स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, देने के लिए आपको बुलाया जाता है । इसमें असफल होने पर बोर्ड वक्फ अधिनियम की धारा **64** के अधीन जाँच कर निर्णय लेगा ।

झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा नियुक्त जाँच पदाधिकारी के आदेश से

सेवा में,

श्री

सम्बद्ध को प्रतिलिपि

फार्म 51

(नियम 58 (5) देखें,

नोटिस

(वक्फ अधिनियम की धारा **64 (5)** के अधीन ..... (वक्फ संस्था) के मुतवल्ली/प्रबंध समिति के निलंबन के लिए नोटिस) जबकि आप श्री ..... पिता ..... (वक्फ संस्था) के विरूद्ध धारा **64** के अधीन कार्रवाई अनुध्यात है ।

जबकि झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड ने वक्फ अधिनियम की धारा **64 (3)** के अधीन जाँच शुरू कर दी है**,** इसलिए इस कार्यालय में आपका बना रहना जाँच की कार्यवाही को बाधित कर सकेगा । इसलिए अब झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड धारा **64 (4)** के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर आपको ..... (वक्फ संस्था) के प्रबंध समिति मुतवल्ली/सचिव के पद से निलंबित रखने की राय रखता है । इसलिए नोटिस के तामील की तारीख से सात दिनों के अन्दर आपको स्पष्ट करने के लिए बुलाया जाता है कि आपको निलंबित करने का आदेश क्यों नहीं निर्गत किया जाय । यदि आप स्पष्टीकरण देने में असफल रहते हैं तो बोर्ड विधि के अनुसार कार्रवाई करेगा तथा उपर्युक्त संस्था की प्रबंध समिति के मुतवल्ली/सचिव के पद से आपको निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी जब तक कि वक्फ अधिनियम की धारा **64 (3)** के अधीन चल रही जाँच पूरी न हो जाय ।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

सेवा में**,**

श्री मुतवल्ली/सचिव

.....

सम्बद्ध को प्रतिलिपि

फार्म 52

(नियम 60 देखें,

वक्फ अधिनियम की धारा **65** के अधीन बोर्ड के प्रत्यक्ष प्रबंधन के अधीन वक्फ संस्था से संबंधित प्रतिवेदन ।

1. वक्फ संस्था का नाम

2. धारा **37** के अधीन संस्था के रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे

3. प्रत्यक्ष प्रबंधन के अधीन संस्था को लेने का आदेश संख्या एवं तारीख

4. वक्फ संस्था के प्रशासन के रूप में नियुक्त पदाधिकारी/व्यक्ति

5. पूर्ववर्ती वर्ष के लिए वक्फ की आय

6. वक्फ की आय बढ़ाने के लिए प्रशासक द्वारा उठाए गए कदम

7. अवधि जब तक वक्फ प्रत्यक्ष प्रबंधन के अधीन हो तथा वर्ष के दौरान मुतवल्ली प्र्रबंध समिति को वक्फ नहीं सौंपने के कारण

8. अचल संपत्ति और उससे प्राप्त आय के ब्यौरे

क (सभी अचल संपत्तियों की अवस्थिति

ख (वक्फ की अपनी संपत्ति का क्षेत्रफल

ग (प्रत्येक अचल संपत्ति का बाजार मूल्य

घ (सटे हुए परिसर का बाजार मूल्य और किराया

ङ (प्रत्येक परिसर के किराया का वर्तमान संग्रहण और उसकी दर

च (वक्फ की प्रत्येक संपत्ति से कुल मासिक आय

छ (वक्फ संपदा की कुल वार्षिक आय

9. वक्फनामा/चलन के अनुसार वक्फ-संपदा का उद्देश्य

10. नियुक्त प्रशासक द्वारा किए गये धार्मिक कार्य

11. तुलनपत्र संलग्न करें

12. लेखा का बैंक विवरण संलग्न करें

13. प्रत्यक्ष प्रबंधन के अधीन संस्था को लेने के पश्चात् आशयित परियोजना का ब्यौरे

14. प्रत्यक्ष प्रबंधन के अधीन संस्था को लेने के पश्चात्किए गए संकल्पों की संख्या

15. किराया/पट्टा राशि आदि के बकाये के संग्रहण का ब्यौरे

16. संदत्त वक्फ अंशदान का ब्यौरे

17. प्रत्यक्ष प्रबंधन के अधीन बनाये रखने से संबंधित बोर्ड की राज्य सरकार को अनुशंसा

i
ii
iii
iv

18. जिला कल्याण पदाधिकारी-सह-जिला वक्फ नोडल पदाधिकारी/बोर्ड द्वारा सम्यक्रूप से प्राधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा व्यय स्वीकृत होने वाले आदेश की प्रतियाँ संलग्न की जाय ।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

फार्म-53

(नियम 61 (2) देखें,

कारण बताओ नोटिस

(किसी वक्फ समिति को अधिक्रांत करने हेतु वक्फ अधिनियम की धारा **67 (2)** के अधीन कारण बताओ नोटिस)

जबकि वक्फ अधिनियम की धारा **67 (1)** के अधीन ..... (वक्फ संस्थान) के पर्यवेक्षण/प्रबंधन के लिए उक्त वक्फ बोर्ड द्वारा दिनांक-.....को .....की अवधि के लिए एक समिति का गठन किया गया था । अब बोर्ड को सूचित किया गया है कि ऐसी गठित समिति निम्नांकित कारणों से वक्फ के हित में कार्य संपादित/प्रबंधित नहीं कर रही हैः-

i)

ii)

iii)

iv)

v)

इसलिए अब वक्फ अधिनियम की धारा **67** की उपधारा (**2)** के अधीन झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों द्वारा आपको इस नोटिस के जारी होने के एक महीने के भीतर यह स्पष्ट करने के लिए बुलाया जाता है कि क्यों नहीं इस समिति का दमनादेश पारित कर दिया जाए । यदि निर्धारित समय के भीतर आपसे कोई जवाब प्राप्त नहीं होता है तो बोर्ड**,** वक्फ बोर्ड की धारा **67** की उपधारा (**2)** के अधीन आदेश पारित करने की दिशा में बढ़ेगा।

बोर्ड के आदेश से

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

सचिव/अध्यक्ष
प्रबंध समिति
.....
.....

प्रतिलिपिः- अध्यक्ष**,** जिला औकाफ समिति.....जो संबंधित हों।

नोटः- ऊपर दर्शाए गये कारण शिकायतें होंगी और उनके विषय में लिखित आपत्तियाँ**,** अंकेक्षण प्रतिवेदन में कुप्रबंधन तथा निधियों के दुरूपयोग के प्रेक्षण या जाँच आदि के दरम्यान कुप्रबंधन और दुरूपयोग के प्रेक्षण को विनिर्दिष्टतः इंगित किया जाएगा।

फार्म-54

(नियम 61 (3) देखें,

कारण बताओ नोटिस

किसी सदस्य को वक्फ अधिनियम की धारा **67 (6)** के अधीन किसी समिति से हटाने हेतु निर्गत की जाने वाली कारण बताओ नोटिस

जबकि जनाब..... वल्द ..... को दिनांक-..... को वक्फ अधिनियम की धारा **67 (1)** के अधीन बोर्ड द्वारा ..... (वक्फ संस्थान) की प्रबंधन समिति के एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था । चूँकि अब पर्याप्त प्रमाण है कि जनाब ..... उपर्युक्त समिति के सदस्य ने अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया है या निम्नांकित कारणों से जानबूझ कर वक्फ के हितों के प्रतिकूल कार्य किया है :-

i)
ii)
iii)
iv)
v)

इसलिए वक्फ अधिनियम की धारा **67** की उपधारा (**6)** के अधीन झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों द्वारा जनाब ..... को एतद्द्वारा इस नोटिस के तामील होने की तारीख से सात दिनों के भीतर कारण बताने हेतु बुलाया जाता है कि आपको उपर्युक्त समिति की सदस्यता से हटाने हेतु आदेश क्यों न पारित कर दिया जाए । यदि कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो बोर्ड विधि सम्मत कार्रवाई करेगा ।

बोर्ड के आदेश से
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

सेवा में,

जनाब .....
सदस्य, प्रबंध समिति
.....
.....

प्रतिलिपिः- अध्यक्ष, जिला औकाफ समिति.....जो संबंधित हों।

नोटः अन्तर्वस्तु शिकायतों से ली जाएगी, सम्यक्रूप से सत्यापित प्रबंध समिति की बैठकों में सदस्य के अवचार का प्रतिवेदन, समिति के मुतवल्ली/सचिव का प्रतिवेदन विनिर्दिष्टतः इंगित किया जाएगा ।

फार्म-55

(नियम 62 (1) देखें,

नोटिस

(वक्फ के समुचित प्रशासन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रशासन योजना को अंगीकृत करने हेतु**,** वक्फ अधिनियम की धारा **69** के अधीन**,** मुतवल्ली/प्रबंध समिति या आवेदक को नोटिस)

जबकि झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड अपने स्वयं केप्र स्ताव/ .....(वक्फ संस्थान) के हित में पाँच व्यक्तियों से अन्यून द्वारा दिये गये आवेदन से संतुष्ट है कि वक्फ अधिनियम की धारा **69 (1)** के अधीन वक्फ के समुचित प्रशासन के लिए प्रशासन योजना बनाना आवश्यक/वांछनीय है । **(**वक्फ के समुचित प्रशासन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रशासन योजना को अंगीकृत करने हेतु**,** वक्फ अधिनियम की धारा **69** के अधीन**,** मुतवल्ली/प्रबंध समिति या आवेदक को नोटिस)

जबकि ..... (वक्फ संस्थान) के लिए प्रशासन योजना बनायी जानी है और जबकि उपर्युक्त धारा (**1**) की दृष्टि से**, ... (**वक्फ संस्थान) को प्रबंध समिति के मुतवल्ली/सचिव ..... (वक्फ संस्थान) के मन्शा-ए-वाकिफ के संदर्भ में प्रशासन योजना बनाने का प्रस्ताव किया जाना अपेक्षित है ।

एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि मुतवल्ली/आवेदक इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर आदेश/मंशा-ए-वाकिफ के संदर्भ में उक्त योजना तैयार करेगा और जमा करेगा ।

मुतवल्ली को प्रबंध समिति/साधारण निकाय के संकल्प की प्रति निर्गत करने का निदेश दिया जाता है ।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

सेवा में**,**

प्रबंध समिति के

मुतवल्ली/आवेदक

.....

.....

प्रतिलिपिः- अध्यक्ष**,** जिला औकाफ समिति**,**.....जो संबंधित हों ।

फार्म -56

{नियम 63 (3) देखें}

पट्टा (पट्टा) मंजूर करने हेतु आवेदन

(प्रस्ताव/बोली आमंत्रित करने के लिए में)

सेवा में,

मुतवल्ली

.....

.....

1. आवेदक का नाम
(आयु**,** पिता का नाम तथा
वर्तमान व्यवसाय के साथ)
2. यदि आवेदक कोई फर्म है तो
उसका नाम एवं संविधान:
3. आवेदक का पता
(पूरा पता पिनकोड के साथ)
4. परिसर प्राप्त करने का प्रयोजन
5. संपत्ति का ब्यौरे:
कहाँ स्थित है:
(i) गाँव:
(ii) नगर:
(iii) अंचल:
(iv) जिला:
6. संपत्ति का प्रकार: कृषि/गैरकृषि/दुकान/आवासीय/कार्यालय/खुली जगह
7. क्षेत्रफल**,** वर्गफीट में:
8. कितनी अवधि के लिए आवश्यकता है:
9. सब रजिस्ट्रार कार्यालय की अधिकारिता में प्रतिवर्ग फुट बाजार मूल्य
10. प्रस्तावित किराया:
(क) मासिक
(ख) वार्षिक
11. प्रतिभूति जमा: रू**0 ..... (**रूपये:
.....महीने के किराया के समतुल्य

आवेदक का हस्ताक्षर

दिनांक.....-

<u>आवेदक का घोषणा-पत्र</u>

मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषणा करता हूँ कि-:

(क) मैं अपने आवेदन से संबंधित मुतवल्ली/झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के निर्णय को मानूँगा**;**

(ख) यदि मेरे द्वारा दी गयी नोटिस और तथ्य गलत पाये जाते हैं**,** तो मुतवल्ली /झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड मेरे विरूद्ध पट्टा निरस्त करने सहित कोई भी कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगा**;**

(ग) मैं वक्फ सम्पत्ति पट्टा नियमावली**, 2014** में विहित निबंधनों एवं शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ ।

(घ) मैं और आगे घोषणा करता हूँ कि यदि मुझे पट्टा दिया जाता है तो मैं सम्पत्ति को विल्लंगमित नहीं करूँगा और मुझे पट्टा पर दी गयी सम्पत्ति को दूसरे को पट्टा पर देने**,** अंतरित करने**,** दान में देने**,** बंधक रखने या पट्टा की अवधि के बाद भी दखल करने का कोई अधिकार नहीं होगा**;**

(ड.) यह कि यदि पट्टा की अवधि समाप्त होने के बाद भी पट्टाकृत परिसर पर मेरा दखल जारी हता है**,** तो मेरी वैधानिक स्थिति अधिक्रांता की होगी और अधिक्रांता कानून की सभी प्रक्रियाएं लागू होंगी ।

(च) मैं और आगे घोषणा करता हूँ कि मै वक्फ की प्रबंध समिति का सदस्य या प्रबंध समिति के किसी सदस्य का पुत्र या पुत्री**,** भाई**,** बहन या भाई और बहन का पुत्र नहीं हूँ ।

(छ) मैं इस शर्त से भी सहमत हूँ कि पट्टा के पर्यवसान के पश्चात्या चाहे जिसभी कारण से मुतवल्ली/बोर्ड द्वारा पट्टा जब समाप्त कर दिया जाता है और यह भी कि मेरे द्वारा परिवार को खाली कर देने तथा परिसर के खाली दखल को मुतवल्ली को सुपुर्द कर देने के पश्चात्जमा की गयी प्रतिभूति मुझे वापस कर दी जाएगी ।

(ज) मैं मुतवल्ली/झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा दी गयी मंजूरी के **15** दिनों के भीतर कोई भी करार करने और विलेख पर स्टाम्प ड्यूटी चुकाने तथा झारखण्ड रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन उसे रजिस्ट्रीकृत कराने के लिए समहत हूँ ।

आवेदक का हस्ताक्षर

फार्म-57

नियम 63 (4) देखें,

(एक वर्ष से कम के लिए)

पट्टा विलेख

..... (झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड) के साथ रजिस्ट्रीकृत वक्फ जिसका प्रतिनिधित्व इसकी प्रबंध समिति के मुतवल्ली/अध्यक्ष/सचिव द्वारा किया जाता है, जिसका कार्यालय..... में है (इसमें इसके पश्चात "मुतवल्ली" के रूप में निर्दिष्ट होगा तथा जो इसमें इसके पश्चात्पट्टाकर्ता कहा जाएगा । इस अभिव्यक्ति से अभिप्रेत होगा और इसमें शामिल होगा कार्यालय में एक भाग का इसका उत्तराधिकारी, समनुदेश, प्रशासक आदि)

और

जनाब.....वल्द जनाब.....जो ..... में रहते हैं, इसमें इसके पश्चात् अन्य भाग में पट्टेदार कहे जाएँगे (इस अभिव्यक्ति से अभिप्रेत है और जिसमें शामिल है केवल उनके विधि सम्मत वारिस)

वर्ष.....के बीच पट्टा विलेख के दिनांक ..... को पट्टा का विलेख किया जाता है ।

जबकि पट्टाकर्ता .....झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड से उपभोक्ता द्वारा रजिस्ट्रीकृत एक वक्फ (इसमें इसके पश्चात 'बोर्ड ' के रूप में निर्दिष्ट) और अचल संपत्ति है जो एक ऐसी संपत्ति का हिस्सा है, जो वक्फ अधिनियम के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत है जिस संपत्ति पर सर्वे संख्या/निर्धारण संख्या/द्वार संख्या ..... अंकित है जो ..... में स्थित है, जिसका विवरण इसमें नीचे अनुसूची अधिक पूर्णता से दिया गया है, जो हिस्सा इसमें इसके पश्चात 'अनुसूची परिसर ' के रूप में निर्दिष्ट है;

जबकि पट्टाकर्ता बोर्ड द्वारा नियुक्त वक्फ का मुतवल्ली है और जिसके कारण उक्त मुतवल्ली वर्तमान में वक्फ को चला रहा है ;

और जबकि उक्त मुतवल्ली में वक्फ (संशोधन) अधिनियम **2013** द्वारा यथासंशोधित वक्फ अधिनियम और वक्फ संपत्ति पट्टा नियमावली, **2014** या तत्समय प्रवृत्त वक्फ संपत्ति के पट्टा से संबंधित किसी अन्य अधिनियमिति के उपबंधों के अनुसार वक्फ की संपत्ति का पट्टा मंजूर करने, किरायेदारों को खाली करवाने, पट्टा किराये के बकायों को वसूल करने, क्षतिपूर्ति आदि वसूलने की शक्ति निहित है;

और जबकि अधिकारिता सब रजिस्ट्रार द्वारा घोषित मार्गदर्शन मूल्य के अनुसार परिसर का बाजार मूल्य रू**0 ..... (.....** रूपये मात्र) प्रति वर्ग फुट है और इस विलेख के अधीन निर्धारित पट्टा किराया ऐसे मार्गदर्शन मूल्य के **5** प्रतिशत से कम नहीं है;

जबकि पट्टाकर्ता बोर्ड द्वारा नियुक्त वक्फ का मुतवल्ली है और जिसके कारण उक्त मुतवल्ली वर्तमान में वक्फ को चला रहा है ;

और जबकि उक्त मुतवल्ली में वक्फ (संशोधन) अधिनियम **2013** द्वारा यथासंशोधित वक्फ अधिनियम और वक्फ संपत्ति पट्टा नियमावली, **2014** या तत्समय प्रवृत्त वक्फ संपत्ति के पट्टा से संबंधित किसी अन्य अधिनियमिति के उपबंधों के अनुसार वक्फ की संपत्ति का पट्टा मंजूर करने, किरायेदारों को खाली करवाने, पट्टा किराये के बकायों को वसूल करने, क्षतिपूर्ति आदि वसूलने की शक्ति निहित है;

और जबकि अधिकारिता सब रजिस्ट्रार द्वारा घोषित मार्गदर्शन मूल्य के अनुसार परिसर का बाजार मूल्य रू**0 ..... (.....** रूपये मात्र) प्रतिवर्ग फुट है और इस विलेख के अधीन निर्धारित पट्टा किराया ऐसे मार्ग दर्शन मूल्य के **5** प्रतिशत से कम नहीं है;

यह अभिलेखबद्ध करना है कि पट्टेदार ने अनुसूची परिसरों के पट्टा के लिए प्रस्ताव दिया है । यह प्रस्ताव पट्टाकर्ता द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए की गयी माँग के जवाब में और पट्टाकर्ता को आश्वस्त करते हुए दिया गया है कि पट्टेदार प्रबंध समिति के किसी सदस्य का पति या पत्नी, माता या पिता, बच्चे, भाई, बहन, भाइयों एवं बहनों के पति या पत्नी या भाइयों एवं बहनों के बच्चे नहीं हैं और इस प्रस्ताव पर वक्फ संपत्ति पट्टा नियमावली, **2014** में यथा विचारित पट्टाकर्ता की प्रबंध समिति द्वारा विचार किया गया है और अनुमोदित किया गया है और निम्नांकित निबंधनों एवं शर्तों का अनुपालन किया जाएगा:

<u>निबंधन और शर्तें</u>

1. यह कि पट्टा ग्यारह माह की अवधि के लिए होगा जिसकी शुरूआत ..... से होगी;

2. यह कि पट्टा का प्रयोजन ..... में कारबार करना या ..... में अपना व्यवसाय करना मात्र होगा;

3. यह कि पट्टेदार रू**0 ..... (.....** रूपये मात्र) प्रतिमाह पट्टा किराये का भुगतान करेगा ;

4. यह कि पट्टेदार उक्त किराये का भुगतान बिना कटौती या मुजरा और पट्टाकर्ता की ओर से बिना किसी नोटिस या उसकी माँग के जिस माह को किराया बाकी है और भुगतान करना है उसके अगले महीने की **5** तारीख को या उसके पहले भुगतान करेगा और विधिमान्य पावती प्राप्त करेगा ;

5. यह कि पट्टेदार प्रतिभूति जमा के रूप में ..... महीने के पट्टा किराया के बराबर रू**0 ..... (.....** रूपये मात्र) की राशि जमा करेगा ;

6. यह कि पट्टा किसी धारणाधिकार सृजन या किसी विल्लंगम या समनुदेश या उपपट्टा, गिरवी या पट्टा अंतरित करने या इसमें किसी ब्याज सृजन या ब्याज हक अंतरण या पट्टा लिये गए परिसर को पूर्णतः या उसके किसी हिस्से को दूसरों के पास बंधक रखने के लिए नहीं लिया गया है;

7. यह कि पट्टेदार यह शपथ लेता है कि पट्टा की अवधि समाप्त होने के पश्चात, यदि पट्टाकर्ता द्वारा पट्टा का नवीकरण नहीं किया जाता है तो, परिसर खाली कर देगा ;

8. यह कि पट्टेदार यह भी शपथ लेता है कि पट्टा की अवधि/मीयाद से आगे पट्टाकृत परिसर में बने रहना गैर कानूनी होगा और पट्टेदार की स्थिति वक्फ अधिनियम में यथा परिभाषित अतिक्रांता की होगी और अतिक्रांता को निकाल बाहर करने के सभी प्रावधान पट्टेदार/उसके वारिस/समनुदेशिती/शक्तिधारक पर लागू होंगे ;

9. पट्टेदार जो कारबार या व्यवसाय कर रहा है उसके लिए आवश्यक परमिट, व्यापार लाईसेंस और ऐसी अनुमतियों का सारा खर्च संबंधित प्राधिकारियों को चुकाएगा ;

10. पट्टेदार परिसर का उस प्रयोजन जिसके लिए परिसर पट्टा पर लिया गया है से इतर किसी प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं करेगा और आगे इससे सहमत है कि वह शरिया विरूद्ध कार्यों, यथा, जुआ खेलने, लाटरी बेचने या शराब बेचने आदि जैसे कार्य नहीं करेगा ;

11. यह कि पट्टेदार सभी बकायों, यथा, बिजली, पानी आदि का नियमित रूप से तत्परतापूर्वक संबंधित प्राधिकारियों के पास भुगतान करेगा ;

12. यह कि पट्टेदार पट्टाकर्ता को सरकारी/नगरपालिका के/कर प्राधिकारों के समस्त बकायों से सदैव क्षतिपूरित रखेगा और पट्टाकर्ता को ऐसे भुगतानों के परीक्षण का अधिकार होगा ;

13. यह कि पट्टेदार, पट्टाकर्ता के बिना लिखित पूर्वानुमति के वर्तमान संस्थापनों में कोई सत्यापन या मरम्मती नहीं कराएगा और ऐसी अनुमति दी जाने की स्थिति में पट्टेदार यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे संस्थापन और मरम्मती से विद्युत संबंधी या यांत्रिक संस्थापनों में हस्तक्षेप या क्षति नहीं होगी और यह कि वह ऐसी मरम्मती या संस्थापन कार्य अपने खर्चे पर करेगा ;

14. यह कि पट्टेदार, पट्टाकर्ता के लिखित अनुमति के बिना अनुसूची परिसर में संरचनात्मक परिवर्तन या मरम्मती नहीं कराएगा और यदि ऐसी अनुमति दी जाती है तो वह परिसर खाली करते समय इस पर आये खर्चे का दावा नहीं करेगा ;

15. यह कि पट्टेदार अपने व्यवसाय के सामान्य समय के बाहर किसी भी समय पट्टाकर्ता या उसके प्रतिनिधि को परिसर की जाँच हेतु परिसर में प्रवेश करने देगा, और पट्टाकर्ता यह आश्वस्त करता है किऐ सी जाँच पट्टेदार के पट्टाकृत परिसर के उपयोग में हस्तक्षेप नहीं करेगी ;

16. यह कि पट्टेदार इस पर सहमत है कि लगातार तीन महीने तक पट्टा किराये का भुगतान न करना या पट्टा पर विचार करना व्यतिक्रम माना जाएगा, जिसका परिणाम होगा कि पट्टेदार को एक महीने का नोटिस जारी कर पट्टा समाप्त कर दिया जाएगा ;

17. यह कि वर्तमान पट्टा की अवधि समाप्त होने पर या पट्टा समाप्त किये जाने पर पट्टेदार तत्काल पट्टाकृत परिसर का दखल सिवाय सामान्य टूट-फूट के तमाम सुधारों एवं योग सहित उसी अवस्था में प्रत्यर्पित करेगा और प्रत्यर्पण करने पर समस्त अधिकार, हक और ऐसे सुधार या योग के पट्टेदार के हित पट्टाकर्ता में निहित होंगे ;

18. इस पर पारस्परिक सहमति है कि प्राकृतिक आपदा के कारण संरचना या संस्थापन को हुई किसी क्षति का मामला पट्टाकर्ता द्वारा अभियंताओं के पास भे जा जाएगा ;

19. ऐसी दशा में जब निराकरणकर्ता प्रतिवेदित करता है कि परिसर या स्थापन मरम्मत लायक नहीं है या **180** दिनों के भीतर इसका प्रत्यावर्तन संभव नहीं है, तो पट्टा उप शमित होगा, ऐसी दशा में पट्टाकर्ता या पट्टेदार अन्य पक्ष के पंद्रह दिनों की एक नोटिस जारी कर क्षति की तारीख से पट्टा को समाप्त करने का विकल्प चुन सकता है और जहाँ निराकरणकर्ता का प्रतिवेदन यह है कि संरचना की मरम्मति संभव है, तब पट्टाकर्ता द्वारा इसे अपने खर्च पर कराया जाएगा ;

20. यह कि इस विलेख में अन्तर्विष्ट किसी प्रसंविदा का व्यतिक्रम होने पर दोनों में से कोई पक्ष दूसरे पक्ष के पट्टा समाप्त करने हेतु इस आशय का एक महीने का नोटिस जारी करेगा;

21. शर्तो या प्रसंविदा के ऐसे व्यतिक्रम पर पट्टाकर्ता के पास विकल्प होगा कि वह (**i**) भुगतेय पट्टा किराये की पूरी राशि का हकदार होगा; **(ii)** संरचना या संस्थापन को हुई समस्त क्षति का समपहरण या समंजन प्रतिभूति जमा से करेगा; **(iii)** न्यायाधिकरण का आदेश प्राप्त करने के पश्चात परिसर में उपलब्ध उपकरणों, सामानों आदि को जब्त कर सकेगा तथा बेच सकेगा;

22.स्टांप-पत्र पर लिखित पट्टा का मूलविलेख पट्टाकर्ता के पास रहेगा और उसकी एक सच्ची प्रतिलिपि पट्टेदार को सुपुर्द की जाएगी ।

पट्टा **20 .....** के ..... माह की ..... तारीख को समाप्त हो जाएगा ।

अनुसूची

परिसर के समस्त भाग जिस पर दुकान/मकान संख्या ..... अंकित है, जो .....में स्थित है, जिसकी पैमाइश (पू-.प ..... (.फीट) उ-.द.) .....फीट; कुल क्षेत्रफल ..... वर्ग फीट फिक्सचर, फिटिंग्स, विद्युतत था जलापूर्ति व्यवस्था समेत, जिसकी चौहद्दी है;

पूर्व:

पश्चिम:

उत्तर:

दक्षिण:

इसकी गवाही में ऊपर नामोल्लिखित पट्टाकर्ता और पट्टेदार ने ऊपर अंकित दिवस, माह और वर्ष को निम्नांकित गवाहों की उपस्थिति में इस विलेख पर हस्ताक्षर किया है;

पट्टेदार पट्टाकर्ता

गवाह:

1. .....

2. .....

फार्म-58

नियम 63 (4) देखें,

(एक वर्ष से अधिक के लिए)

पट्टा विलेख

..... (झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत वक्फ) जिसका प्रतिनिधित्व इसकी प्रबंध समिति के मुतवल्ली/अध्यक्ष/सचिव द्वारा किया जाता है, जिसका कार्यालय ..... में है (इसमें इसके पश्चात "मुतवल्ली" के रूप में निर्दिष्ट होगा तथा जो इसमें इसके पश्चात् पट्टाकर्ता कहा जाएगा । इस अभिव्यक्ति से अभिप्रेत होगा और इसमें शामिल होगा कार्यालय में एक भाग का इसका उत्तराधिकारी, समनुदेश, प्रशासक आदि)

और

जनाब ..... वल्द जनाब ..... जो ..... में रहते है, इसमें इसके पश्चात अन्य भाग में पट्टेदार कहे जाएँगे (इस अभिव्यक्ति से अभिप्रेत है और जिसमें शामिल है केवल उनके विधि सम्मत वारिस)

जबकि पट्टाकर्ता उपभोक्ता द्वारा वर्ष .....के बीच पट्टा विलेख के दिनांक ..... को पट्टा का विलेख किया जाता है । झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड ...../ वक्फ के साथ रजिस्ट्रीकृत एक वक्फ (इसमें इसके पश्चात "बोर्ड" के रूप में निर्दिष्ट) और अचल संपत्ति है जो एक ऐसी संपत्ति का हिस्सा है जो वक्फ अधिनियम के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत है, जिस संपत्ति पर सर्वे संख्या/निर्धारण **80** संख्या/ द्वारा संख्या ..... अंकित है, जो ..... में स्थित है, जिसका विवरण इसमें नीचे अधिक पूर्णता से दिया गया है, जो हिस्सा इसमें इसके पश्चात' अनुसूची परिसर ' के रूप में निर्दिष्ट है।

जबकि पट्टाकर्ता बोर्ड द्वारा नियुक्त वक्फ का मुतवल्ली है और जिसके कारण उक्त मुतवल्ली वर्तमान में वक्फ को चला रहा है ।

और जबकि उक्त मुतवल्ली में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, **2013** द्वारा यथा संशोधित वक्फ अधिनियम और वक्फ संपत्ति पट्टा नियमावली, **2014** या तत्समय प्रवृत्त वक्फ संपत्ति के पट्टा से संबंधित किसी अन्य अधिनियमिति के उपबंधों के अनुसार वक्फ की संपत्ति का पट्टा मंजूर करने, किरायेदारों को खाली करवाने, पट्टा किराये के वकायों को वसूल करने, क्षतिपूर्ति आदि वसूलने की शक्ति निहित है ।

और जबकि अधिकारिता सब रजिस्ट्रार द्वारा घोषित मार्ग दर्शन मूल्य के अनुसार परिसर का बाजार मूल्य रू**0 ..... (.....** रूपये मात्र) प्रतिवर्ग फुट है और इस विलेख के अधीन निर्धारित पट्टा किराया ऐसे मार्ग दर्शन मूल्य के **5** प्रतिशत से कम नहीं है ।

यह अभिलेख बद्ध करना है कि पट्टेदार ने अनुसूची परिसरों के लिए प्रस्ताव दिया है । यह प्रस्ताव पट्टाकर्ता द्वारा राष्ट्रीय दैनिकों में बोलियाँ आमंत्रित करते हुए की गयी माँग के जवाब में और पट्टाकर्ता को आश्वस्त करते हुए दिया गया है कि पट्टेदार प्रबंध समिति के किसी सदस्य का पति या पत्नी, माता या पिता, बच्चे, भाई, बहन, भाइयों एवं बहनों के पति या पत्नी या भाइयों एवं बहनों के बच्चे नहीं हैं और इस प्रस्ताव पर पट्टाकर्ता की प्रबंध समिति ने विचार किया है तथा अनुमोदित किया है, इसे वक्फ संपत्ति पट्टा नियमावली, **2014** में यथा विचारित बोर्ड के समक्ष रखा गया और बोर्ड ने प्रस्ताव पर निबंधनों एवं शर्तों के साथ विचार कर पत्र संख्या ..... दिनांक ..... में पट्टेदार, जो इसमें नीचे दिये गये निबंधनों एवं शर्तों के साथ उच्चतम बोली लगाने वाला है, के पक्ष में अपनी मंजूरी भेज दी :

निबंधन और शर्तें

1. यह कि पट्टा ..... (.....) वर्षों की अवधि के लिए होगा जिसकी शुरूआत..... से होगी ।

2. यह कि पट्टा का प्रयोजन ..... में कारबार करना या ..... में अपना व्यवसाय करना मात्र होगा ।

3. यह कि पट्टेदार रू**0..... (.....**रूपये मात्र) प्रतिमाह पट्टा किराये का भुगतान करेगा ।

4. यह कि पट्टेदार प्रतिवर्ष वर्तमान किराये में **5%** की बढ़ोतरी करेगा और पट्टेदार**,** जिस महीने का किराया बाकी है और चुकाया जाना है उसके उत्तरवर्ती महीने की पाँचवी तारीख को या उसके पहले पट्टाकर्ता द्वारा बिना किसी नोटिस या माँग के**,** उक्त पट्टा किराया का बिना कटौती या मुजरा के भुगतान करेगा और विधिमान्य पावती प्राप्त करेगा ।

5. यह कि पट्टेदार पट्टा विलेख के रजिस्ट्रीकरण होने के पूर्व प्रतिभूति जमा के रूप में ..... महीने के पट्टा किराया के बराबर रू**0 ..... (.....**रूपये मात्र) की राशि जमा करेगा ।

6. यह कि पट्टा किसी धारणाधिकार सृजन या किसी विल्लंगम या समनुदेशक या उप-पट्टा**,** गिरवी या पट्टा अंतरित करने या इसमें किसी ब्याज सृजन या ब्याज हक अंतरण या पट्टा लिये गये परिसर को पूर्णतः या उसके किसी हिस्से को दूसरों के पास बंधक रखने के लिए नहीं लिया गया है ।

7. पट्टेदार जो करोबार या व्यवसाय कर रहा है उसके लिए आवश्यक परमिट**,** व्यापार लाइसेंस का सारा स्वयं/भार संबंधित प्राधिकारियों को चुकाएगा ।

8. पट्टेदार परिसर का उस प्रयोजन जिसके लिए परिसर पट्टा पर लिया गया है से इतर किसी प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं करेगा और आगे उससे सहमत है कि वह शरिया विरूद्ध **81** कार्यायथा जुआ खेलने**,** लौटरी बेचने या शराब बेचने आदि जैसे कार्य नहीं करेगा ।

9. यह कि पट्टेदार सभी बकायों**,** यथा**,** बिजली**,** पानी आदि का नियमित रूप से तत्परता पूर्वक संबंधित प्राधिकारियों के पास भुगतान करेगा ।

10. यह कि पट्टेदार**,** पट्टाकर्ता को सरकारी/नगरपालिका के/ कर प्राधिकारियों के समस्त बकायों से सदैव क्षतिपूरित रखेगा और पट्टाकर्ता को पट्टेदार के पास स्थित ऐसे सभी भुगतानों के किसी दस्तावेज के परीक्षण का अधिकार होगा ।

11.यह कि पट्टेदार**,** पट्टाकर्ता के बिना लिखित पूर्वानुमति के वर्तमान संस्थानों में कोई संस्थापन या मरम्मती नहीं कराएगा और ऐसी अनुमति दी जाने की स्थिति में पट्टेदार यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे संस्थापन**,** ऐसी मरम्मती से विद्युत संबंधी या यांत्रिक संस्थापनों में हस्तक्षेप या क्षति नहीं होगी और यह कि वह ऐसी मरम्मती या संस्थापन कार्य अपने खर्चे पर करेगा ।

12. यह कि पट्टेदार पट्टाकर्ता के लिखित अनुमति के बिना अनुसूची परिसर में संरचनात्मक परिवर्तन या मरम्मती नहीं कराएगा और यदि ऐसी अनुमति दी जाती है तो वह परिसर खाली करते समय इस पर आये खर्चे का दावा नहीं करेगा ।

13. यह कि पट्टेदार अपने व्यवसाय के सामान्य समय के बाहर किसी भी समय पट्टाकर्ता या उसके प्रतिनिधि को परिसर की जाँच हेतु परिसर में प्रवेश करने देगा; और पट्टाकर्ता यह आश्वस्त करता है कि ऐसी जाँच से पट्टेदार के पट्टाकृत परिसर के उपयोग में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा ।

14. यह कि पट्टेदार इस पर सहमत है कि लगातार तीन महीने तक पट्टा किराये का भुगतान न करना या पट्टा पर विचार करना व्यतिक्रम माना जाएगा, जिसका परिणाम होगा कि पट्टाकर्ता द्वारा पट्टेदार को एक महीने का नोटिस जारी कर पट्टा समाप्त किया जा सकेगा ।

15. यह है कि वर्तमान पट्टा की अवधि समाप्त होने पर या पट्टा समाप्त किये जाने पर पट्टेदार तत्काल पट्टाकृत परिसर का दखल सिवाय सामान्य टूट-फूट के तमाम सुधारों एवं योग सहित उसी अवस्था में प्रत्यर्पित करेगा और प्रत्यर्पण करने पर समस्त अधिकार, हक और ऐसे सुधार या योग में पट्टेदार के हित पट्टाकर्ता में निहित होंगे ।

16. इस पर पारस्परिक सहमति है कि प्राकृतिक आपदा के कारण संरचना या संस्थापन को हुई किसी क्षति का मामला पट्टाकर्ता द्वारा अभियंताओं के पास भेजा जाएगा ।

17. ऐसी दशा में जब निर्धारणकर्ता प्रतिवेदित करता है कि परिसर या स्थापन मरम्मत लायक नहीं है या **180** दिनों के भीतर इसका प्रत्यावर्तन संभव नहीं है, तो पट्टा उप शमित होगा, ऐसी दशा में पट्टाकर्ता या पट्टेदार अन्यपक्ष को पंद्रह दिनों की एक नोटिस जारी कर क्षति की तारीख से पट्टा को समाप्त करने का विकल्प चुन सकता है और जहाँ निर्धारणकर्ता का प्रतिवेदन यह है कि संरचना की मरम्मती संभव है, तब पट्टाकर्ता द्वारा इसे अपने खर्च पर कराया जाएगा ।

18. यह कि इस विलेख में अन्तर्विष्ट किसी प्रसंविदा का व्यतिक्रम होने पर दोनों में से कोई पक्ष दूसरे पक्ष को पट्टा समाप्त करने हेतु इस आशय का एक महीने का नोटिस जारी करेगा ।

19. शर्तों या प्रसंविदा के ऐसे व्यतिक्रम पर पट्टाकर्ता के पास विकल्प होगा कि वह (**i**) भुगतेय पट्टा किराये की पूरी राशि का हकदार होगा; (**ii**) संरचना या संस्थापन को हुई समस्त क्षति का समपहरण या समंजन प्रतिभूति जमा से करेगा; (**iii**) न्यायाधिकरण का आदेश प्राप्त करने के पश्चात परिसर में उपलब्ध उपकरणों, सामानों आदि को जप्त कर सकेगा तथा बेच सकेगा।

20. पट्टा की अवधि समाप्त होने पर पट्टेदार परिसर को खाली करने का भार लेगा ।

21. यह कि पट्टेदार इस बात की भी जिम्मेदारी लेगा कि पट्टा की अवधि/निबंधन समाप्त होने के उपरान्त भी पट्टेदार यदि पट्टाकृत परिसर में बना रहता है, तो यह गैरकानूनी होगा और पट्टेदार की स्थिति वक्फ अधिनियम में यथा परिभाषित एक अधिक्रमणकारी की होगी और पट्टेदार/उस के वारिस/समनुदेशिती/शक्ति धारक पर अधिक्रमणकारी को हटाने के सारे उपबंध लागू होंगे ।

22. इस विलेख पर स्टांप ड्यूटी तथा निबंधन शुल्क का भुगतान पट्टेदार द्वारा किया जाएगा ।

23. स्टांप-पत्र पर लिखित पट्टा का मूल विलेख पट्टाकर्ता के पास रहेगी और उसकी एक सच्ची प्रतिलिपि पट्टेदार को सुपुर्द की जाएगी ।

पट्टा **20 .....** के ..... माह की ..... तारीख को समाप्त हो जाएगा ।

अनुसूची

परिसर के समस्त भाग जिस पर दुकान/मकान संख्या ..... अंकित है, जो .....में स्थित है, जिसकी पैमाइश (पू-.प ..... (.फीट) द-.उ.) .....फीट; कुल क्षेत्रफल ..... वर्ग फीट फिक्सचर, फिटिंग्स, विद्युत तथा जलापूर्ति व्यवस्था समेत जिसकी चौहद्दी हैः:-

पूर्व:

पश्चिम:

उत्तर:

दक्षिण:

गवाही

इसकी गवाही में ऊपर नामोलिखित पट्टाकर्ता और पट्टेदार ने ऊपर अंकित दिवस, माह और वर्ष को निम्नांकित गवाहों की उपस्थिति में इस विलेख पर हस्ताक्षर किया है:

पट्टेदार पट्टाकर्ता

गवाह:

1. .....

2. .....

फार्म-59

नियम 65 (1) देखें,

वक्फ अधिनियम की धारा 52 देखें

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य
वक्फ बोर्ड का कार्यालय
दिनांक:.....

सेवा में,

सब रजिस्ट्रार

.....

.....

विषय: वक्फ अधिनियम, **1995** की धारा **51** के उल्लंघन में अचल वक्फ संपत्ति का स्थानांतरण-अंतरण-रजि. के विलेख के प्रमाणित प्रतियों का प्रेषण ।

महाशय,

यह ज्ञात हुआ है/ नोटिस मिली है कि निम्नांकित अनुसूची में दर्शायी गयी और वक्फ संपत्ति के रूप में अधिसूचित तथा वक्फ अधिनियम की धारा **37** के अधीन औकाफ की पंजी में दर्ज संपत्ति झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के पूर्वानुमोदन से प्राप्त किये बगैर वक्फ अधिनियम की धारा **51** का उल्लंघन कर अंतरित की गयी है ।

अनुसूची

क्र0 **संख्या**	(1) **मौजा/राजस्व थाना/अंचल खाता संख्या/ खेसरा संख्या (पुराना/नया)**	**अंचल/गाँव/नगर**	**रकबा/आकार**	**चैहद्दी**

वक्फ अधिनियम की धारा **52** और उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के अनुसार कार्रवाई आरंभ करने के लिए अंतरण विलेख की प्रमाणित प्रतियों तथा संपत्ति के विल्लंगम की आवश्यक्ता है । आपसे एतद्द्वारा उपर्युक्त दस्तावेज **2** दिनों के भीतर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है ।

आपसे व्यक्तिगत रूप से उपर्युक्त दस्तावेज प्राप्त करने हेतु श्री ..... को प्राधिकृत किया जाता है और उनका हस्ताक्षर नीचे अभिप्रमाणित किया जाता है।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड

द्वारा हस्ताक्षर अभिप्रमाणित

फार्म-60

नियम 65 (3) देखें,

अंतरक को नोटिस

जबकि नीचे अनुसूची में दर्शायी गयी संपत्तियाँ रजिस्ट्रीकृत वक्फ संपत्तियाँ हैं जो वक्फ अधिनियम की धारा **36** एवं **37** के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं और यह कि आपकी नियुक्ति उक्त अचल संपत्तियों का निरीक्षण एवं प्रबंधन करने हेतु प्रबंध समिति के मुतवल्ली/सचिव के रूप में की गयी है ।

जबकि अब ज्ञात हुआ है/नोटिस मिली है कि इन अचल संपत्तियों का आपके द्वारा वक्फ बोर्ड के बिना पूर्वानुमति/मंजूरी के अंतरित कर दिया गया है और इससे वक्फ अधिनियम की धारा **51** का उल्लंघन होता है ।

अनुसूची

क्र0 **संख्या**	**(**1) **मौजा/राजस्व थाना/अंचल खाता संख्या/ खेसरा संख्या (पुराना/नया)**	**अंचल/गाँव/नगर**	**रकबा/आकार**	**चौहद्दी**

इसलिए इस नोटिस की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर आपको यह स्पष्ट करने के लिए/कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाता है कि वक्फ अधिनियम की धारा **51** के उपबंधों का उल्लंघन नहीं किया गया है**,** इसमें विफल होने पर अचल संपत्ति की बरामदगी के लिए वक्फ अधिनियम की धारा **52** एवं **52 (**क) के अधीन बोर्ड कार्रवाई करेगा।

बोर्ड वक्फ अधिनियम की धारा **61 (2) (**ख) के अधीन भी आपके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/प्राधिकृत पदाधिकारी

झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड

सेवा में**,**

.....

.....

.....

फार्म-60 (क)

नियम 65 (3) देखें,

अंतरिती/क्रेता को नोटिस

जबकि नीचे अनुसूची में दर्शायी गयी संपतियाँ वक्फ संपतियाँ है और वक्फ अधिनियम की धारा **36** एवं **37** के अधीन सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत है।

जबकि यह ज्ञात हुआ है/नोटिस मिली है कि सब रजिस्ट्रार ..... के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज संख्या..... दिनांक ..... के अनुसार वक्फ की अनुसूचित संपति अंतरण/दान/विक्रय/बंधक/विनियम के द्वारा आपकी दखल में है।

अनुसूची

क्र0 संख्या	**(1) मौजा/राजस्व थाना/अंचल खाता संख्या/ खेसरा संख्या (पुराना/नया)**	**अंचल/गाँव/नगर**	**रकबा/आकार**	**चौहद्दी**

जबकि समुचित सत्यापन के पश्चात् अब ज्ञात हुआ है कि उक्त अंतरण वक्फ अधिनियम की धारा **51** एवं **56** के विरूद्ध है । इसलिए इस नोटिस की प्रप्ति की तारीख से **7** (सात) दिनों के भीतर आपको यह स्पष्ट करने के लिए बुलाया जाता है कि वक्फ अधिनियम की धारा **52** एवं **52**(क) के अधीन उक्त संपति की बरामदगी की कार्रवाई क्यों नहीं की जाए । इसमें विफल होने पर झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा आगे कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड

सेवा में,

.....
.....
.....

फार्म-61

नियम 65 (4) देखें,

वक्फ अधिनियम की धारा **51** के उल्लंघन में वक्फ संपति के अन्य संक्रामण का प्रतिवेदन

1. वक्फ संस्थान का नाम

2. वक्फ संस्थान का रजिस्ट्रीकरण निबंधन संख्या और तारीख

3. क्या मुजरई वक्फ है

4. नियुक्ति के आदेश एवं कार्यकाल के ब्योरे के साथ प्रबंध समिति के मुतवल्ली/सचिव का नाम

5. प्रशासक का नाम**,** कार्यकाल के साथ नियुक्ति आदि के आदेश के विवरण

6. वक्फ संस्थान की सभी वक्फ संपतियों का विवरण

क्र० संख्या	**(**1) **मौजा/राजस्व थाना/अंचल/खाता संख्या/ खेसरा संख्या (पुराना/नया)**	**कुल रकबा**	**चौहद्दी उ.द.पू.प.**	**वर्तमान उपयोग**	**व्युत्पन्न आय**

7. वक्फ अधिनियम की धारा **51** के उल्लंघन में अंतरित वक्फ संपति का विवरण

8. क्या अंतरणदान/विक्रय/ विनिमय/बंधक द्वारा किया गया है

9. अंतरण दस्तावेज का विवरण

रजिस्ट्रीकरण संख्या	**रजिस्ट्रीकरण की तारीख**	**रजिस्ट्रीकरण कार्यालय का नाम**	**अंतरक का नाम**	**अंतरिति का नाम**

1. नोटिस जारी करने की तारीख

अंतरक ..... अंतिरिती.....

2. आपत्तियों का विवरण यदि दायर की गयी हों**,** तथा अंतरक तथा अंतरिती**,** दोनों द्वारा आपत्तियाँ दायर करने की तारीख

1**0**. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की अनुशंसा

1 . .....

2 . .....

3 . .....

11. वक्फ अधिनियम की धारा 52 (क) के अधीन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की अनुशंसा

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/प्राधिकृत पदाधिकारी

फार्म-62

नियम 65 (5) देखें,

झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के मुख्य
कार्यपालक पदाधिकारी काकार्यालय
दिनांक-.....

वक्फ अधिनियम की धारा **51/56** के उल्लंघन में अंतरित की गयी वक्फ संपत्ति की बरामदगी के लिए वक्फ अधिनियम की धारा **52 (1)** के अधीन ..... जिला के जिला मजिस्ट्रेट/अनुमंडल मजिस्ट्रेट/ से अधियाचना।

जबकि अनुसूची में दर्ज अचल संपत्ति झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड की पंजी में दर्ज की गयी वक्फ संपत्ति है।

जबकि वक्फ अधिनियिम की धारा **52** की उपधारा (**1)** के अधीन यह संपुष्ट हो गया है कि उक्त संपत्ति को वक्फ अधिनियम की धारा **51/56** के उल्लंघन में (अनुसूची में दिये गये ब्योरे के अनुसार) अंतरित किया गया है ।

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
वक्फ का नाम	**रजिस्ट्रीकरण संख्या एवं तिथि/गजट अधिसूचना संख्या एवं तिथि**	**संपत्ति का विवरण**			**वक्फ के अन्य संक्रामण की तिथि**	**सब रजिस्ट्रार की दस्तावेज संख्या**	**अंतरक का नाम एवं पता**	**अंतरिती (यों) क्रेता (ओं) का नाम एवं पता**	**अभ्युक्ति**
		ग्राम/नगर/ बड़े नगर	**मौजा/राजस्व थाना/अंचल/खाता संख्या/खेसरा संख्या (पुराना/नया)**	**रकबा**					

इसलिए अब अधिनियम की धारा **52** की उपधारा (**1)** के अधीन बोर्ड को प्रदान की गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ..... जिले के जिला मजिस्ट्रेट से अनुरोध किया जाता है कि वक्फ अधिनियम तथा किसी अन्य कानून के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेश पारित किया जाए और अनुसूची के स्तंभ (**9)** में दर्शाए गये व्यक्ति/व्यक्तियों को निदेशित भी किया जाए कि वे जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पारित करने की तारीख से **30 (**तीस) दिनों की अवधि के भीतर संपत्ति बोर्ड को सुपुर्द कर दें ।

उक्त आदेश की तामील अधिनियम की धारा **52** की उपधारा (**3)** में निर्धारित रीति से की जाएगी ।

जिला दण्डाधिकारी/अनुमंडल दण्डाधिकारी ..... वक्फ अधिनियम की धारा **55** के अनुसार संपत्ति का दखल प्राप्त और सुपुर्द करेंगे ।

..... जिला के जिला दण्डाधिकारी/अनुमण्डल दण्डाधिकारी द्वारा पारित आदेश की एक प्रति इस कार्यालय को**,** एक प्रति राजस्व अनुमण्डल के अंचलाधिकारी को**, ...** अनुमण्डल/जिले के जिला औकाफ समिति को तथा संबंधित संस्थान को भेजी जा सकेगी ।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड

फार्म- 63

नियम 65 (6) देखें,

झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के मुख्य
कार्यपालक पदाधिकारी काकार्यालय
दिनांक-.....

वक्फ अधिनियम की धारा **51/56** के उल्लंघन में अंतरित की गयी वक्फ संपत्ति की बरामदगी के लिए वक्फ अधिनियम की धारा **52 (1)** के अधीन ..... जिला/अनुमण्डल के जिला दण्डाधिकारी/अनुण्डल दण्डाधिकारी से अधियाचना।

जबकि अनुसूची में दर्ज अचल संपत्ति झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड की पंजी में दर्ज की गयी संपत्ति है।

जबकि वक्फ अधिनियम की धारा **52** की उपधारा (**1**) के अधीन यह संपुष्ट हो गया है कि उक्त संपत्ति को वक्फ अधिनियम की धारा **51/56** के उल्लंघन में (अनुसूची में दिये गये ब्योरे के अनुसार) अंतरित किया गया है ।

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
वक्फ का नाम	**रजिस्ट्रीकरण संख्या एवं तिथि/गजट अधिसूचना संख्या एवं तिथि**	**संपत्ति का विवरण**			**वक्फ के अन्य संक्रामण की तिथि**	**सब रजिस्ट्रार की दस्तावेज संख्या** k	**अंतरक का नाम एवं पता**	**अंतरिती (यों) क्रेता (औं) का नाम एवं पता**	**अभ्युक्ति**
		ग्राम/नगर/बड़े नगर	**मौजा/राजस्व थाना/अंचल/खाता संख्या/खेसरा संख्या (पुराना/नया)**	**रकबा**					

इसलिए अब अधिनियम की धारा **52** की उपधारा (**1**) के अधीन बोर्ड को प्रदान की गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ..... जिला के जिला दण्डाधिकारी/अनुमंडल दण्डाधिकारी धारा **51** एवं **56** के उल्लंघन में ऐसी अंतरित संपत्ति प्राप्त करेगा और संबंधित संस्थान को सुपुर्द करेगा।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड

फार्म-64

(नियम 66 (1) देखें)

(अचल संपत्ति के क्रय हेतु आवेदन)

1. वक्फ संस्थान का नाम

2. रजिस्ट्रीकरण संख्या एवं तिथि/जी एन संख्या एवं तिथि (प्रति संलग्न करें)

3. प्रबंध समिति के मुतवल्ली/अध्यक्ष/सचिव का नाम

4. मुतवल्ली/प्रबंध समिति की नियुक्ति की तिथि एवं कार्यकाल

5. अचल संपत्ति **(1)** का विवरण मौजा/राजस्व थाना/अंचल/खाता संख्या/खेसरा संख्या (पुराना/नया) विस्तार/ग्राम/नगर/बड़ा नगर**,** संस्थान द्वारा पहले से ही स्वाभित्व वाली खाना सुमारी संख्या क्षेत्रफल

6. विगत तीन वर्षोंके अंकेक्षित लेखा के अनुसार वक्फ की वार्षिक आय

7. वक्फ द्वारा अधिगृहीत की जानेवाली प्रस्तावित संपत्ति का विवरण:-

(i) मौजा/राजस्व थाना/अंचल खाता संख्या/खेसरा संख्या (पुराना/नया)

(ii) विस्तार/आकार (लम्बाई-चैड़ाई)

(iii) विक्रेता का नाम

(iv) संपत्ति पर बनी हुई इमारतों/संरचनाओं का विवरण (शहरी संपत्ति के मामले में)

(v) शुष्क/नमी युक्त भूमि (कृषि भूमि के मामले में)

(vi) विगत पाँच वर्षों का सब रजिस्ट्रार की विक्रय सांख्यिकी के अनुसार मूल्य

(vii) क्रय जानेवाली प्रस्तावित संपत्ति का बाजार मूल्य

(viii) बंदोबस्ती के लिए विचारण

(ix) मुकदमा**,** उक्त संपत्ति पर क्रय हेतु यदि कोई हो

(x) उक्त अधिगृहीत अचल संपत्ति के क्रय का प्रयोजन।आवेदन के साथ अनुलग्नक:

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र/वक्फ संस्थान की गजट अधिसूचना

(ख) क्रय की जानेवाली संपत्ति का खाता

(ग) घोषणा-पत्र

(घ) पूर्व विक्रय विलेख

(ङ.) विक्रेता की अनापत्ति

(च) संपत्ति क्रय करने के लिए प्रबंध समिति का संकल्प

(छ) विगत वर्ष का लेखा विवरण

(ज) संपत्ति का विल्लंगम प्रमाण-पत्र

.....प्रबंध समिति के

सचिव/मुतवल्ली का हस्ताक्षर

<u>घोषणा</u>

मैं, **.....** प्रबंध समिति का मुतवल्ली/सचिव एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गयी नोटिस मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य हैं ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि अचल संपत्ति का प्रस्तावित अधिग्रहण का वास्तविक प्रयोजन वक्फ संस्थान की आय क्षमता बढ़ाने हेतु इसका विकास करना है ।

उपर्युक्त में से यदि कोई विवरण गलत पाया जाता है तो मैं वक्फ अधिनियम की धारा **61 (2) (**ख) के अधीन अभियोजित किया जाउँगा ।

..... प्रबंध समिति

के सचिव/ मुतवल्ली का हस्ताक्षर

फार्म- 65

नियम 66 (2) देखें,

वक्फ अधिनियम की धारा **53** के अधीन वक्फ द्वारा अचल संपति के अधिग्रहण के संबंध में अधिसूचना जबकि..... के मुतवल्ली/सचिव ने झारखण्ड वक्फ नियमावली**, 2024** के नियम **56** के उपनियम **(1)** तथा अधिनियम की धारा **53** के अधीन अपनी स्वयं की निधि से निम्नांकित अनुसूची में दर्ज अचल संपति का अधिग्रहण करने हेतु आवेदन जमा किया है ।

अनुसूची

1	2	3	4	5	6
वक्फ का नाम	**क्रय हेतु प्रस्तावित अचल संपत्ति का विवरण**				**क्रय हेतु प्रस्तावित राशि**
	ग्राम/नगर/बड़ेनगर	**(**1) **मौजा/राजस्व थाना/अंचल खाता संख्या/खेसरा संख्या (पुराना/नया)**	**विस्तार आकार**	**चौहद्दी उ०द०पू०प०**	

इसलिए अब धारा **53** के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आम जनता और ऐसे किसी भी व्यक्ति**,** जिसकी अभिरूचि इस वक्फ में हो**,** को सूचित किया जाता है कि यदि उनके पास उक्तलेन-देन से संबंधित कोई आपत्ति/सुझाव है तो उसे वे इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से दस दिनों के भीतर बोर्ड के पास दायर कर सकते हैं।आपत्तियाँ/सुझाव**,** यदि कोई हो**,** मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी**,** झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड को संबोधित होगी ।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

दिनांकः..... झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड/अवकाफ बोर्ड

फार्म **66**

नियम 67 (1) देखें,

नोटिस

.....की वक्फ संपति पर की भूमि/भवन/खाली स्थान/अन्य संपत्तियों के अतिक्रमण के संबंध में वक्फ अधिनियम की धारा **54** के अधीन अतिक्रांताओं को नोटिस जबकि एक शिकायत प्राप्त हुई है/ बोर्ड को सूचित किया गया है । ज्ञात हुआ है कि आपने .....(वक्फ संस्थान) की भूमि/भवन/खाली स्थान/संपत्ति ..... विस्तार/आकार (लंबाई-चैड़ाई)**,** जिसका अधिकतर पूर्ण विवरण निम्नांकित अनुसूची में दिया गया है**,** जो वक्फ की रजिस्ट्रीकृत संपत्ति है**,** का अतिक्रमण किया है ।

इसलिए**,** आपको एतद्द्वारा इस नोटिस के तामील होने के **15** दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने हेतु बुलाया जाता है । इसमें विफल होने पर वक्फ अधिनियम और उसके अधीन निर्मित नियमावली के उपबंधों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी ।

अनुसूची

1. वक्फ संस्थान का नाम
2. अतिक्रमणकारी का नाम
3. संपत्ति संख्या
4. अतिक्रमित संपत्ति का पूरा विस्तार
5. अतिक्रमित संपत्ति की चैहद्दी

उत्तर
दक्षिण
पूरब
पश्चिम

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी /प्राधिकृत पदाधिकारी

सेवा में**,**

.....
.....
(अतिक्रमणकारी का नाम एवं पता)

प्रतिलिपिः-..... (वक्फ संस्थान) के मुतवल्ली/सचिव को नोटिसर्थ।

फार्म 67

[नियम 68 (1) देखें**]**

संख्या..... दिनांकः.....

प्रेषक**,**

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी**,**
झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड**,**
.....

सेवा में**,**

अनुमंडल दण्डाधिकारी/
कार्यपालक दण्डाधिकारी।

विषयः वक्फ संपत्ति का अतिक्रमण निवारण । वक्फ (संशोधन) अधिनियम**, 2013** की धारा **54 (5)** के अधीन पारित आदेशों का प्रवर्तन।

प्रसंगः झारखण्ड राज्य वक्फ न्यायाधिकरण की आदेश संख्या.....दिनांकित.....

महाशय,

जबकि उपर्युक्त प्रासंगिक आदेश नीचे उल्लिखित अतिक्रांता को भेजा गया था कि वह इस के अधीन उल्लिखित अतिक्रांत संपत्ति खाली कर दे।इस कार्यालय द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी ने वक्फ संपत्ति का दखल-कब्जा हासिल करने की कोशिश की । अतिक्रांता ने कब्जा हस्तगत नहीं कराया ।

1	2	3	4	5	6	7
क्र० संख्या	**वक्फ संस्थान का नाम**	**अतिक्रांता का नाम एवं पता**	**जहाँ संपत्तिस्थित है उस नगर/ग्राम का नाम**	**(**1) **मौजा/ राजस्व थाना/अंचल खाता संख्या/ खेसरा संख्या (पुराना/नया)**	**क्षेत्रफल एकड़/वर्गफीट में**	**चोहद्दी**

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, **2013** की धारा **55** के अनुसरण में न्यायाधिकरण के आदेश (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ आपके समक्ष देता हूँ कि पूर्वोक्त संपत्ति की सीमा आपके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अतिक्रमण को हटाने या यथा स्थिति भूमि, भवन, स्थान या अन्य संपत्ति को खाली कराये जाने तथा संबंधित मुतवल्ली को उसका अधिकार दिलाने के आग्रह के साथ है । इस प्रयोजन के लिए आप ऐसे पुलिस की सहायता ले सकते हैं जो आवश्यक हो । की गई कार्रवाई की रिपोर्ट कार्यालय को यथाशीघ्र दी जाय ।

आपका विश्वासभाजन

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड

प्रतिलिपि

1.वक्फ पदाधिकारी, जिला औकाफ समिति,- **.....** जिला को आवश्यक कार्रवाई हेतु

2.कब्जे में लेनेवाले संबंधित वक्फ संस्थान के मुतवल्ली को

फार्म 68

[**नियम 68 (2) देखें**]

कार्यपालक दण्डाधिकारी की कार्यवाही

विषय: .....(वक्फ संस्थान) की अचल संपत्ति को वक्फ अधिनियम की धारा **55** के अधीन अधिक्रमण का हटाया जाना ।

जबकि झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने एक आवेदन इस आदेश की अनुसूची में दिखाए गए ..... वक्फ संस्थान की अचल संपत्ति से अधिक्रमण को हटाने के लिए .....कार्यपालक दण्डाधिकारी को दिया है।

जबकि वक्फ न्यायाधिकरण ने वक्फ अधिनियम की धारा **54** की उपघारा (**4)** के अधीन प्रदत्त शक्ति के आधार पर अतिक्रमणकारी के विरूद्ध कथित अतिक्रमण को हटाने और उस पर ..... संस्थान के मुतवल्ली/प्रबंध समिति का कब्जा दिलाने का आदेश जारी है।

जबकि अतिक्रमणकारी .....कथित आदेश का पालन करने में विफल रहा है और इसलिए मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने वक्फ अधिनियम की धारा **55** के अधीन एक आवेदन दिया है ।

इसलिए अब वक्फ अधिनियम की धारा **55** में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर निम्नलिखित आदेश जारी किया जाता है।

आदेश संख्या दिनांक.....

मैं ..... कार्यपालक दण्डाधिकारी ..... जिला वक्फ अधिनियम की धारा **55** के अधीन झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के आवदेन पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद और अधिनियम की धारा **54 (4)** के अधीन आदेशों का भी अवलोकन करने के बाद एतद्द्वारा अतिक्रमण को हटाने और इस आदेश की अनुसूची में दिखाई गई वक्फ संपत्ति को अतिक्रमणकारी

श्री .....पिता ..... से आदेश प्राप्ति के आठ दिन के अंदर खाली कराने तथा कथित संपत्ति का कब्जा श्री .....मुतवल्ली/सचिव ..... (वक्फ/संस्थान) को दिलाने का आदेश देता हूँ।

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
क्र0 संख्या	**वक्फ का नाम**	**प्रबंध समिति के मुतवल्ली / सचिव का नाम**	**अतिक्रमणकारी का नाम और पता**	**अतिक्रमण का विवरण**							**अभ्युक्ति**
				जिला	**शहर**	**(अंचल)**	**गाँव**	**(1) मौजा/राजस्व थाना/सर्किल खाता संख्या/ खेसरा संख्या (पुराना/नया)**	**अतिक्रमित विस्तार**	**सीमाएँ उदपूप**	

उपरोक्त आदेश के अभाव में इस प्रयोजनार्थ अतिक्रमण को हटाने और अतिक्रमणकारी को बेदखल करने के लिए यथावश्यक पुलिस की सहायता ली जाएगी ।

जारी करने की तिथि.....

न्यायालय मुहर

कार्यपालक दण्डाधिकारी

सेवा में,

श्री .....

.....

(अतिक्रमणकारी)

झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को प्रतिलिपि समर्पित

1. जिला मजिस्ट्रेट

2. अनुमंडल पदाधिकारी

3. **.....**प्रबंध समिति के मुतवल्ली/सचिव

फार्म 69

[**नियम 70 देखें**]

आवेदन

(वक्फ अधिनियम की धारा **70** के अधीन वक्फ प्रशासन से संबंधित जाँच के लिए आवेदन)

1. आवेदक का नाम और पता

2. उम्र

3. वक्फ का नाम जिसके विरूद्ध आरोप है

4. वक्फ में आवेदक की प्रकृति और हित

5. आरोपों के विवरण

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

6. आरोपों के समर्थन में संलग्न दस्तावेजों के विवरण

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

7. प्रबंध समिति के मुतवल्ली/अध्यक्ष/सचिव और सदस्यों के नाम और पते जिनके विरूद्ध आरोप लगाए गए हैं ।

8. यदि आरोप अचल संपत्ति के दुरुपयोग से संबंधित हो**,** तो ऐसी संपत्ति का विवरण निम्नलिखित के अनुरूप प्रस्तुत किया जायः**-**

(i)मौजा/राजस्व थाना/सर्किल/खाता संख्या/खेसरा संख्या(पुराना/नया)

(ii)खाता उद्धरण/अधिकारों का रिकार्ड

(iii)बिक्री करार/रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज**,** यदि कोई हो**,** का विवरण

(iv)संपत्ति के खरीददार/पट्टेदार/बंधक रखने वाले का नाम और पता

(v)लेन-देन के दौरान प्राप्त राशि।

9. भुगतान किए गए शुल्क का विवरण डी**0**डी**0** संख्या के साथ और रसीद संख्या(संलग्न करें)

10. क्या ननज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर दिए गए शपथ पत्र को संलग्न किया गया है**?**

स्थान — आवेदक का हस्ताक्षर

दिनांक — मोबाईल नं०

घोषणा

मैं .....एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि जो नोटिस ऊपर दी गई है वह मेरी पूरी जानकारी और विश्वास में सत्य है और जब भी किसी दस्तावेज/बयान देने के लिए मुझे बुलाया जाएगा मैं ऐसा करने के लिए उपलब्ध रहूँगा।

आवेदक का हस्ताक्षर

शपथ पत्र का प्रारूप

मैं ..... पिता ..... उम्र लगभग ..... वर्ष ..... का निवासी एतद्द्वारा शपथ के अधीन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ:

(क) कि मैंने वक्फ अधिनियम की धारा **70** के अधीन विहित फार्म में .....(वक्फ संस्थान) के संबंध में एक जाँच संस्थित करने के लिए आवेदन दिया है।

(ख) कि मैं भारत का नागरिक हूँ और मुसलमान/क्षेत्र का निवासी/वक्फ का साधारण सदस्य/प्रबंध समिति का पदाधिकारी/सदस्य/उपर्युक्त संस्था का मुतवल्ली होने के आधार पर उक्त वक्फ में मेरा हित है ।

(ग) कि इस आवेदन में जो भी आरोप लगाए गए हैं वे वक्फ संस्थान के सर्वोतम हित में हैं और आवेदन में दिए गए तथ्यों को मैं पूरी तरह से जानता हूँ ।

(घ) कि मैंने वक्फ अधिनियम **1995** के प्रावधानों और ..... (वक्फ संस्थान) के प्रशासन की योजना से पूर्णतया/परिचित हूँ।

(ङ) कि मेरे द्वारा लगाए गए आरोप वक्फ अधिनियम के प्रावधानों के अधीन उल्लंघन से संबंधित हैं।

गवाह अभिसाक्षी

1.

2.

मेरे समक्ष शपथ लिया गया

शपथ प्रथम श्रेणी कार्यपालक मजिस्ट्रेट/नोटरी के समक्ष ननज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर होना चाहिए।

फार्म 70

नियम 71 (1) देखें,

नोटिस

(वक्फ अधिनियम की धारा **70** के अधीन लगाए गए आरोपों के संबंध में वक्फ को नोटिस)

जबकि वक्फ अधिनियम की धारा **70** के अधीन जनाब.....निवास.....द्वारा .....वक्फ के विरूद्ध आरोप लगाने वाला एक आवेदन दिया गया है ।

झारखण्ड वक्फ नियमावली **2024** के नियम **68** के अधीन आवेदन की प्रतिलिपि संलग्न की गई है । एतद्द्वारा आपको यह निदेश दिया जाता है कि इस नोटिस की प्राप्ति के सात दिन के भीतर उक्त आरोपों का जवाब अपेक्षित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करें ।

यदि आप निर्धारित समय के अंदर जवाब देने में विफल रहते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि आपके पास उपरोक्त आरोपों पर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है और आवेदन में लगाए गए आरोप स्वीकृत किए जाएँगे तथा वक्फ अधिनियम की धारा **71** के अधीन बोर्ड जाँच कराने के लिए अग्रसर होगा।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

सेवा में**,**

संबंधित को प्रतिलिपि

फार्म 71

[**नियम 71 (5) देखें**]

उपस्थिति या दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए समन

सेवा में**,**

श्री.....पुत्र.....निवास.....(पता).....

जबकि ..... (जाँच के विषय को विनिर्दिष्ट करें) जाँच के प्रयोजन से आपकी उपस्थिति को साक्ष्य देने हेतु पक्षकार के रूपमें/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु गवाह के रूप में परीक्षा हेतु आवश्यक समझा जाता है । इसलिए आपको व्यक्तिगत रूप से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में ..... को (दिनांक और समय का जिक्र करें) साक्ष्य देने/मार्जिन में वर्णित दस्तावेजों या दोनों को प्रस्तुत करने के प्रयोजन से बुलाया जाता है।

.....तिथि को मेरे हाथ में दिया गया ।

हस्ताक्षर पद

फार्म 72

[**नियम 72 देखें**]

वर्ष ..... के लिए वक्फ का वार्षिक बजट प्राक्कलन

सार

वर्ष..... के लिए वास्तविक	**चालू वर्ष ..... के लिए स्वीकृत प्राक्कलन**	**चालू वर्ष के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन**		**वर्ष.....के लिए कुल बजट प्राक्कलन**
		08 **महीनों के लिए वास्तविक**	4 **महीने के लिए संभावित खर्च**	

प्रारंभिक शेष

कुल .....

प्राप्तियाँ (विवरण **I**)

कुल .....

व्यय (विवरण **II**)

कुल.....

अंतिम शेष

कुल.....

विवरण**i** (प्राप्तियाँ)

क्र०संख्या	**विशिष्टियाँ**	**पूर्व का वास्तविक**	**रिपोर्ट के वर्ष का वास्तविक**	**चालू वर्ष के लिए पुनरीक्षित बजट**	**आगामी वर्ष के लिए बजट प्राकल्लन**	**अभ्युक्ति**

1. प्रारंभिक शेष
2. बैंक मे नगद
3. हाथ में (नगद**,** चेक और डी०डी०)
4. किराए से आय:-
   - (क) आवासीय भवन
   - (ख) कार्यालय परिसर
   - (ग) दुकान
   - (घ) विद्यालय
   - (ङ) शादीमहल
   - (च) अन्य

कुल

5. प्रतिभूति जमा

6. हुंडी से आय

7. कृषि भूमि से आय:

(क) कृषि फसल की बिक्री

(ख) भोगाधिकार वृक्षों की बिक्री (फसल से आय)

(ग) पेड़ों की बिक्री

(घ) वार्षिकी

(ङ) तस्दीक भत्ते

(च) कुल नगद अनुदान

8. (क) विविध प्राप्तियाँ

(क) नजर/उपहार

(ख) चन्दा

(ग) मीलाद/रामानदान

(घ) निकाह शुल्क

(ङ) चमड़ा

(च) गोलक संग्रह

(छ) अन्य

8. (ख) प्राप्तियाँ

(क) सहायता अनुदान

(ख) वसूला गया ऋण

(ग) वसूला गया वेतन और त्योहार अग्रिम

(घ) बैंक से ब्याज

(ङ) केंद्रीय वक्फ परिषद् नई दिल्ली से प्राप्त ऋण

(च) फिक्सड डिपोजिट (नियतजमा) प्राप्तियाँ

(छ) रायल्टी/ई0एम0डी0

(ज) अन्य

कुल

9. कोई अन्यप्राप्तियाँ

कुलयोग

विवरण (**ii**) (व्यय)

क्र0 संख्या	विशिष्टियाँ	पूर्व का वास्तविक	रिपोर्ट के वर्ष का वास्तविक	चालू वर्ष के लिए पुनरीक्षित बजट	आगामी वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन	अभ्युक्ति

1. सामान्य प्रशासन

2. वेतन

3. यात्रा भत्ता

4. कार्यालय खर्च

(**i**) फर्नीचर खरीद

(**ii**) लेखन सामग्री और फार्म की खरीद

(क) रसीद की छपाई

(ख) लेखापुस्तक/बहीकीखरीद/छपाई

(**iii**) डाक शुल्क/कोरियर शुल्क

(**iv**) टेलिफोन प्रभार

(**v**) जल प्रभार

(**vi**) विद्युत प्रभार

(**vii**) इंटरनेट खर्च

(**viii**) उपकरणों की खरीद

(**ix**) मशीनों और विद्युतीय सामानों की खरीद

(**x**) मरम्मती और वार्षिक रख-रखाव पर खर्च

(**xi**) बैठक खर्च

कुल

5. कानूनी खर्चे

6. लेखापरीक्षा खर्च

7. निगम/नगरपालिका/भूमिकर

8. बोर्ड का वक्फ योगदान

9. अन्य

कुल

II पूँजीव्यय

(**i**) विनिर्माण व्यय

(**ii**) मरम्मती**,** नवीकरण**,** रख-रखाव पर खर्च

(**iii**) ऋण का पुनर्भुगतान/अग्रिम

(**iv**) प्रतिभूति जमा

(**v**) भवन लाइसेंस/योजना शुल्क

(**vi**) रायल्टी

(**vii**) ई.एम.डी.

(**viii**) अन्य

कुल

III धर्मार्थ खर्च

(**i**) छात्रवृत्ति/शुल्क माफी

(**ii**) चिकित्सा खर्च

(**iii**) विवाह खर्च

(**iv**) अन्य खर्च

कुल

IV त्योहार खर्च

(**i**) मीलाद

(**ii**) शब-ए-मेराज

(**iii**) शब-ए-क़दर

(**iv**) शब-ए-बरात

(**v**) ईदगाह/मस्जिद/दरगाह खर्च

(**vi**) उर्स

V विविध खर्च

(**i**)

(**ii**)

कुल

कुलयोग

फार्म 73

[**नियम 73 (3) देखें**]

औकाफ की सूची

धारा **45** के अधीन बजट तैयारी के लिए प्र रत्यक्ष प्रबंधन के अधीन .....तक औकाफ की सूची

क्रम संख्या	**वक्फ का नाम**	**प्रशासक का नाम**	**आदेश संख्या, दिनांक, प्रत्यक्ष प्रबंधन की अवधि**

दिनांक.....

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड

फार्म 74

[**नियम 73 (4) देखें**]

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
झाराखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड

सेवा में,

.....
.....

विषय: प्रत्यक्ष प्रबंधन के अधीन वक्फ द्वारा बजट प्रस्ताव की तैयारी

महाशय,

वक्फ, आदेश संख्या-....., दिनांक ..... के अनुसार धारा **65** के अधीन झाराखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के प्रत्यक्ष प्रबंधन के अधीन ..... अवधि के लिए है ।

वक्फ अधिनियम की धारा **45** के अनुसार उपरोक्त संस्था का बजट बोर्ड के समक्ष रखने की आवश्यकता है। इसलिए आप से अनुरोध है कि नियम **72** के तहत फार्म **72** में बजट की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के साथ वक्फ के आय में किसी तरह की वृद्धि का विवरण और नियम **73** के तहत फार्म **75** में इसके बेहतर प्रबंधन के लिए उठाए जाने वाले कदमों को तैयार कर प्रस्तुत करें।

तैयार बजट अधोहस्ताक्षरी को नवम्बर ..... की समाप्ति तक पहुँच जाएगा।

दिनांकः.....

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/
प्राधिकृत पदाधिकारी/झाराखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड

फार्म 75

[नियम 73 (6) देखें]

प्रत्यक्ष प्रबंधन के अंतर्गत वक्फ की आय में वृद्धि ब्यौरे देकर विवरण

वक्फ का नाम : जिला.....

1	2	3	4	5
क्र0 संख्या	**आय का विवरण**	**प्रत्यक्ष प्रबंधन में लिए जाने की आदेश संख्या, तिथि**	**प्रत्यक्ष प्रबंधन में आने के बाद अचल संपत्ति में वृद्धि का विवरण**	**आय में वृद्धि, यदि कोई हो**

1) बजट की प्राप्तियों के विवरण **1** से ब्यौरे प्रस्तुत किया जाय

दिनांक..... प्रशासक का हस्ताक्षर

फार्म 76

नियम 74 (1) (i) देखें,

रोकड़ बही प्राप्तियाँ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
प्राप्ति दिनांक	**प्राप्ति संख्या**	**ऋण**	**गोलक/नज़र/ चादर**	**सरकारीअनुदान**	**किराए**	**विविध**	**हाथ में नगद**	**बैंक में जमा राशि**	
								दिनांक	**राशि**

भुगतान

1	2	3	4	5	6	7	8	9
भुगतान की विशिष्टियाँ								
भुगतान की तिथि	**वाउचर संख्या**	**वक्फ अंशदान**	**वेतन**	**यात्रा भत्ता**	**कार्यालय खर्च**	**विविध**	**भुगतान जिसके माध्यम हुआ**	**बैंक राशि**

							नगद/चेक/ डी0डी0	**चेक संख्या**

दिनांक

मुतवल्ली/प्रबंध

समिति का हस्ताक्षर

फार्म 77

नियम 74 (1) (ii) देखें,

रसीद बही

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्रम संख्या	**दिनांक**	**विशिष्टियाँ/पक्षकार का नाम**	**रसीद संख्या**	**दिनांक**	**प्राप्त राशि**			**उद्देश्य**
					नगद	**चेक**	**डी0डी0**	

दिनांक

मुतवल्ली/प्रबंध
समिति का हस्ताक्षर

फार्म 78

[नियम 74 (1) (iii) देखें]

वक्फ अंशदान की माँग, संग्रह और शेष की पंजी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वक्फ का नाम	**शुद्ध नियत आय**	7 % **वक्फ अंशदान**	**बोर्ड को भुगतेय वक्फ अंशदान का विवरण**			**भुगतान की तिथि**	**भुगतान की गई राशि (नगद, चेक, डी0डी0)**	**रसीद संख्या और दिनांक**	**शेष (**6-8)	**अभ्युक्ति**
			बकाया	**चालू वर्ष कीमाँग**	**कुल बकाया वक्फ अंशदान**					

दिनांक

मुतवल्ली/प्रबंध समिति का हस्ताक्षर

फार्म 79

नियम 74 (1) (iv) देखें,

गोलक संग्रह की पंजी

1	2	3	4	5	6	7
वक्फ का नाम	**गोलक खोलने की तिथि**	**पायी गई राशि**	**नजर (अनुमानित मूल्य)**	**बैंक को प्रेषण**		**अभ्युक्ति**
				दिनांक	**राशि**	

दिनांक

मुतवल्ली/प्रबंध समिति का हस्ताक्षर

फार्म 80

[नियम 74 (1) (v) देखें]

माह ..... के लिए किराया संग्रह की पंजीसंग्रह का विवरण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
क्र0 संख्या	**पट्टेदार का नाम और पता**	**पट्टा (पट्टा) पर गया संपत्ति का विवरण**	**प्रारंभिक शेष**	**मासिक किराया**		**कुल मांग संग्रह** 4+5+6	**संगृहीत राशि**	**शेष**	**रसीद संख्या और दिनांक**	**लेजर लिपिक/सचिव के हस्ताक्षर**	**अभ्युक्ति**
				माह और वर्ष	**राशि**						

दिनांक

मुतवल्ली/प्रबंध समिति का हस्ताक्षर

फार्म 81

[नियम 74 (1) (vi) देखें]

निरीक्षण पुस्तिका की पंजी

क्रम संख्या	**निरीक्षण की तिथि**	**निरीक्षण प्राधिकारी का नाम और पद**	**की गयी टिप्पणी**

दिनांक

मुतवल्ली/प्रबंध समिति का हस्ताक्षर

फार्म संख्या 82

[नियम 74 (1) (अपप) देखें]

बैठकों की पंजी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र0 संख्या	**बैठक का स्थान और तिथि**	**सदस्यों की संख्या**		**कार्यसूची शामिल विषय**	**चर्चा किए गए विषयों की संख्या**	**अनुमोदित विषयों की संख्या**	**आस्थगित विषयों की संख्या**	**अभ्युक्ति**
		उपस्थिति	**अनुपस्थित**					

दिनांक

मुतवल्ली/प्रबंध समिति का हस्ताक्षर

फार्म 83

नियम 74 (1) (viii) देखें,

कार्यवृत पंजी

क्रम संख्या	**बैठक की तिथि**	**विषय**	**पारित संकल्प**

दिनांक

मुतवल्ली/प्रबंध समिति का हस्ताक्षर

फार्म 84

[नियम 74 (1) (ix) देखें]

ऋणपंजी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क्र0 संख्या	**ऋण का उद्देश्य**	**मंजूरी प्राधिकारी/संख्या और आदेश की तिथि**	**ऋण प्राप्ति की तिथि**	**ऋण की राशि**	**ब्याज दर**	**ऋण को चुकाने के लिए किश्तों की संख्या**	**प्रत्येक किश्त की राशि**	**भुगतान का विवरण**		**अभ्युक्ति**
								किश्त संख्या	**राशि**	

दिनांक

मुतवल्ली/प्रबंध समिति का हस्ताक्षर

फार्म 85

[नियम 74 (1) (ग) देखें]

अनुदान पंजी

1	2	3	4	5	6	7
क्र0 संख्या	**अनुदान का उद्देश्य**	**मंजूरी प्राधिकारी/संख्या और आदेश की तिथि**	**अनुदान प्राप्ति की तिथि**	**अनुदान की राशि**	**उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि**	**अभ्युक्ति**

दिनांक

मुतवल्ली/प्रबंध समिति का हस्ताक्षर

फार्म 86

[नियम 74 (1) (xi) देखें]

प्रतिभूति जमा पंजी: जमा ब्यौरे

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	**प्रतिभूति जमा प्राप्ति स्थान**	**प्रतिभूति जमा का उद्देश्य**	**प्रतिभूति जमा की राशि**	**प्राप्ति तिथि**	**वापसी तिथि**	**जमा हेतु खाता संख्या**

दिनांक

मुतवल्ली/प्रबंध समिति का हस्ताक्षर

फार्म 86 (क)

[नियम 74 (1) (गप) देखें]

..... **वक्फ के बैंक खातों में आवधिक जमाओं पर प्रोद्भूत ब्याज पंजी**

क्र0 संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	टी डी आर संख्या	प्रोद्भूत ब्याज	निराश्रित के लिए उपयोग की हुई राशि	शेष

दिनांकः वक्फ संस्था के मुतवल्ली/अध्यक्ष/सचिव का हस्ताक्षर

फार्म 87

नियम 74 (1) (गपप) देखें,

निवेश/आवधिक जमा पंजी निवेश/आवधिक जमा ब्यौरे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र0 संख्या	संगठन जिसमें निवेश किया गया	निवेश की प्रकृति	निवेशित राशि	निवेश की तिथि	निवेश की अवधि	परिपक्वता की नियत तिथि	परिपक्वता पर मिलने वाली राशि	अभ्युक्ति

दिनांक: मुतवल्ली/प्रबंध समिति का हस्ताक्षर

फार्म 88

[नियम 74 (1) (xiii) देखें]

मुकदमा पंजी (मामलों का विवरण)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्रम संख्या	न्यायालय का नाम	मामला दायर होने की तिथि	मामला संख्या	वादी/प्रतिवादी का नाम	प्रावधान जिसके अंतर्गत दायर किया गया	वकील का नाम	भुगतान किया गया विधिक शुल्क	मुकदमे की स्थिति

दिनांक

मुतवल्ली/प्रबंध समिति का हस्ताक्षर

फार्म 89

[नियम 74 (1) (xiv) देखें]

स्टाक पंजी और उपयोगिता

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र0 संख्या	**बीजक/बिल संख्या दिनांक**	**फर्म का नाम**	**क्रय किए गए सामानों का ब्यौरे**	**मात्रा**	**लागत**	**उपयोग किए गए गुण**	**शेष**	**अभ्युक्ति**

दिनांक

मुतवल्ली/प्रबंध समिति का हस्ताक्षर

फार्म 90

[नियम 74 (2) देखें]

वर्ष 20..... के खातों का विवरण

क्रम संख्या	**विशिष्टियाँ**	**रूपये**

1) प्रारंभिक शेष

(क) बैंक में राशि

(ख) हाथ नगदी

2) किराए से आय

1.क) भवन

ख) दुकान

ग) विद्यालय

घ) शादी महल

ङ) अन्य

2.क) प्रतिभूति जमा

3) कृषि से आय

क) कृषि उत्पाद की बिक्री

ख) पेड़ों के भोगाधिकार की बिक्री

ग) पेड़ों की बिक्री

घ) वार्षिकी

ङ) तस्दिक भत्ता

च) नगद अनुदान

छ) अन्य

4) किसी अन्य श्रोतों से आय

क) चंदा शुल्क

ख) दान

ग) निकाह शुल्क

घ) गोलक संग्रह

ङ) नज़र/भेंट

च) चमड़ा

छ) अन्य

5) विविध प्राप्तियाँ

क) सहायता अनुदान

ख) ऋण की वसूली

ग) त्योहार अग्रिम की वसूली

घ) बैंक से ब्याज

ङ) सी. डब्यु. सी./एस. डब्लयु. सी./ एन. ए. डब्ल्यु. ए. डी. सी. ओ. सेऋण

च) सावधि जमा

छ) अन्य प्राप्तियाँ

व्यय

क्रम संख्या	**विशिष्टियाँ**	**रुपये**

Iसामान्य प्रशासन

1) वेतन

2) यात्रा भत्ता

3) कार्यालय खर्चे

i) फर्नीचर की खरीद

ii) लेखन सामग्री/फार्म की खरीद आदि

4) मुद्रण प्रभार

5) डाक प्रभार

6) दूरभाष प्रभार

7) जल प्रभार

8) विद्युत प्रभार

9) बैठकों प रखर्च

10) कानूनी खर्चे

11) लेखा परीक्षा खर्चे

12) निगम/नगरपालिका/भूमिकर

13) बोर्ड को वक्फ का अंशदान

14) अन्य व्यय

IIपूँजीगत व्यय

1) विनिर्माण खर्च

2) ऋण/अग्रिम का पुनर्भुगतान

3) प्रतिभूति जमा का पुनर्भुगतान

4) भवन लाइसेंस/योजना शुल्क

5) स्वामिस्व (राॅयल्टी)

6) ई**0**एम**0**डी**0** की वापसी

III धर्मार्थ व्यय

1) छात्रवृति

2) चिकित्सा खर्च

3) विवाह खर्च

iv) त्योहार अग्रिम

1) मिलाद

2) शब-ए-मैराज

3) शब-ए-बारात

4) शब-ए-कदर

5) मस्जिद/ईदगाह/दरगाह खर्च

6) उर्स **105**

v.विविध व्यय

1.

2.

3.

4.

VI.अंतशेष

कुल .....

.....

मुतवल्ली/अध्यक्ष/सचिव का नाम और हस्ताक्षर

फार्म 91

[**नियम 74(3) देखें**]

नोटिस

वक्फ के प्रबंध समिति/मुतवल्ली को वर्ष ..... के लिए लेखा का विवरण नहीं जमा करने हेतु धारा **46** और नियम **51(3)** के अधीन नोटिस-

वक्फ अधिनियम की धारा **46(2)** के अधीन एक वक्फ के वर्ष ..... के लिए वक्फ के लेखा का विवरण **1** मई से पूर्व झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत कर देना चाहिए । ऐसा देखा गया है कि .....वक्फ के मुतवल्ली/अध्यक्ष/सचिव जनाब..... ने वर्ष ..... के लिए अपने लेखा का विवरण **1** मई..... से पूर्व प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं ।

इसलिए एतद्द्वारा आपको नोटिस प्राप्ति के सात दिन के अंदर इसे प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया जाता है कि क्यों नहीं वक्फ अधिनियम की धारा **61** के अधीन आपके विरूद्ध कार्रवाई की जाय और शास्ति अधिरोपित की जाय । यदि आप उक्त लेखा विवरण के साथ अपना स्पष्टीकरण देने में विफल रहते है तो बोर्ड विधि के अनुसार कार्रवाई करेगा ।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/प्राधिकृत पदाधिकारी

सेवा में,

जनाब.....

मुतवल्ली/अध्यक्ष/सचिव

.....

वक्फ संस्थान का नाम

फार्म-92

नियम 75(3) (ग) देखें,

वक्फ के आंतरिक लेखा/परीक्षा का प्रतिवेदन

1. वक्फ का नाम:

2. प्रबंध समिति के मुतवल्ली/अध्यक्ष/सचिव का नाम

3. यदि वक्फ प्रत्यक्ष प्रबंधन के अधीन है तो

आदेश संख्या, तिथि तथ प्रशासक का नाम

(नियम **52** के उपनियम (**1**) के अधीन श्रेणी

4. पिछली लेखा परीक्षा की तिथि:

5. वर्त्तमान लेखा परीक्षा की तिथि:

6. लेखा परीक्षा पदाधिकारी

7. पिछली लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई

क) देखे गए कुल पैरा की संख्या

ख) अनुपालन किए गए पैरा की संख्या

ग) छूटे हुए पैरा की संख्या

घ) बाकी अनुपालन किए जानेवाले पैरा की संख्या

ङ) लेखा परीक्षा में वसूली के लिए आदेशित कुल राशि

च) वसूली की गई राशि, शेष एवं शेष की वापसी नहीं होने के कारण

8. क्या

नियम **51** के उपनियम **2** के अधीन लेखा विवरण

प्रस्तुत किया जाता है यदि हाँ तो कब (प्रस्तुत करने की तिथि)

9. क्या बजट बोर्ड द्वारा प्रस्तुत और अनुमोदित है

10. क्या पंजी नियम **51** के उपनियम **1** के अधीन संधारित की जाती है (सत्यापन और प्रेक्षण से संबंधित अलग पैरा दर्ज किया जाय।)

11. क्या नियमों के अनुसार वक्फ के **7%** योगदान निर्धारित और संदत्त किया जाता है

12. यदि ऋण का लाभ उठाया जाता हो तो क्या ऐसे ऋण का पुनर्भुगतान हुआ है

13. (क) क्या वक्फ की देय राशि की वसूली समय पर की जाती है

(ख) संग्रह किया जानेवाला शेष

(ग) शेष देय और ऐसे देय की अवधि

(प्रत्येक मामले में संलग्न किया जाय)

14. धारा **51, 52, 53, 54, 56** आदि के अधीन उल्लंघन और प्रारंभ की गई कार्रवाई का विवरण।

15. क्या कोई अनुदान जारी किया गया है

यदि हाँ तो विवरण

16. क्या इन अनुदानों का उचित तौर पर उपयोग किया जाता है

17. क्या कोई संपत्ति है जिसे व्यावसायिक रूप से विकसित किया जा सकता है

(विकास के प्रस्ताव हेतु एक संक्षिप्त नोट)

18. कोई अन्य प्रेक्षण

दिनांक:

लेखापरीक्षक का नाम और हस्ताक्षर

फार्म-93

[**नियम 75(4) देखें**]

.....जिला के वर्ष..... के लिए वक्फ संस्थानों की लेखापरीक्षा का वार्षिक कार्यक्रम

(क) 'औकाफ **'** की सूची जिसकी शुद्ध वार्षिक आय एक लाख से अधिक है (प्रतिवर्ष लेखा परीक्षा की जाएगी)

क्रम. सं.	**वक्फ का नाम**	**वक्फ के मुतवल्ली/ सचिव का नाम**	**अनुमानित वार्षिक आय**	**अंतिम लेखापरीक्षा का वर्ष**	**वर्तमान लेखापरीक्षा की तिथि**	**लेखापरीक्षक कानाम**

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

(ख) 'औकाफ **'** की सूची जिसकी शुद्ध वार्षिक आय **50000/** से अधिक और एक लाख से कम है (तीन वर्षों में एक बार लेखापरीक्षा की जाएगी)

क्रम.सं.	**वक्फ का नाम**	**वक्फ के मुतवल्ली/ सचिव का नाम**	**अनुमानित वार्षिकआय**	**अंतिम लेखापरीक्षा का वर्ष**	**वर्तमान लेखापरीक्षा की तिथि**	**लेखापरीक्षक का नाम**
1						
2						
3						

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

फार्म-94

नियम 75(6) देखें,

नोटिस

वक्फ संस्था के मुतवल्ली/सचिव को वक्फ के वर्ष ..... की लेखापरीक्षा के कार्यक्रम की अग्रिम जानकारी हेतु नोटिस।

प्रयेक वक्फ की लेखापरीक्षा झारखण्ड वक्फ नियमावली**,** 2024 के नियम 52 और वक्फ अधिनियम की धारा 47 के अधीन की जानी है ।

झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा नियम 52 के अधीन वर्ष ..... की लेखापरीक्षा के वार्षिक कार्यक्रम को अंतिम रूप से प्रकाशित कर दिया गया है । इस वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार ..... वक्फ की लेखापरीक्षा दि0..... को ..... द्वारा की जाएगी।

इसलिए एतद्द्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि लेखापरीक्षा के सुचारू संचालन के लिए सभी प्रासंगिक अभिलेख (रिकार्ड) प्रस्तुत करें।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/प्राधिकृत पदाधिकारी

सेवा में**,**

जनाब.....

मुतवल्ली/सचिव

..... (वक्फ का नाम)

नोट: यदि आप उपरोक्त अनुदेशों के अनुपालन में विफल होते हैं तो आपके विरुद्ध धारा **61** के अधीन कार्रवाई शुरू की जाएगी**,** और आप **6** महीनों तक की अवधि के कारावास और **15,000/-** जुर्माना से भी दंडित किए जा सकेंगे।

(लेखापरीक्षा की तिथि से **15** दिन पहले जारी किया जाएगा)

फार्म 95

[**नियम 76 देखें**]

नोटिस

धारा **48** की उप धारा (**1**) के अधीन कार्रवाई करने के लिए ..... वक्फ के मुतवल्ली/प्रबंध समिति को नोटिस जब कि झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड ने नियम **52** के अधीन लेखापरीक्षा के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार ..... वक्फ की लेखापरीक्षा दिनांक ..... को करा लिया था । लेखापरीक्षक ने वक्फ अधिनियम की धारा **47(2)** के अधीन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसमें पता चलता है कि वक्फ संपत्ति/वक्फनिधि के कार्य/लोप/दुरूपयोग/अभिलेखों के मिथ्याकरण के निम्नलिखित संगीन कार्य हुए हैं-

1.

2.

3.

इसलिए अब झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड को वक्फ अधिनियम की धारा **48(1)** के अधीन लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर धारा **47(2)** के अधीन लेखापरीक्षक द्वारा सत्यापित राशि की वसूली के लिए आदेश जारी करना है । इसलिए आपको स्पष्टीकरण हेतु बुलाया जाता है कि .....राशि (शब्द और अंक में) की वापसी के लिए आपके विरुद्ध क्यों नहीं एक आदेश इस नोटिस की तामील के सात दिन के अंदर पारित किया जाय । यदि निर्धारित समय के अंदर कोई भी स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो बोर्ड धारा **48(1)** के अधीन आदेश पारित करने के अतिरिक्त वक्फ अधिनियम **1995** की धारा **61** के अन्तर्गत जुर्माना लगाने के लिए भी आगे की कार्यवाही करेगा ।

बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के आदेश से

नोट: यदि आप उपरोक्त अनुदेशों के अनुपालन में विफल होते हैं तो आपके विरुद्ध धारा **61** के अधीन कार्रवाई की जाएगी और आपको **6** महीनों तक की अवधि के कारावास तथा **15,000/-**तक जुर्माना से भी दंडित किया जा सकेगा।

फार्म 96

नियम 77(1) देखें,

वक्फ अधिनियम **1995** की धारा **49** के अधीन माँग की नोटिस

आपको यहाँ नोटिस लेना आवश्यक है कि वक्फ अधिनियम की धारा **47** के अधीन लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (प्रतिवेदन) के अनुसार आप पर..... (रुपये शब्दों में) का बकाया है / जो कि वक्फ अधिनियम की धारा **48** के अधीन बोर्ड या न्यायाधिकरण के आदेश से यथा परिवर्तित है/जो ..... से ..... तक के वक्फ के **109** अंशदान के भुगतान के लिए है और यह कि इस नोटिस के तामील की तिथि से **60** दिन के अंदर इस नोटिस के लिए शुल्क प्रभार्य की राशि..... (रुपये .....) के साथ जब तक इसे बोर्ड के खाता में जमा नहीं किया जाता में लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार आपके सभी बकाये की राशि की वसूली के लिए कानून के अनुसार अनिवार्य कार्रवाही की जाएगी ।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

सेवा में,

मुतवल्ली/प्रबंधक समिति के सचिव,

.....

प्रतिलिपि अध्यक्ष/प्रशासक, **.....** संबंधित

फार्म 97

[**नियम 77(2) देखें**]

वक्फ अधिनियम, **1995 की धारा 49 के अधीन बकायेदार की नोटिस**

नोटिस

जब कि वक्फ अधिनियम की धारा 49 के अधीन बकाये के भुगतान के संबंध में आपको एक माँग नोटिस जारी की गयी थी और 60 दिन की समय सीमा की समाप्ति के बाबजूद आपके माँग के अनुसार..... (रुपये .....) जमा करने में विफल रहे हैं ।

इसलिए एतद्द्वारा आपको सात दिन के अंदर स्पष्टीकरण हेतु बुलाया जाता है कि क्यों नहीं वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 49 (2) के अधीन भू-राजस्व के बकाये के रूप में उक्त राशि का वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया जाए।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के आदेश से

सेवा में,

मुतवल्ली/ प्रबंध समिति के सचिव

प्रतिलिपि:अध्यक्ष/प्रशासक, जिला औकाफ समिति, **.....** संबंधित

फार्म 98

[नियम 77(3) देखें]

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि वक्फ अधिनियम की धारा**34/**धारा**49/**धारा**72** के अधीन अनुसूची में वर्णित व्यक्ति (व्यक्तियों)/वक्फ संस्थान को ..... (रुपये .....) देने का दायी है।

उक्त राशि**,** माँग नोटिस संख्या ..... दिनांक ..... और बकाया नोटिस संख्या ..... दिनांक ..... के माध्यम से दिनांक-..... को अनुसूची के स्तंभ **3** में दर्शित वक्फ के व्यक्ति (व्यक्तियों)/मुतवल्ली को तामील करा कर समुचित अवसर देने के बाबजूद संदत्त नहीं किया गया है ।

अनुसूची

1	2	3	4	5
क्रम सं.	**वक्फ की देय राशि का विवरण**	**वक्फ के व्यक्ति (व्यक्तियों)/ मुतवल्ली का नाम**	**व्यक्ति/ मुतवल्ली का पता**	**देय राशि(रूपये में)**

इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि वक्फ अधिनियम की धारा**34/**धारा**49/**धारा**72** के अधीन देय राशि ..... (रुपये) की वसूली भू-राजस्व के बकाये के रूप में करते हुए डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को जमा करें।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के आदेश से

सेवा में**,**

जिला दण्डाधिकारी**,**

..... जिला

फार्म 99

[नियम 78 (1) देखें]

वक्फ की शुद्ध वार्षिक आय और देय अंशदान को दर्शाते हुए विवरण (प्रतिवर्ष **1** जुलाई तक प्रस्तुत किया जाएगा)

1. वक्फ का नाम

2. फार्म **90** में नियम **74** केउप-नियम (**2)** के अधीन लेखा विवरण के अनुसार आय का निर्धारण।

3. धारा **75** की उपधारा (**1)** के अनुसार आय से की गई कटौती ।

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

4. वक्फ के प्राप्त शुद्ध आय

5. बोर्ड को देय **7** वक्फ अंशदान

मुतवल्ली/प्रबंध समिति के सचिव का हस्ताक्षर

सेवामें,

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड

या,

प्राधिकृत पदाधिकारी

प्रतिलिपिः जिला औकाफ समिति ..... के अध्यक्ष

फार्म 100

नियम 78 (2) देखें,

माँग, संग्रह एवं वक्फ अंशदान के शेष पंजी

जिला का नाम .....

अंचल (सर्किल) कानाम	**वक्फ का नाम**	**शुद्ध नियत आय**	7% **वक्फ अंशदान**	**बोर्ड को देय वक्फ अंशदान का विवरण**			**भुगतान की तिथि**	**भुगतान की गयी राशि (नकद, चेक या डि०ड्राफ्ट)**	**रसीद संख्या और दिनांक**	**शेष** (6-8)	**अभ्युक्ति**
				बकाया	**वर्त्तमान वर्ष की माँग**	**वक्फ का कुल अंशदान देय**					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

दिनांक.....

वक्फ पदाधिकारी के हस्ताक्षर

फार्म 101

नियम 78 (3) देखें,

जिलानुसार माँग**,** संग्रह और राज्य में वक्फ योगदान के शेष

अंचल (सर्किल) कानाम	**वक्फ का नाम**	**शुद्धनियत आय**	7% **वक्फ अंशदान**	**बोर्ड को देय वक्फ अंशदान का विवरण**			**भुगतान की तिथि**	**भुगतान की गयी राशि (नकद, चेक या डि०ड्राफ्ट)**	**रसीद संख्या और दिनांक**	**शेष** (6-8)	**अभ्युक्ति**
				बकाया	**वर्तमान वर्ष की माँग**	**वक्फ का कुल अंशदान देय**					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2

दिनांक .....

लेखा अधीक्षक का हस्ताक्षर

झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड

फार्म 102

नियम 78 (4) देखें,

वक्फ अंशदान के माँग की पंजी

जिला का नाम.....

सर्किल कानाम	**वक्फ का नाम**	**शुद्ध नियत आय**	7% **वक्फ अंशदान**	**बोर्ड को देय वक्फ अश्ंदान का विवरण**			**अभ्युक्ति**
				बकाया	**वर्तमान वर्ष की माँग**	**वक्फ का कुलदेय अंशदान**	
1	2	3	4	5	6	7	8

दिनांक-.....

वक्फ पदाधिकारी का हस्ताक्षर

फार्म 103

नियम 78 (5) देखें

बकायेदार को नोटिस

सेवा में,

.....

.....

.....

आपको एतदद्वारा नोटिस दी जाती है कि झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड को आपके द्वारा वक्फ अंशदान की बकाया देय राशि ..... (शब्दों में) का भुगतान नहीं किया गया है ।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि नोटिस तामील की तिथि से दस दिनों के अंदर उपर्युक्त राशि के साथ प्रभार्य शुल्क कुल राशि..... का भुगतान कर दें । इसमें विफल होने की स्थिति में संपूर्ण राशि की वसूली कानून के अनुसार की जाएगी ।

दिनांक .....

वक्फ पदाधिकारी/वक्फ निरीक्षक

फार्म 104

नियम 78(8) देखें

नोटिस

(धारा **76** सहपठित नियम **78** के अधीन जारी किया जाएगा**,** यदि यह पाया जाता है कि शुद्ध वार्षिक आय के पुनरीक्षण की जरूरत है)

जबकि आप श्री ..... वक्फ के मुतवल्ली/प्रबंध समिति के सचिव ने नियम **70** के अधीन शुद्ध वार्षिक आय के रिटर्न को प्रस्तुत कर दिया है**,** सत्यापन के बाद ऐसा पाया जाता है कि इन कारणों से आपने निम्नलिखित मदों में आय का मूल्यांकन सही ढंग से नहीं किया है इसलिए आपके वार्षिक आय को ..... (शब्दों में) से ..... शब्दों में) में पुनरीक्षित करने की आवश्यकता हैः-

i)

ii)

iii)

iv)

(v)

(vi)

इसलिए इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से **7** दिनों के अंदर आपको स्पष्टीकरण के लिए बुलाया जाता है कि क्यों नहीं उपरोक्त संस्था की वार्षिक आय को जिला औकाफ समिति ..... के वक्फ पदाधिकारी/निरीक्षक-सह-लेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित राशि तक पुनरीक्षित कर दिया जाना चाहिए । यदि आप उत्तर देने में विफल रहते हैं तो पुनरीक्षित निर्धारित राशि को स्वीकार कर माँग में ले लिया जाएगा।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/प्राधिकृत पदाधिकारी

सेवा में,

मुतवल्ली/प्रबंध समिति का सचिव .....

प्रतिलिपि: अध्यक्ष/प्रशासक

..... जिला

फार्म 105
नियम 78(9) देखें
नोटिस

(अधिनियम **1995** की धारा **72** के अधीन उदगृहीत बची राशि के संबंध में नोटिस)

जबकि वक्फ अधिनियम की धारा **72** सहपठित नियम **78** के उपनियम (**1)** के अधीन शुद्ध वार्षिक आय से संबंधित आपके द्वारा प्रस्तुत निर्धारण से ज्ञात होता है कि इसके अधीन सूचित राशि का निर्धारण नहीं हुआ है । इसलिए आपके द्वारा संदत्त/संदेय अंशदान को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता है । योगदान का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है ।

1. वक्फ संस्था का नाम
2. निर्धारण वर्ष
3. निर्धारित वास्तविक राशि
4. प्रस्तावित निर्धारित राशि
5. क्र. सं. **3** के अधीन निर्धारण के अनुसार उद्गृहीत अंशदान
6. निर्धारित राशि का अंतर
7. पुनरीक्षित अंशदान
8. अभ्युक्ति

इसलिए आपको इस नोटिस की प्राप्ति के **30** दिनों के अंदर इस स्पष्टीकरण के लिए बुलाया जाता है कि स्तंभ **7** में दर्शित माँग का पुनरीक्षण क्यों नहीं होना चाहिए । इसमें विफल रहने पर माँगों को बकाया के रूप में लिया जाएगा और आपसे संगृहीत किया जाएगा ।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

सेवा में,

मुतवल्ली/प्रबंधन समिति का सचिव

प्रतिलिपि: अध्यक्ष/प्रशासक, **.....** जिला

फार्म संख्या 106
नियम 80(क) देखें
दानपंजी

क्रम संख्या	दानकर्ता का नाम और पता	दिनांक	दान का ब्यौरे		अभ्युक्ति
			नकद	प्रकार	
1	2	3	4	5	6

'यदि कोई वस्तु हो तो दान की गई वस्तु को दर्शाया जाए ।

मुख्य लेखा पदाधिकारी

फार्म 107

[नियम 80 (ख (देखें]

न्यायालय शुल्क से आय की पंजी

क्रम संख्या	दिनांक	न्यायाधिकरण/अन्य न्यायालय का नाम	प्राप्त राशि	चेक संख्या/डी.डी. संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6

मुख्य लेखा पदाधिकारी

फार्म 108

[नियम 80 (ग)देखें]

वक्फ अंशदान पंजी

क्रम संख्या	जिला का नाम	तिथि	चेक संख्या/डी.डी. संख्या	प्राप्त राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6

मुख्य लेखा पदाधिकारी

फार्म 109

[नियम 80(घ) देखें]

निवेश/जमापंजी

क्रम संख्या	निवेश/ जमा का ब्यौरे	खाता संख्या एफ.डी.आर. संख्या	निवेश/ जमा की तिथि	राशि	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता के बाद राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

मुख्य लेखा पदाधिकारी

फार्म 110

[नियम 80(ड़)देखें]

व्ययपंजी

क्रम संख्या	व्यय का विवरण	उप शीर्ष	बिल/वाउचर आदेश संख्या और तिथि	राशि
1	2	3	4	5

मुख्य लेखा पदाधिकारी

फार्म 111

[नियम 80(च) देखें]

वक्फ निधि के लिए रोकड़ पुस्तिका

प्राप्तियाँ

क्रम संख्या	प्राप्ति की तिथि	रसीद संख्या	अनुदान	दान	न्यायाधिकरण (न्यायाधिकरण) शुल्क	वक्फ अंशदान	परिपक्व निवेश	सी.डब्ल्यू.सी. ऋण	प्राप्तियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

भुगतान

क्रम संख्या	भुगतान की तिथि	वाउचर संख्या	अनुदान	कार्यालय खर्च	न्यायाधिकरण (न्यायाधिकरण) शुल्क	कार्यालय, उपस्करों की खरीद	किया गया निवेश	वेतन	यात्रा भत्ता	अन्य खर्च	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

मुख्य लेखा पदाधिकारी

फार्म 111**क**

[नियम 80(छ) देखें]

झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के बैंक खातों में सावधि जमा और अन्य पर प्रोद्भूत ब्याज की पंजी

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	टी डी आर संख्या	प्रोद्भूत ब्याज	निराश्रित के लिए उपयोग की गई राशि	शेष
1	2	3	4	5	6	7

झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के लेखा पदाधिकारी का हस्ताक्षर

फार्म 112

नियम 81 देखें,

वर्ष ..... के लिए झारखण्ड राज्य औकाफ वक्फ का बजट प्राक्कलन

वर्ष ..... के लिए वास्तविक	वर्तमान वर्ष ..... के लिए स्वीकृत प्राक्कलन	वर्तमान वर्ष के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन		कुल	वर्ष ..... के लिए बजट प्राक्कलन
		8 माह के लिए वास्तविक	चार महीने के लिए संभावित व्यय		

प्रारंभिक शेष

प्राप्ति

(फार्म **112**क के अनुसार)

व्यय

(फार्म **112**ख के अनुसार)

अंतशेष

कुलयोग

फार्म 112क

[**नियम 81(1) देखें**]

वित्तीय वर्ष ..... के लिए झारखण्ड राज्य आकाफ बोर्ड की प्राप्तियों का बजट प्राक्कलन

क्र.सं.	**प्राप्तियाँ**	**पिछले वर्ष का वास्तविक**	**वर्तमान वर्ष का बजट प्राक्कलन**	**वर्तमान वर्ष के लिए पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन**	**आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन**
1	2	3	4	5	6
1.	प्रारंभिक शेष				
2.	भवन का किराया				
3.	वक्फ संस्थान से **7** प्रतिशत दर पर अंशदान				
4.	अनुरक्षण अनुदान				
5.	न्यायाधिकरण शुल्क				
6.	अन्य अनुदान				
7.	संवीक्षा शुल्क/प्रतिलिपि शुल्क				
8.	शास्ति और जुर्माना				
9.	ऋण और अग्रिम				
10.	ब्याज और गारंटी कमीशन				
11.	फार्म की बिक्री				
12.	मुकदमे बाजी शुल्क की वापसी				
13.	फार्म की बिक्री				
14.	सेवा प्रभार				
15.	वक्फ संस्था से ऋण				
16.	जमा पर ब्याज				
17.	प्रतिभूतियों और डिबेंचरों को लेना				
18.	अन्य प्राप्तियाँ				
	कुलयोग				

फार्म 112क (I)

नियम 81(1) देखें,

वक्फ अंशदान की माँग का विवरण

राज्य में वक्फ संस्था की कुलसंख्या	7 प्रतिशत निर्धारित अंशदान वाले वक्फ संस्था की संख्या	पिछले वर्ष ..... के दौरान नियत माँग	वास्तविक रूप से संगृहीत राशि	आगामी वर्ष ..... तरजीही की माँग	वर्तमान वर्ष ..... के लिए माँग	वर्ष के लिए संगृहीत राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रपत्र 112क (ii)

[नियम 81(1) देखें]

अनुरक्षण अनुदान का विवरण

क्र.सं.	मद	पिछले वित्तीय वर्ष ..... के दौरान प्रस्तावित अनुदान	वर्तमान वित्तीय वर्ष ..... के दौरान प्राप्त अनुदान	अतिरिक्त अनुदान, यदि कोई हो	आगामी वर्ष ..... के तरजीही लिए माँग	वृद्धि के कारण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

1. स्थापना प्रभार और कर्मियों के भत्ते

2. बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के मानदेय और भत्ते

3. वाहनों के रख रखाव

4. अन्य समितियों के भत्ते

5. आकस्मिकता

6. कोई अन्य मद

फार्म 112क (III)

[नियम देखें 81(1) देखें]

प्राप्त किराए का विवरण

क्र.सं.	संपत्ति का ब्यौरे	पिछले वर्ष ..... के दौरान प्राप्त अनुदान	वर्तमान वर्ष ..... के दौरान प्राप्त किराया	आगामी वर्ष .....के लिए अनुमानित किराया	कुलयोग	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

फार्म 112क (IV)

नियम 81(1) देखें,

अन्य अनुदानों का विवरण

क्र.सं.	ब्यौरे	उद्देश्य	स्वीकृत राशि	पिछले वर्ष के दौरान		वर्तमान वर्ष के दौरान			आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावित	अभ्युक्ति
				जारी की गईराशि	वक्फ संस्था कीसंख्या	समाप्ति तक स्वीकृत कीसंख्या	संस्था को जारी राशि	वक्फ संस्था की संख्या		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1. सहायता अनुदान
2. कोई अन्य अनुदान

फार्म 112क (V)

[नियम 81(1) देखें]

बैंकों में जमा पर ब्याज का विवरण

क्र.सं.	निवेश/ जमा का ब्यौरे	निवेश की तिथि	राशि	परिपक्वता की तिथि	प्रोद्भूत ब्याज	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

कुलयोग:

फार्म 112 क (vi)

[नियम 81(1) देखें]

पेशईमाम और मौजानों के मानदेय का विवरण

क्र.सं.	ओ.बी. का ब्यौरे	वर्तमान वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	कुल	आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावित अनुदान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6

कुलयोग:

फार्म संख्या 112क (vii)

[नियम 81(v) देखें]

अधिनियम की धारा 77 (4)(**छ) के अधीन मुस्लिम औरतों के भरण पोषण के भुगतान के लिए प्राप्त अनुदान का विवरण**

क्र.सं.	ओ.बी. का ब्यौरे	वर्तमान वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	कुल	आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावित अनुदान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6

फार्म 112ख

[नियम 81(ii) देखें]

वित्तीय वर्ष ..... के लिए झारखण्ड राज्य औकाफ बोर्ड के व्यय का बजट प्राक्कलन

क्र.सं.	व्यय के शीर्ष	पिछले वर्ष के लिए वास्तविक	वर्तमान वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन	वर्तमान वर्ष के लिए पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन	आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन
1	2	3	4	5	6
सामान्य प्रशासन					
1.	पिछले वर्ष का घाटा				
2.	(क) अध्यक्ष के पारिश्रमिक और भत्ते				
	(ख) बोर्ड के सदस्यों के बैठक शुल्क और भत्ते				
3.	सी.ई.ओ का वेतन				
4.	पदाधिकारियों के वेतन				

5.	स्थापना (क) स्थायी (ख) अस्थायी				
6.	यात्रा भत्ता				
7.	अन्य भत्ते				
8.	आकस्मिकताएँ (क) निगम कर (ख) डाक खर्च ग) लेखन सामग्री (घ) विद्युत प्रभार (ड.) दूरभाष प्रभार (च) मुद्रण प्रभार (छ) फर्नीचर (ज) आतिथ्य प्रभार				
9.	कानूनी प्रभार ऋण और अग्रिम पर ब्याज				
10.	ऋणऔरअग्रिमपरब्याज				
11.	अनुदान और छात्रवृत्ति				
12.	भूमि और भवन पर पूँजीगत व्यय				
13.	वाहनों का रख रखाव और मरम्मती				
14.	बोर्ड के भवनों का रख रखाव और मरम्मती				
15.	कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान				
16.	पेंशन, ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन				
17.	लेखा परीक्षा शुल्क				
18.	सी.डब्ल्यु.सी. नई दिल्ली में अंशदान				
19.	अन्य				
	कुलयोग				

फार्म 112ख (i)

[नियम 81(ii) देखें]

पदाधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के भुगतान का विवरण

क्र.सं.	वर्ग और पद	पदों की संख्या	वेतनमान	पिछले वर्ष के दौरान व्यय	वर्तमान वर्ष में ..... तक के दौरानव्यय	वेतनवृद्धि के कारण बढ़ोत्तरी	भत्तों में वृद्धि	आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावि तव्यय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	समूह-क								
2.	समूह-ख								
3.	समूह-ग								
4.	समूह-घ								

फार्म 112ख (ii)

[नियम 81 (ii) देखें]

अध्यक्ष और सदस्यों के मानदेय, बैठक शुल्क और अन्य भत्तों के भुगतान का विवरण

क्र.सं.	वर्ग और पद	पिछले वर्ष ..... के दौरान उपगत व्यय	वर्तमान वर्ष ..... के दौरान उपगत व्यय	अगले वर्ष के लिए प्रस्तावि तव्यय			अभ्युक्ति	कुल
				मानदेय	बैठक शुल्क	भत्ता		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

फार्म 112ख (iii)

[**नियम 81 (ii) देखें**]

जिला वक्फ सलाहकार समिति द्वारा व्यय का विवरण

क्र.सं.	**ब्यौरे**	**पिछले वर्ष के दौरान खर्च की गयी राशि**	**वर्तमान वर्ष ..... के दौरान बजट उपबंध**	**..... तक खर्च की गयी राशि**	**आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्ताव**	**अभ्युक्ति**
1.	बैठक शुल्क					
2.	भत्ते					
3.	अन्यव्यय					
	कुलयोग					

फार्म 112**ख(** iv**)**

[**नियम 81 (ii) देखें**]

आकस्मिक व्यय पर हुए खर्च का विवरण

क्र.सं.	**आकस्मिक व्यय का ब्यौरे**	**पिछले वर्ष के दौरान**		**चालू वर्ष के दौरान**		**आगामी वित्तीय वर्ष ..... के लिए प्रस्तावित व्यय**	**अभ्युक्ति**
		आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**तक व्यय**		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	दूरभाष						
2.	लेखन सामग्री						
3.	मुद्रण						
4.	वाहन का रख-रखाव						
5.	ईंधन						
6.	कार्यालय खर्च						
	कुलयोग						

फार्म 112ख(v**)**

[**नियम 81 (ii)देखें**]

वक्फ संपत्तियों के परिरक्षण और संरक्षण पर हुए व्यय का विवरण

क्र.सं.	वक्फ संपत्तियों की संख्या	पिछले वर्ष ..... के दौरान खर्च हुई राशि	चालू वर्ष ..... के दौरान खर्च हुई राशि	आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्ताव		अभ्युक्ति
				संपत्तियों की संख्या	राशि	
1	2	3	4	5	6	7

कुल:

फार्म 112ख(vi**)**

[**नियम 81 (ii) देखें**]

पेशईमाम और मौजान/मौजिन के मानदेय पर व्यय का विवरण

क्र.सं.	पेशईमाम और मौजान /मौजिन की संख्या	पिछले वर्ष ..... के दौरान खर्च हुई राशि	वर्तमान वर्ष **20 ..... 20** के दौरान खर्च हुई राशि	आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्ताव		अभ्युक्ति
				पेशईमाम और मौजान/मौजिन की संख्या	राशि	
1	2	3	4	5	6	7

कुल:

फार्म 112ख (vii**)**

[**नियम 81 (ii**) **देखें**]

मुस्लिम महिला (तलाक पर संरक्षण अधिकार) अधिनियम, **1986 के अधीन न्यायालय द्वारा यथा आदेशित मुस्लिम महिला के भरण पोषण के भुगतान का विवरण**

क्र.सं.	**मुस्लिम महिलाओं की संख्या**	**पिछले वर्ष .....के दौरान खर्च हुई राशि**	**वर्तमान वर्ष ..... के दौरान खर्च हुई राशि**	**आगामी वित्तीय वर्ष हेतु प्रस्ताव**		**अभ्युक्ति**
				मुस्लिम महिलाओं की संख्या	**राशि**	
1	2	3	4	5	6	7

कुल:

फार्म-113

[**नियम 85 (i) देखें**]

..... आवेदक (वादी) का नाम और पता एवं..... प्रतिवादी का नाम और पता के बीच झारखण्ड वक्फ न्यायाधिकरण ..... प्रमंडल के बीच आवेदन का ब्यौरे

1. विशिष्टियों का विवरण जिनके विरुद्ध आवेदन दिया गया है । निम्नलिखित आदेश के विरुद्ध आवेदन दिया गया हैः

क) आदेश संख्या **116**

ख) दिनांक

ग) द्वारा पारित

घ) संक्षिप्त विषय

2. (क) मुकदमें के तथ्य

i)

ii)

iii)

(ख) राहत के लिए आधार, राहत के समर्थन में सुसंगत कानूनी प्रावधानों सहित ।

3. वक्फ न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय सहित अन्य न्यायालय, में पूर्व से दाखिल नहीं किए गए या लंबित मामले । आवेदक इस आवेदन को दिए जाने के संबंध में आगे यह घोषणा करता है कि उसने पूर्व में कोई आवेदन, रिट याचिका दाखिल नहीं किया था । आवेदक द्वारा पूर्व में दाखिल आवेदन या रिट याचिका की स्थिति में पहले निर्णय दिया जाना चाहिए।

4. राहत

सत्यापन

(आवेदक का नाम) ..... पिता/माता/पति ..... उम्र ..... व्यवसाय ..... आवास ..... में रहता है ।

एत द्द्वारा यह सत्यापित करता हूँ पैरा **1** से ..... तक की विषय-वस्तु मेरे ज्ञान, विश्वास और जानकारी में सत्य हैं, और मैंने किसी भौतिक तथ्यों को छुपाया नहीं है ।

दिनांक:

स्थानः

आवेदक का हस्ताक्षर

फार्म 114

[**नियम 97 देखें**]

काउंटर फ्वायल: सं ..... .दिनांक ..... से कुल नगद रसीद(..... शब्दों में)के मद में प्राप्त किया । 1. प्रतिलिपि शुल्क (प्रभार) 2. प्रक्रिया शुल्क 3. आवेदन/अंतरिम राहत शुल्क 4. ---------- लेखापाल झारखण्ड वक्फ न्यायाधिकरण	झारखण्ड वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष ..... आवेदन/वाद/अपील संख्या ..... संख्या .....दिनांक ..... से कुल नगद रसीद(..... शब्दों में)के मद में प्राप्त किया 1. प्रतिलिपि शुल्क(प्रभार) 2. प्रक्रिया शुल्क 3. आवेदन/अंतरिम राहत शुल्क 4. ---------- लेखापाल झारखण्ड वक्फ न्यायाधिकरण

फार्म 115

[**नियम 99 देखें**]

वर्ष ..... के दौरान झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड और राज्य में वक्फ के प्रशासन और कार्य का सामान्य वार्षिक प्रतिवेदन (रिपोर्ट)

भाग**1** उचित रिपोर्ट (प्रतिवेदन)

अनुभाग **I** संविधान और प्रबंधन

अनुभाग **II** वित्तीय स्थिति

अनुभाग **III** अधिक्रमण और वक्फ संपत्ति को पट्टे से हटाना

अनुभाग **IV** वक्फ न्यायाधिकरण के कार्य और मुकदमेबाजी

अनुभाग **V** सामान्य

भाग**II** अनुभाग**I** संविधान और प्रबंधन

(1) क्षेत्राधिकार:

(i) मुस्लिमों की जनसंख्या और क्षेत्र

(ii) बोर्डों की संख्या

(iii) प्रादेशिक प्रमंडल) जिला इकाईयों (की संख्या

(iv) वक्फ संस्थाओं की संख्या

(2) कर्मी:

(i) बोर्ड सदस्यों की कुल संख्या

(ii) नामित सदस्यों की संख्या और उनके नाम

(iii) **----------** अध्यक्ष का नाम तथा वर्ग और निर्वाचन की तिथि

(iv) **----------** मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का नाम और अवधि जबसे कार्य कर रहे हों ।

(v) पदाधिकारियों के नाम

(3) बैठक और उपस्थिति:

(i) बैठक की संख्या – साधारण सामान्य विशेष और स्थगित

(ii) बैठक आयोजित होने की नियमितता**,** सभा**,** बैठक में सदस्यों की उपस्थिति**,** स्थगित बैठक

(4) समितियाँ :

(i) स्थाई समितियों की संख्या**,** उनके कार्य और ब्यौरे सदस्यों के नाम के साथ दर्शाए जाएँ

(ii) अन्य समिति और तदर्थ समिति की कुल संख्या

(iii) प्रत्येक समिति के कार्य का सामान्यसार**,** कुल उपस्थिति समिति में सर्वाधिक ऊर्जावान और सर्वाधिक सुस्त**,** बोर्ड सदस्यों द्वारा सर्वाधिक पसंदीदा ।

(iv) संयुक्त समिति**,** यदि कोई कार्य उन्हें द्वारा किया गया हो ।

(5) स्थापना बोर्ड द्वारा गठित संगठन के कार्यों के साथ नियमों में यथा प्रस्तुत स्थापना लागत को दर्शाते हुए प्रदर्शन तथा उपगत व्यय को दर्शाया जा सकता है प्रशासन के लिए बैठकों और सम्मेलनों और प्राप्त परिणामों को दर्शाया जा सकता है ।

(6) रजिस्ट्रीकरण :

अनुभाग **II** वित्तीय स्थिति

वित्तीय लेन-देन का सार

(7) लेखा का शीर्ष: प्रारंभिक शेष अंतिम शेष

अंतिम शेष**,** हाथ में नगद**,** बैंक में नगद/जमा आदि**,** का ब्यौरे दिया जा सकता है।

(i) क्या न्यूनतम शेष को बरकरार रखा गया है

(ii) निधियों का अपयोजन

(8) प्राप्तियाँ और व्यय

(i) दो पूर्ववर्ती वर्षों के अलावा रिपोर्ट वाले वर्ष की प्राप्तियों और व्यय का संक्षिप्त ब्यौरे तथा प्राप्तियों एवं और व्यय में वृद्धि को दर्शाने वाले मद का भी जिक्र किया जा सकता है।

(9) निवेश, ऋण और अनुदान

(10) लेखा परीक्षा:

(i) धारा **80** के अधीन अवधि जिसके लिए लेखा परीक्षा को पूरा किया गया है।

(ii) क्या झारखण्ड वक्फ के नियम **40** और अन्य सुसंगत प्रावधानों के अधीन वक्फों की लेखा परीक्षा का कार्यक्रम पूरा किया गया है।

(iii) वक्फ संस्था द्वारा धन के दुर्विनियोग के मामलों पर प्रकाश डाला जा सकता है और झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ अधिनियम **1995** के प्रावधानों के तहत की गयी कार्रवाई की जाँच की जा सकती

(iv) किसी वक्फ चाहे प्रत्यक्ष प्रबंधन में हो या अन्यथा के वित्त में सुधार के मामले।

(11) आस्तियाँ और देनदारियाँ

(i) अचल संपत्तियों के किरायों का ब्यौरे

(ii) वक्फ समिति के बकाया संग्रह और शेष**,** अन्य बकाया**,** ऋण**,** बिल की संख्या और भुगतान हेतु लंबित राशि।

(क) लाभकारी उद्यम

(i) केन्द्रीय वक्फ परिषद् से वक्फ संपत्ति के विकास के लिए ऋण की संभावना और इसकी उपलब्धियों को वक्फ संपत्तियों के विकास में दिखाया जाय और वक्फ द्वारा आय में बढ़ोत्तरी की जाँच की जाय।

(ii) संबंधित संस्था या बोर्ड द्वारा अपनी निधि से लायी गयी परियोजनाओं का विवरण का ब्यौरे दिया जाय।

(iii) स्वयं की निधि से लायी गयी परियोजनाओं का ब्यौरे।

(iv) अन्य निधियों से लायी गयी साथ परियोजनाएँ।

(v) वक्फ के विकास के लिए सहायता अनुदान कोड के अधीन अनुदान बोर्ड द्वारा उपरोक्त अनुदान के उपयोगिता प्रमाण-पत्र को पूरा किया जाय।

(ख) अधिक्रमण**,** संरक्षण और वक्फ संपत्ति को पट्टे(पट्टा**)** से हटाना

(1) क्या अधिक्रमण की सूची का संधारण बोर्ड द्वारा किया गया है और बोर्ड द्वारा वक्फ की संपत्तियों जैसे कब्रिस्तान**,** ईदगाह आदि पर अधिक्रमण की पहचान हेतु कार्यक्रम को लाया गया है**,** यदि हाँ तो ब्यौरे दें।

(2) अधिक्रमण हटाने के लिए वक्फ अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों में प्रगति**,** वक्फ संपत्तियों के अधिक्रमण को हटाने और जीर्णो द्वार के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट और अनुमंडलीय मजिस्ट्रेट द्वारा माँग और आदेशके कार्यान्वयन की जाँच की जाए और उपलब्धियों की विशेषताओं और कमियों को दर्शाया जाय । इसके प्रवर्तन के संबंध में बोर्ड के समक्ष आयी समस्याओं की जाँच की जाएगी ।

(3) धारा **77 (5)** के अधीन वक्फ निधि का उपयोग कर वक्फ संपत्तियों के परिरक्षण और संरक्षण के संबंध में बोर्ड द्वारा की गई कार्रवाई

(12) वक्फ संपत्तियों को पट्टा पर दि जाना:

झारखण्ड वक्फ नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के अधीन पट्टा की संपत्तियों की कुल संख्या**,** प्राप्त और निबटाए गए आवेदनों की संख्या । यदि किसी विचलन की नोटिस हो तो दर्शाया जाए।

(क**)** मुकदमेबाजी और न्यायाधिकरण के कार्य:

(1) बोर्ड द्वारा विभिन्न न्यायालयों में लंबित वादों और रिट याचिका के ब्यौरे की जाँच और निपटान कण्डिकावार उत्तर प्रस्तुत कर और बोर्ड के अधिवक्ताओं द्वारा गए स्थगनों की कुल संख्या के ब्यौरे को ध्यान में रख कर की जाएगी । अधिवक्ता शुल्क के रूप में उपगत व्यय की जाएगी । अधिवक्ताओं के पैनल की दक्षता की जाँच उन मुकदमों की संख्या जिनमें बोर्ड के पक्ष में निर्णय हुआ ही के आधार पर की जाएगी ।

(2) न्यायाधिकरण के संबंध में प्रत्येक न्यायाधिकरण द्वारा अपीलों वादों दाखिल आवेदनों और उनके निपटान की समीक्षा की जा सकती है । मामलों के निपटान में आई समस्याओं को स्पष्ट किया जा सकता है । न्यायाधिकरण द्वारा संग्रह किए गए शुल्क और इसे वक्फ निधिको भेजे जाने की जाँच की जाय।

(ख **)** सामान्य

1. विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे और पता का जिक्र किया जाय।

2. बोर्ड के निर्विघ्न प्रशासन में बोर्ड और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के बीच के संबंध को स्पष्ट किया जा सकता है।

3. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी या अन्य पदाधिकारियों द्वारा वक्फ कार्यालयों में वक्फ समितियों वक्फ संस्थाओं का निरीक्षण और टेबल निरीक्षण तथा उक्त निरीक्षण का अनुपालन।

4. पूर्ववर्ती वर्ष के सामान्य वार्षिक रिपोर्ट पर सरकार द्वारा की गई समीक्षा के बाद की गई कार्रवाई । रिपोर्ट वाले वर्ष की जाँच की जा सकेगी ।

निष्कर्ष :वक्फ बोर्ड और वक्फ संस्था के सामान्य प्रशासन को प्रभावित करने वाले कोई अन्य महत्त्वपूर्ण मामले पर प्रकाश डाला जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से**,**
सरकार के सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 762 - 50